सप्तदश माला, खंड 1, अंक 9 गुरुवार, 27 जून, 2019

6 आषाढ़, 1941 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पहला सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 1 में 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

© 2019 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रोनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध करने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 1, पहला सत्र, 2019 / 1941 (शक)
अंक 9, गुरुवार, 27 जून, 2019 / 6 आषाढ़, 1941 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
निधन संबंधी उल्लेख	10-12
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
[1*]तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 85 और 89	14-37
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 86 से 88 तथा 90 से 100	39
अतारांकित प्रश्न संख्या 882 से 1111	

[1*] किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था

सभा पटल पर रखे गए पत्र 40-41

कार्य मंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 42

सरकारी विधेयक-पुर:स्थापित

(1) केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक, 2019 43-44

(2) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 45-46

(3) दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019 47

केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक, 2019

श्री संजय शामराव धोत्रे 44

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019

श्री अश्विनी कुमार चौबे 45

सदस्य द्वारा निवेदन

भारतीय सशस्त्र सेनाओं के नि:शक्त कर्मियों पर कर लगाए जाने के बारे में 45-46

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा के प्रदर्शन के बारे में

श्रीमती अपराजिता सारंगी 107

(दो) आरणी, तमिलनाडु में एक सिल्क पार्क की स्थापना किए जाने के बारे में

डॉ. एम.के विष्णु प्रसाद 108

(तीन) तमिलनाडु के कन्याकुमारी में नए रेल मंडल के गठन किए जाने के बारे में

श्री एच. वसंतकुमार 109

(चार) तटीय बैल्ट के साथ-साथ समुद्र किनारे दीवार का निर्माण किए जाने के बारे में

श्री बैन्नी बेहनन 110

होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के निरनुमोदन के बारे में सांवधिक संकल्प

तथा

होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 111-119

विचार के लिए प्रस्ताव

श्री अधीर रंजन चौधरी 120-123, 183-185

श्री श्रीपाद येसो नाईक 179-182

श्री मनोज राजोरिया	124-129
श्रीमती अपरूपा पोद्दार	129-131
डा. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती	132-135
श्री अनुभव मोहंती	136-137
श्री कौशलेन्द्र कुमार	138-139
श्री अनुराग शर्मा	139-142
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे	143-144
एडवोकेट ए.एम. आरिफ़	145-147
श्री हनुमान बेनीवाल	148-150
श्री कोडिकुन्नील सुरेश	151-155
श्री राम मोहन नायडू किंजरापु	156-160
डॉ. फारूख़ अब्दुल्ला	161-162
श्री विनायक भाऊराव राऊत	163-164
एडवोकेट अजय भट्ट	165-168
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	169-174
साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर	175-176

श्री भगवंत मान	177
श्री थोल तिरुमावलवन	177-178
खंड 2, 3 और 1	186-187
पारित किए जाने हेतु प्रस्ताव	189

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्रीमती मीनाक्षी लेखी

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

महासचिव

श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

गुरुवार, 27 जून, 2019 / 6 आषाढ़, 1941 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

निधन संबंधी उल्लेख

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे ग्यारह पूर्व सदस्यों, सर्वश्री एस. राजेन्द्रन, विश्वनाथ शास्त्री, परिपूर्णानंद पैन्यूली, के.जे.के. रितेश शिवकुमार, एस.पी.वाई. रेड्डी, वी. विश्वनाथ मेनन, आर.एन. राकेश, हरिओम सिंह राठौड़, एम. के. सुब्बा, कमलेश वाल्मीकि तथा श्रीमती शीला गौतम के दु:खद निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री एस. राजेन्द्रन तमिलनाडु के विलुप्पुरम संसदीय क्षेत्र से सोलहवीं लोक सभा के सदस्य थे। श्री एस. राजेन्द्रन का निधन 23 फरवरी, 2019 को टिंडीवनम टाउन, जिला विलुप्पुरम, तमिलनाडु में 62 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री विश्वनाथ शास्त्री दसवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री विश्वनाथ शास्त्री का निधन 18 मार्च, 2019 को गोमती नगर, लखनऊ में 73 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री परिपूर्णानंद पैन्यूली तत्कालीन उत्तर प्रदेश की टिहरी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे। श्री पैन्यूली को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुल छह वर्षों की समय अवधि के लिए तीन बार जेल भेजा गया। साहित्यिक प्रतिभा के धनी श्री पैन्यूली की हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषाओं में दर्जन भर से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुईं। श्री परिपूर्णानंद पैन्यूली का निधन 12 अप्रैल, 2019 को देहरादून, उत्तराखंड में 94 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री के. जे. के. रितेश शिवकुमार तमिलनाडु के रामनाथपुरम संसदीय क्षेत्र से पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्य थे। श्री रितेश शिवकुमार का निधन 13 अप्रैल, 2019 को रामनाथपुरम, तमिलनाडु में 46 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री एस. पी. वाई. रेड्डी आंध्र प्रदेश के नंदयाल संसदीय क्षेत्र से चौदहवीं से सोलहवीं लोक सभा के सदस्य थे। श्री एस. पी. वाई. रेड्डी का निधन 30 अप्रैल, 2019 को हैदराबाद में 68 वर्ष की आयु में हुआ
।

श्री वी. विश्वनाथ मेनन केरल के एर्नाकुलम संसदीय क्षेत्र से चौथी लोक सभा के सदस्य थे। श्री मेनन 1974 से 1980 तक राज्य सभा के भी सदस्य थे। श्री वी. विश्वनाथ मेनन का निधन 03 मई, 2019 को एर्नाकुलम, केरल में 92 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री आर. एन. राकेश उत्तर प्रदेश के चायल संसदीय क्षेत्र से छठवीं, सातवीं तथा नौवीं लोक सभा के सदस्य थे। साहित्यिक प्रतिभा के धनी श्री राकेश ने राजनीतिक मुद्दों तथा साहित्य विषयों पर एक हजार से अधिक निबंध तथा पत्र लिखे। श्री आर. एन. राकेश का निधन 15 मई, 2019 को प्रयागराज में 76 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री हरिओम सिंह राठौड़ राजस्थान के राजसमंद संसदीय क्षेत्र से सोलहवीं लोक सभा के सदस्य थे। श्री हरिओम सिंह का निधन 27 मई, 2019 को उदयपुर, राजस्थान में 61 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री एम.के.सुब्बा असम के तेजपुर संसदीय क्षेत्र से बारहवीं से चौदहवीं लोक सभा के सदस्य थे। श्री सुब्बा ने वर्ष 1991 से 1998 के बीच दो बार असम विधान सभा सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थीं। श्री एम.के.सुब्बा का निधन 27 मई, 2019 को नई दिल्ली में 61 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री कमलेश वाल्मीकि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर संसदीय क्षेत्र से पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्य थे। श्री कमलेश वाल्मीकि का निधन 27 मई, 2019 को खुर्जा, उत्तर प्रदेश में 52 वर्ष की आयु में हुआ।

श्रीमती शीला गौतम उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र से दसवीं से तेरहवीं लोक सभा की सदस्य थीं। श्रीमती शीला गौतम का निधन 08 जून, 2019 को नई दिल्ली में 87 वर्ष की आयु में हुआ।

हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और शोक-संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

<u>पूर्वाह्न 11.02 बजे</u>

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन ऑवर।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदय, फौजियों पर टैक्स लगाकर जिस तरह से घोर अन्याय किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य क्वेश्चन ऑवर के बाद आपको मौका दूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन ऑवर के बाद बात करेंगे।

…(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर*

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन 81, रामदास तडस।

…(व्यवधान)

(प्रश्न 81)

श्री रामदास तडस: अध्यक्ष जी , मैं धन्यवाद मानता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में **55** सालों में एक नेशनल हाईवे रोड था, अभी आठ नेशनल हाईवे हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा के अंतर्गत कुलगाम से कारंजा महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्य भारतमाला परियोजना में प्रस्तावित होने की जानकारी है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महामार्ग का विकास कार्य जल्द प्रारंभ करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है**?**

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय स्पीकर महोदय, भारतमाला में करीब चौबीस हजार किलोमीटर के मार्ग को लिया गया है। इसका उल्लेख समाननीय सदस्य ने किया है, उसको भी लिया गया है। जब कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा था, तब अधिकारियों ने प्रायोरिटी वन और प्रायोरिटी टू करके कुछ प्रोजेक्ट लिए थे और कुछ प्रोजेक्ट पीछे डाल दिए थे। नई सरकार की स्थापना होने के बाद मैंने सूचना दी है कि प्रायोरिटी बंद कीजिए और सभी काम शुरू कीजिए। हम लोग पैसा खड़ा करके काम करेंगे क्योंकि यह देश की आवश्यकता है। प्रायोरिटी अब खत्म कर दी है, ऐसी सूचना विभाग को भी दी गई है। आप जो कह रहे हैं कुलगाम से कारंजा तक का डीपीआर का काम शुरू है। जिसको काम दिया गया था, उसको एक वर्ष हो गया है, उसने बराबर काम नहीं किया, मैंने आज ही उसको इंस्ट्रक्शन दी है, दो महीने के अंदर डीपीआर पूरा करेंगे और लैंड एक्वीजीशन का प्रपोजल साथ लाकर इसको अनुमति देकर कार्य का शुभारंभ करेंगे।

---

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

श्री रामदास तडस : माननीय अध्यक्ष जी , वर्धा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत भुट्टी बोरी-वर्धा-यवतमाल राष्ट्रीय महामार्ग-361 का काम चालू है। देओली शहर के साथ अनेक जगह से बाईपास जा रहा है। एनएच वाले बोलते हैं कि यह रास्ता शहर में जाने के लिए है उस क्षेत्र में बाईपास नहीं जा रहा है। यहां वाले कह रहे हैं कि हमारे यहां से नहीं जा रहा है, दोनों में फुटवार हो रहा है। नेशनल हाईवे से जो रोड जा रही है, उसके बाजू में शहर के लिए जो सड़क जाती है, इसका काम लंबित है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए माननीय मंत्री जी क्या करेंगे?

श्री नितिन जयराम गडकरी: माननीय अध्यक्ष जी, यह बात सच है कि जब हम बाईपास बनाते हैं तो शहर से जो पुराना रास्ता जाता है, उसे ऑटोमेटिकली स्टेट को हैण्ड ओवर कर देते हैं या म्युनिसिपल कारपोरेशन को करते हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं रहती है। क्योंकि हम नया रोड बना रहे हैं, हमने इसके लिए पालिसी बनाई है और हमने उसे स्वीकृति भी दी है, लेकिन अधिकारी उसका अमल नहीं करते हैं। वह पालिसी है कि पुराने रोड को ठीक करके उसे फिर से डीनोटिफाइड करें, उसे स्टेट गवर्नमेंट या वहां की म्युनिसिपल कारपोरेशन को हैण्ड ओवर करें। इसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है। इन कार्यों में बीच में थोड़ी ढिलाई बरती गई थी।

महोदय, इनके काम के बारे में मैंने आज सूचना दी है, इसे हम पूरा करेंगे, इसे डीनोटिफाइड करेंगे, नगर परिषद् को हैण्ड ओवर कर देंगे।

श्री सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि राजस्थान का जिस प्रकार से आपने उत्तर दिया है, क्योंकि पिछले पांच वर्षों में, पूरे राजस्थान और चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में चाहे नेशनल हाई वे हों या सीआरएफ सड़कें हों या नए नेशनल हाईवे डिक्लेअर करने हों, मैं उसके लिए सबकी ओर से आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। विशेष तौर से चारधाम की यात्रा पर जाने वाले करोड़ों धर्मावलम्बियों के लिए पहली बार चारधाम की यात्रा का मार्ग सुलभ बनाने का काम शुरु किया है, मैं उनकी ओर से भी आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं।

दिल्ली से अहमदाबाद नेशनल हाईवे का फोर लेन से सिक्स लेन का काम शुरु हो गया है। यह बहुत तेज गति से चल रहा है। दिल्ली-मुम्बई नया एक्सप्रैसवे बन रहा है जिसकी चौड़ाई **120** मीटर है। यह कई क्षेत्रों के नजदीक से होकर गुजर रहा है। यहां कई औद्योगिक क्षेत्र हैं, सीमेंट हब है, जिंक का प्लांट है और यहां विश्व प्रसिद्ध विरासत है। यह रास्ता वडोदरा से कांडला पोर्ट तक यह जाएगा। क्या इसमें ऐसे जिला मुख्यालयों या बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को भी जोड़ने का कोई प्रावधान है**?**

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय स्पीकर महोदय, आप भी जानते हैं कि यह देश का ऐसा पहला हाईवे है जो पांच राज्यों **-** मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा के बैकवर्ड और जन ट्राइबल सेक्टर से जा रहा है। अगर हम मुम्बई-अहमदाबाद लाइन पर जाते हैं तो लैंड एक्वीजीशन की लागत छ**:** से सात करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर पड़ती क्योंकि यह डेवलप्ड एरिया है। हमें बैकवर्ड एरिया के कारण अनेक जगह **80** लाख रुपये प्रति हेक्टेयर कास्ट पड़ी। दिल्ली से मुम्बई **12** घंटे का समय लगेगा और दिल्ली से मुम्बई की दूरी **120** किलोमीटर कम होगी। मुझे विश्वास है कि दिल्ली से मुम्बई **12** घंटे में पहुंच जाएंगे। इसमें केवल अड़चन यह है कि अगर हर डिस्ट्रिक्ट को जोड़ देंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। यह संभावना नहीं है। जयपुर बड़ा शहर है। यह गुड़गांव, अलवर, सवाई माधोपुर, झाबुआ, रतलाम से होकर वडोदरा से मुम्बई जा रहा है। इसके आजू-बाजू में जो बड़े शहर हैं, उसे कनैक्टिविटी में जोड़ने का काम करेंगे लेकिन अगर इसे जिलों में ले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, डिस्टेंस भी बढ़ेगा।

माननीय अध्यक्ष: कोटा भी जा रहा है।

श्री नितिन जयराम गडकरी: मुझे पता नहीं है कि कोटा से दिल्ली का कितना डिस्टेंस हैं**?**

माननीय अध्यक्ष: 500 किलोमीटर है।

श्री नितिन जयराम गडकरी: इससे करीब साढ़े तीन घंटे में कोटा चले जाएंगे। यह हाई वे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात के लिए वरदान है। सबसे बड़ी बात यह है कि रोड के बाजू में जो डेवलपमेंट होता है, मैं सदन के मार्फत देश के उद्यमियों और उद्योगपतियों को कहना चाहता हूं जो लाजिस्टिक पार्क का काम करना चाहते हैं या स्मार्ट सिटी खड़ी करना चाहते हैं तो भूमि उपलब्ध है। गुड़गाँव, फरीदाबाद और ओखला, यहीं सब डेवलपमेंट करने के बजाय इस रोड पर अब लैंड अवेलेबल है। यहां आएंगे तो जरूर फायदा होगा

। एक कोशिश और कर रहे हैं, कल ही हमने इस पर वर्क शुरू किया है। जैसे रेलवे की इलेक्ट्रिक केबल होती है, वैसे दिल्ली से मुम्बई तक एक इलेक्ट्रिक केबल दोनों साइड में रखकर 40 टन के ट्रक में क्या यह ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इसके बारे में भी अध्ययन शुरू किया है। यह होगा तो लोजिस्टिक कास्ट एकदम कम हो जाएगी और हमारे देश में एक ट्रक ज्यादातर सवा दो सौ, ढाई सौ किलोमीटर चलता है। अमरीका में सात सौ किलोमीटर चलता है। अभी दिल्ली से मुम्बई जाने के लिए चार दिन लगते हैं, पर इस हाइवे के बनने के बाद यह केवल 28 घंटे में हो जाएगा। इससे डीजल फ्यूल की बचत होगी, लॉजिस्टिक कास्ट कम होगी और इसके बाजू में स्मार्ट सिटी, लाजिस्टिक पार्क होगा, इससे नया डेवलपमेंट होगा और ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया में एक नया ग्रोथ इंजन हाइवे होगा और इसको जिले से कनेक्ट करने के लिए जरूर कोशिश करेंगे।

श्री तपन कुमार गोगोई : माननीय अध्यक्ष महोदय**,** मैं असम से हूं। असम में अभी फोर लेन का काम चल रहा है। असम में नुमालीगढ़ से डिब्रूगढ़ तक और नगांव से पटासपुर होकर जो काम चल रहा है**,** वह काम अभी धीमी गति से चल रहा है। जो रोड एक्सिस्टिंग रोड है वह रोड अभी खराब हो गई है। इस रोड को मेन्टेन करने का काम भारत सरकार करेगी या जिस कंपनी को यह काम मिला है वह कंपनी करेगी**?** अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। एजिटेशन हो रहा है। इतने खराब रास्ते को कौन मेन्टेन करेगा**?** मेरा मंत्री महोदय से प्रश्न है कि जो एक्सिस्टिंग रोड है**,** उसको कौन मेन्टेन करेगा**?** जो धीमी गति से नेशनल हाइवे**,** फोर लेन का काम चल रहा है उस काम को स्पीड से करना चाहिए।

श्री नितिन जयराम गडकरी: मैं सम्मानीय सदस्य से नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा, सभी सदस्यों के लिए मैं कहूंगा कि कोई भी काम अगर बंद है या धीमी गति से चल रहा है तो अपने लेवल पर पहले आप यह जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि यह क्यों नहीं चल रहा है, उसके प्रोब्लेम्स क्या हैं? अधिकतर जगहों पर लैंड एक्वीजीशन राज्य सरकार करती है। असम के मुख्य मंत्री जी के साथ भी मेरी मीटिंग हुई है। हम कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। दो-दो, तीन-तीन वर्ष मशीनरी खड़ी रहती है। कांट्रेक्टर की हालत खराब हो जाती है। बैंक में अकाउंट एन.पी.ए. हो जाता है, पर लैंड नहीं मिलती है। ये प्रोजेक्ट पूरा न होने का कारण क्या है, धीमी गति से चलने का कारण क्या है इसका कारण आप ढूंढ़ लीजिए। आज मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। मैं भी ले लूंगा। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जब तक अगर खराब है, तो मैं डिपार्टमेंट को सूचना देकर

सुधार दूंगा। पर आप वहां के मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट होने के नाते सभी सम्मानीय सदस्य सड़क के रोड में क्यों दिक्कत है, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से फॉलो अप करें। लैंड एक्वीजीशन अगर हमें जल्दी में दे देंगे तो आपको यह तकलीफ नहीं होगी। 80 प्रतिशत लैंड मिले बिना हम अपॉइंटमेंट डेट नहीं देते। थोड़ा आपका भी सहयोग मिलेगा ताकि जिलाधिकारी जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लैंड एक्वीजीशन का काम करते हैं, इसमें अगर गति आ जाएगी तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी और निश्चित रूप से अगर दिक्कतें आती हैं और आपके सहयोग से अगर वह सुलझायी जाती हैं तो काम की गति बढ़ सकती है।

(प्रश्न संख्या 82)

[अनुवाद]

श्री विनसेंट एच. पाला: महोदय, जब इस महती सभा में विधेयक पारित किया गया था मुझे याद है, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य को खेल विश्वविद्यालय परिसर प्रदान किया जाएगा। यह बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर में कहा गया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मेघालय कर रहा है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को रु.200 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव भेजा है। महोदय, क्या मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि क्या केन्द्र सरकार बुनियादी ढांचे जैसे स्टेडियम, कृत्रिम मैदानों और अन्य चीजों के निर्माण में राज्य सरकार की सहायता करेगी जिसके बारे में भारत सरकार के खेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है?

श्री किरेन रिजीजू : महोदय, सर्वप्रथम, मैं कहना चाहूंगा कि मणिपुर में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित यह राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किसी क्षेत्र या पूर्वोत्तर तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह भारत का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। अत:, पूर्वोत्तर क्षेत्र के भीतर परिसर स्थापित किए जाने के लिए कोई विशिष्ट रोज़गार आरक्षण या खिलाड़ियों के लिए आरक्षण नहीं हो सकता है। यह सच नहीं है। लेकिन इसके साथ ही मुझे यह भी स्वीकार करना होगा कि खेल के बुनियादी ढांचे के मामले में हमें पूरे देश के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

अब, मेघालय में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के संबंध में मेघालय के मुख्यमंत्री मेरे पास आए थे और उन्होंने मेरे साथ विस्तृत चर्चा की थी। हां, निश्चित रूप से बेहतर खेल अवसंरचना सृजित करने के मामले में केंद्र सरकार को राज्य सरकार की सहायता करनी होगी। लेकिन खेल अवसंरचना के सृजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, 'खेल' राज्य का विषय है।

महोदय, यह कहने के बाद, हम तैयार हैं और संसद सत्र के बाद, मैं मेघालय का दौरा करूंगा और इस पर चर्चा करूंगा। मैं शिलौंग और तुरा के सुविधा केंद्र का दौरा करने की योजना बना रहा हूं, और इसके

साथ-साथ, हम कॉर्पोरेट जगत को एक बड़ा निवेश करने के लिए प्रेरित करेंगे। आखिरकार, खेल एक ऐसा विषय है जो मुझे और सभी माननीय सदस्यों को भी बहुत प्रिय है।

श्री विनसेंट एच. पाला : महोदय, सामान्यतः बजट में पूर्वोत्तर राज्यों को 10 प्रतिशत निधि आबंटित की जाती है। खेल मंत्रालय को आबंटित दस प्रतिशत निधि उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय को जाती है और इस धन का सामान्य रूप से प्रयोग उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए किया जाता है क्या मैं यह जान सकता हूं कि खर्च नहीं की गई इस निधि का दस प्रतिशत, जो एक प्रकार से कल्पित निधि है, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय को हस्तांतरित किया जा रहा है या नहीं?

श्री किरेन रिजीजू: महोदय, मंत्रालय के पास जो भी बजटीय आबंटन आता है, यह एक सुपरिचित दस्तावेज है, हर कोई इसे देख सकता है - इसका कितना प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र में खर्च किया जाता है, यह भी सर्व विदित है।

एक राष्ट्रीय खेल विकास निधि है जिसके अंतर्गत हमें कॉर्पोरेट जगत से अंशदान प्राप्त होता है और साथ ही, हमें सरकार से समान अनुदान मिलता है जो हम पारंपरिक खेलों या ओलंपिक खेलों जैसे विभिन्न खेलों और खिलाड़ियों को भी प्रदान करते हैं। विभिन्न कार्यक्रम हैं जिनके बारे में मैं बाद में विस्तार से बता सकता हूं। लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर खर्च की जाने वाली दस प्रतिशत निधियों के संबंध में, मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री के साथ संपर्क में हूं, हम इस पर कार्य करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मेघालय राज्य सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए दस प्रतिशत से कम खर्च न किया जाए।

कुमारी अगाथा के. संगमा : मैं जो प्रश्न पूछना चाह रही थी वह पहले ही हमारे माननीय संसद सदस्य श्री विनसेंट एच. पाला द्वारा अनुपूरक प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है।

अत:, मैं हमारे माननीय खेल मंत्री श्री किरेन रिजीजू को राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करने और मुख्यमंत्री द्वारा की गई पहल के बारे में बात करने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेलों के बारे में यह प्रश्न पूछने के लिए श्री विंसेंट पाला को धन्यवाद देती हूं।

(प्रश्न संख्या 83)

[हिन्दी]

श्री सुधीर गुप्ता :माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद मुझे सत्रहवीं लोक सभा में और इस स्वर्णिम युग में, स्वर्णिम युग इसलिए कह रहा हूँ मैं कि आजादी के बाद का 16वीं लोक सभा का 5 वर्ष का जो दौर था, यह स्वर्णिम युग था। स्वर्णिम युग का यह दूसरा चरण प्रारंभ हो रहा है और मुझे ऐसे विकासशील मंत्री जी से, जो मोदी जी के नेतृत्व में देश को चहुँमुखी प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, उनसे इस विषय पर चर्चा करने का मौका मिल रहा है। भारत के रोड निर्माण में ठप्प मंत्रालय 2014 में माननीय गडकरी को मिला था, जहां 2 किलोमीटर सड़कें प्रतिदिन बना करती थीं, आज 30 किलोमीटर पर पहुंची हैं। मेरे पास में बैठे माननीय नरेन्द्र सिंह तोमर जी का भी जिक्र करूंगा, जिन्होंने ग्रामीण सड़कों का ऐसा जाल मेरे संसदीय क्षेत्र में बनाया ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रश्न पूछिए।

श्री सुधीर गुप्ता : अध्यक्ष जी , मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। **142** सड़क बनाकर अभिनव प्रयोग किया है, जो आज देश प्रगति की ओर जा रहा है, उसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ।

"बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो

मजबूरियों को मत कोसो हर हाल में चलना सीखो"

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रश्न पूछिए।

श्री सुधीर गुप्ता : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने मेरे संसदीय क्षेत्र में दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे की जो सौगात दी है, उसमें मैं जानना चाहता हूँ कि संसदीय क्षेत्र में पर्यटन को देखते हुए भारत सरकार ने बहुत बड़े प्रयोग किए हैं। बुद्धिस्त सर्किट बनाया। उस सड़क के बिल्कुल किनारे बुद्धिस्त सर्किट है, क्या आप वहां पर्यटन को प्रभावित करने के लिए कोई अन्य सुविधाएं जोड़ेंगे?

श्री नितिन जयराम गडकरी: अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पर्यटन मंत्रालय नहीं है। श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, जो इस विभाग के मंत्री हैं, उनको आप इस बारे में सूचना दीजिए। कनेक्टिविटी के लिए, अगर वहां रोड

पहुंचाने की जरूरत पड़ती है तो मैं मार्ग निकालूंगा, लेकिन यह विषय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के पास है, वे जरूर आपको सहयोग करेंगे।

श्री सुधीर गुप्ता : माननीय मंत्री जी, आपने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के रूप में एक अभिनव सौगात दी है और यह अभिनव सौगात देश में स्वर्णिम युग की ओर परिवर्तन करने वाला बहुत बड़ा कारण बनेगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि जो मुआवजे के प्रश्न पर किसानों के बीच में कहीं-कहीं परिस्थितियां आती हैं, उनमें क्या हम किसी अतिरिक्त रिलैक्सेशन का प्रयास करेंगे?

श्री नितिन जयराम गडकरी: सर, अतिरिक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि लैंड एक्वीजीशन में अब ऐसी स्थिति आ गई है कि मेरे पास रोज तीन-चार ऐसे डेलीगेशन्स आते हैं, जो बोलते हैं कि सड़क के लिए हमारी लैंड एक्वायर लीजिये। लैंड मत लो, इसके लिए वे नहीं आते हैं। इसका कारण यही है कि मार्केट प्राइस से हम सवा गुना या डेढ़ गुना ज्यादा प्राइस दे रहे हैं और केवल हमारा पैसा चेक से मिलता है। यह प्राइस तय करने का अधिकार मिनिस्ट्री का नहीं है, जो आपके राज्य के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उनको लैंड एक्वीजीशन के लिए मार्केट कास्ट और उसके फार्मूले के आधार पर प्राइस तय करने का अधिकार है। जो कास्ट वे तय करेंगे, वह कास्ट हम देंगे। हमारी तरफ से एडिशनल प्राइस देने का न कानून में प्रोविज़न है, न ऐसा कुछ कर सकते हैं। कल ही मैंने मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे का रिव्यु किया है, अब आपके यहां मध्य प्रदेश में कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई है। लगभग **60-70** प्रतिशत लैंड एक्वायर हो गई है। करीब **1300** किलोमीटर में से करीब **450** किलोमीटर के काम दे दिए गए हैं, कुछ काम शुरू हो गए हैं और मेरा यह प्रयास है कि एक लाख करोड़ रुपये का यह एक्सप्रेस हाइवे, अगले पांच वर्ष के बजाय, जब साढ़े तीन वर्ष पूरे होंगे तो देश को यह एक्सप्रेस हाइवे समर्पित होगा। मैं डेली इस पर ध्यान देता हूं। आपका यह काम जल्दी से जल्दी होगा, अगर लैंड एक्वीजीशन की कोई समस्या हों तो आप जिलाधिकारी और उसके बाद हायर अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हमारे विभाग की ओर से हो तो आप मेरे पास आइए।

श्री गजानन कीर्तिकर : अध्यक्ष महोदय, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग - 66 दिसम्बर, 2018 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अभी तक इस राष्ट्रीय राजमार्ग का अधिकतम काम अधूरा पड़ा है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग

के अंतर्गत रायगढ़, रत्नागिरी और सिन्धुदुर्ग जिले आते हैं। इन जिलों में रहने वाले लोग, गोवा और महाबलेश्वर तक जाने वाले पर्यटक बड़ी संख्या में हैं, जो इस राष्ट्रीय राजमार्ग का आवागमन हेतु उपयोग करते हैं। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के समय से पूरा न होने के कारण प्रतिदिन लोगों के सामने परेशानियां आ रही हैं।

महोदय, सरकार ने इस राजमार्ग के अन्तर्गत महाराष्ट्र के इन्दापुर से कसाडी के लिए 1240 करोड़ रुपये, कसाडी से ओजरखाल के लिए 1027 करोड़ रुपये, ओज़रखाल से राजापुर के लिए 907 करोड़ रुपये और राजापुर से ज़ारप के लिए 960 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, जिसमें किसानों की जमीन का मुआवजा भी शामिल था, किन्तु इनमें से कई किसानों को सरकार अब तक पूरा मुआवजा नहीं दे पाई है। अत: मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस परियोजना के समय पर पूरा न होने के लिए कौन-कौन से ठेकेदार जिम्मेदार हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आवश्यक नहीं है कि आप पूरा पढ़ें। आपको जो प्रश्न पूछना है, वह पूछिए।

श्री गजानन कीर्तिकर: प्रश्न अभी लास्ट में आ रहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न लास्ट में नहीं, पहले प्रश्न पूछा कीजिए।

श्री गजानन कीर्तिकर: मंत्री जी को मालूम है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है? सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे जिम्मेदार कांट्रेक्टर है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? इस परियोजना से संबंधित सभी किसानों को जमीन के मुआवजे देने का काम सरकार कब तक पूरा करेगी और यह काम कब तक पूरा हो जाएगा?

श्री नितिन जयराम गडकरी : अध्यक्ष महोदय, मुंबई-गोवा बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। माननीय सदस्य ने जिसका उल्लेख किया है, जब महाराष्ट्र में यूपीए की सरकार थी और केन्द्र में भी यूपीए की सरकार थी, तब वह काम दिया गया था। श्री भुजबल साहब उस समय पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर थे। आपने जिस कांट्रेक्टर का नाम लिया है, हम ने उसको टर्मिनेट किया। अभी तक मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए 25 मीटिंग की हैं और एक कांट्रेक्टर को हाथ जोड़ कर लाया और उसको काम देकर, स्टेट बैंक के साथ बात करके,

धीरे-धीरे मार्ग निकाल कर, वह भी काम लगभग पूरा हुआ है। श्री तटकरे जी यहां बैठे हैं जो आपके यहां के सदस्य हैं। कितनी मीटिंग्स और तकलीफ हुई है, यह इनको पता है। यह उनके ही कार्यकाल का है, जो पाप मैं झेल रहा हूं। मैंने उसको पूरा सुलझा दिया है। वहां बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं।

माननीय सदस्य जी, काम डिले होता है, उसका कारण है कि इस देश में काम करो, यह कहने के लिए कोई नहीं आता है। जो भी आता है, वह कहता है कि काम बंद करो। लैंड एक्वीजीशन नहीं होता है, कोर्ट स्टे दे देती है, एन्वायरममेंट – फारेस्ट वाले स्टे दे देते हैं। पेड़ काटने के लिए कलेक्टर से अनुमति नहीं मिलती है, बिजली के काम नहीं निकाल सकते हैं। इसमें काफी समय चला जाता है। वैसे सिंधु दुर्ग से गोवा तक का पैकेज लगभग पूरा होने को आया है और काफी पैकेज पूरा हुआ है। हम इस दिसम्बर के अंत तक इसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह माननीय तटकरे जी बताएंगे कि जो उनके यहां फंसा हुआ रोड था, उसका काफी काम हो गया है, हाथी लगभग निकल गया है और पूंछ बाकी रह गई है।

मेरा इतना ही कहना है कि इस हाईवे के लिए जो कुछ प्रोब्लेम्स आए , वे कांट्रेक्टर के कारण नहीं आईं। अगर हम कांट्रेक्टर को जमीन नहीं देंगे तो वह मशीन लेकर खड़ा रहेगा। अब लगभग सभी प्रोब्लेम्स निपटा ली गई हैं। आप लैंड एक्वीजीशन के प्रॉब्लम के बारे में बोल रहे हैं, आप बताइए कि किसकी प्रॉब्लम है**? 100** प्रतिशत प्रॉब्लम रेसोल्व कर दी गई हैं। अगर इसके बाद भी आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास उसे ले आइए, मैं उसे सुलझा दूंगा। दिसम्बर अंत तक मुंबई-गोवा का काम पूरा होगा।

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना हमारा अधिकार है, हमें यह अधिकार दीजिए। आप हमारा अधिकार नहीं छीनें।...(व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 84 और 89)

[अनुवाद]

कुमारी राम्या हरिदास: महोदय, वायनाड, इडुक्की, पालक्काड़ और कुछ अन्य पर्यटन स्थलों पर हवाई पट्टियों का निर्माण करने और प्रसिद्ध तीर्थस्थल सबरीमाला में एक विमानपत्तन बनाने का केरल सरकार का एक प्रस्ताव था। केरल में जनसंख्या का घनत्व अधिक है और वाहनों की संख्या भी बहुत अधिक है। जैसा कि आप जानते हैं, वहाँ पर्याप्त सड़क और रेल संपर्क नहीं हैं। अत:, मेरा प्रश्न यह है कि क्या भारत सरकार इन पर्यटन और तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए हवाई पट्टी या रनवे के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता देगी?

श्री हरदीप सिंह पुरी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमने पहले ही 174 मार्गों और 39 क्षेत्रीय संपर्क हवाईअड्डों का संचालन शुरू कर दिया है। प्राप्त होने वाले सभी प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। यह भूमि की उपलब्धता, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायतों पर निर्भर करता हैं। हमारे पास पहले से ही ऐसे 100 प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इन 100 प्रस्तावों का विवरण मुख्य प्रश्न के अनुबंध में सूचीबद्ध है जिसका उत्तर दिया जा चुका है।

मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि हमें उन अतिरिक्त प्रस्तावों पर विचार करने में बहुत खुशी होगी। लेकिन जैसा कि मैं कहता हूं, हवाई अड्डे का निर्माण कार्य एक साझे प्रयास के तहत किया जाता है। इनमें से कई, राज्य सरकारों की परियोजनाएं हैं। उनमें से कुछ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं। उनमें से कुछ निजी-सरकारी भागीदारी वाली परियोजनाएं हैं। इनमें से प्रत्येक मामले में, जब कोई हवाई अड्डा स्थापित किया जाता है, तो निजी हवाई कंपनियां यातायात की मांग और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में व्यवहार्यता का पता लगाती हैं।

केंद्र और राज्य सरकार दोनों अलग-अलग प्रकार की रियायतें देती हैं। उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार विमानन टरबाइन ईंधन पर रियायत देती है; राज्य विमानपत्तन प्रचालक लैंडिंग और पार्किंग शुल्क नहीं लगाते हैं। इस प्रकार, अनेक रियायतें हैं जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और अन्य द्वारा प्रदान की जाती हैं। हमें अतिरिक्त प्रस्तावों पर विचार करने में खुशी होगी, लेकिन अंत में, उन्हें व्यवहार्यता और

मूल्यांकन पर खरा उतरना होगा कि क्या इससे अपेक्षित यात्रियों की संख्या उपलब्ध हो पाएगी जिसकी आवश्यकता होगी।

कुमारी राम्या हरिदास: विश्व युद्ध के समय, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और भारत के कई अन्य हिस्सों में सैन्य उद्देश्य के लिए बड़ी संख्या में हवाई पट्टियों का निर्माण किया गया था। क्या सरकार के पास उड़ान योजना के अंतर्गत इन हवाई पट्टियों का पुनरुद्धार करने का कोई प्रस्ताव है?

श्री हरदीप सिंह पुरी: मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि हम बड़ी संख्या में ऐसी बंद पड़ी और क्षमता से कम प्रचालित हवाई पट्टियों के बारे में विचार कर रहे हैं। इनमें से कई का बहाल किया गया है और ऐसा अनुमान है कि इनमें से कई मौजूद हैं। इनमें से कुछ केवल रिकॉर्ड बुक में मौजूद हैं। वहां वनस्पति या कुछ अन्य हो सकता है। लेकिन इनमें से 100 से अधिक की पहचान कर ली गई है। मुख्य प्रश्न के उत्तर के संलग्नक में अनुमानित तिथियां दी गयीं हैं जब इन पर कार्य शुरू किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री सुमेधानन्द सरस्वती: अध्यक्ष जी , माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है, मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं राजस्थान के शेखावाटी अंचल के सीकर क्षेत्र से चुनकर आता हूं। सीकर ऐसा लोक सभा क्षेत्र है, जिसे ओपन आर्ट गैलरी के रूप में जाना जाता है। जहां के कई शहरों को देखने के लिए, हवेलियों को देखने के लिए देश-विदेश से अनेक यात्री आते हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी, शाकंभरी और हर्षनाथ का पर्वत बहुत ही ऐतिहासिक स्थान हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सैनिकों की दृष्टि से भी सीकर लोक सभा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पूरी सेना के लगभग एक लाख सैनिक हमारे तीन जिलों से हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सीकर के अंदर 'उड़ान योजना' के अंतर्गत हवाई पट्टी बनाने का विचार है?

[अनुवाद]

श्री हरदीप सिंह पुरी: मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि जहां तक 100 बंद पड़ी या क्षमता से कम प्रचालित हवाई पट्टियों की पहचान का प्रश्न है, ऐसी हवाई पट्टियां बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, उत्तरलाई और कोटा में हैं। यदि अतिरिक्त मांगें आनी थीं तो ये राज्य सरकार से आएंगी- हमें इन पर विचार करने में खुशी होगी। बशर्ते कि मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा कि संबंधित निर्णय भूमि और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। जैसा कि मैंने कहा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सभी इनमें से प्रत्येक अनुरोध की जांच करने के लिए हमारे संसाधनों/जानकारियों को एकत्र करेंगे।

माननीय अध्यक्ष: श्री ए. राजा।

श्री ए. राजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि क्रम संख्या 89 पर मेरे नाम से एक प्रश्न है; मेरे विचार से प्रश्न 89 और यह प्रश्न एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन **89** को क्लब कर दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री ए. राजा (नीलगिरी): माननीय मंत्री जी से मेरे दो प्रश्न हैं। पहला , माननीय मंत्री जी ने सभा के समक्ष बताया कि वे हवाई मार्गों के सफलतापूर्वक काम करने की क्षमता की तलाश कर रहे हैं। इसके बाद, वे अनुमति दे रहे हैं। कोयम्बटूर हवाई अड्डे का उदाहरण लें। मेरी जानकारी में आया है कि कुआलालम्पुर-बैंकॉक-दुबई मार्ग के लिए आवेदन पिछले 10 वर्षों से लंबित हैं। उचित अभ्यास के बाद अधिकारियों द्वारा व्यवहार्यता प्रतिवेदन विधिवत प्रस्तुत की गई थी। इसके बावजूद कोयम्बटूर हवाई अड्डे के लिए अनुमति नहीं दी गई है। प्रश्न 89 के अंतर्गत मेरा मुख्य प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी कहते हैं कि सी.ऐ.पी.ई.एक्स.के रूप में 25,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ओ. पी.ई.एक्स. में कुछ भी नहीं है। पूंजीगत व्यय और परिचालन व्यय के बीच, कई हवाई मार्ग आपस में जुड़े हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि मंत्रालय 50,000 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है और यदि वह प्राधिकारियों के समक्ष

आवेदनों के लंबित होने के बावजूद कोयम्बटूर हवाई अड्डे और अन्य हवाई अड्डों को जोड़ने में सक्षम नहीं है, तो परिचालन व्यय क्या होगा? मंत्रालय इसे कैसे पूरा करेगा जब वह विमानों को अनुमति ही नहीं दे रहा है?

श्री हरदीप सिंह पुरी: घरेलू विमान देश में किन्हीं दो स्थानों के बीच उड़ान भर सकते हैं और तमिलनाडु राज्य तथा अन्य सभी राज्य बहुत बड़ी संख्या में उड़ानों से जुड़े हुए हैं। भारतीय विमानन कंपनियों को किसी भी भारतीय हवाई अड्डे से अन्य हवाई अड्डों के लिए उड़ान भरने की परिचालन स्वतंत्रता है। समस्या भारत में आने वाली विदेशी विमानन कंपनियों को लेकर है। यह द्विपक्षीय विमान सेवा करारों द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसमें प्राप्त और प्रदान की जाने वाली रियायतों के संतुलन सहित कई अन्य बातों की भूमिका होती है। जहां तक किसी विशेष विमानपत्तन के बारे में विशिष्ट मुद्दों का संबंध है, हमारे पास बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

उदाहरण के लिए, मदुरै और अन्य क्षेत्रों के माननीय सदस्य चाहते हैं कि और अधिक विदेशी विमानन कंपनियां आएं। लेकिन सरकार अपने विकल्पों का प्रयोग करते हुए द्विपक्षीय विमान सेवा करार पर विचार कर रही है। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय केंद्रों (हब) का विकास हुआ है। भारत के बहुत निकटवर्ती देशों में ऐसे हब विकसित हो रहे हैं। वे दक्षिणी राज्यों सहित हमारे देश से यात्रियों को नहीं ले जा रहे हैं। ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और अन्य स्थानों की ओर आगे जाने वाले यात्री होते हैं। इसलिए हमारी नीति हमेशा से यह सुनिश्चित करने की रही है और रहेगी कि हमारी विमानन कंपनियों को अधिकतम संख्या में यात्री मिलें। इसके लिए उन्हें बड़े आकार के विमान आदि शामिल करने होंगे। लेकिन, हम बातचीत करने और द्विपक्षीय कार्य करने में भागीदार होने से खुश हैं। मैंने यह पहले भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जब दूसरा देश हमारे हवाई समझौते में अनुमत उड़ान सीमा का 100% उपयोग करता है, और हम 80% या उससे अधिक उपयोग कर रहे हैं, तो हम अधिक उड़ानों की अनुमति देने के बारे में सोचने के लिए तैयार होंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में हमारी विमानन कंपनियों को न्यायसंगत और उचित हिस्सा मिलना चाहिए।

श्रीमती हेमा मालिनी : यद्यपि नागर विमानन मंत्री ने काफी कुछ स्पष्ट किया है, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि क्या यह सच है कि उड़ान, 'उड़े देश का आम नागरिक' या क्षेत्रीय संपर्क योजना की सफलता दर इसके कार्यान्वयन के पहले दो चरणों में बहुत कम रही है। मैं यह भी कहना चाहूँगी कि क्या दो चरणों के अंतर्गत 14 प्रमुख और नई हवाई कंपनियों को आबंटित 440 हवाई मार्गों में से मात्र 40 से 50 मार्गों पर ही उड़ानें नियमित रूप से प्रचालित हो रही हैं। यदि ऐसा है, तो उड़ान के आगामी चरणों में अधिकतम सफलता दर प्राप्त करने और यह देखने के लिए कि शत-प्रतिशत मार्ग नियमित रूप से संचालित हों, सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

श्री हरदीप सिंह पुरी: मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि सच वास्तव में निम्नवत हैं: उड़ान योजना के अंतर्गत 39 हवाईअड्डों को जोड़ते हुए 174 मार्गों का संचालन किया गया है। बोली के तीन दौर समाप्त हो चुके हैं। यह पूरी तरह से संभव है, जैसा कि अनुभव रहा है, कि एक विशेष विमानन कंपनी बोली लगाती है और फिर उसे संचालित करना मुश्किल लगता है। ये सभी निजी कंपनियां हैं। सरकार, कार्यकारी कार्रवाई के माध्यम से, एक निजी कंपनी को दो जगहों के बीच यातायात ले जाने के लिए अधिदेशित नहीं कर सकती है। ये निजी विमान कंपनियां हैं। व्यवहार्यता है या नहीं यह उनके द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अक्सर, सामान्य मामले में ऐसा होता है - कोई किसी परियोजना के लिए बोली लगाता है और बोली लगाने के बाद, जब वे देखते हैं कि यह प्रचालनीय नहीं है या उपलब्ध यातायात के बारे में जिस तरह का आकलन किया गया था वैसा वास्तव में नहीं है तब वे उस संबंध में दोबारा विचार करते हैं।

डॉ. शशि थरूर (**तिरुवनंतपुरम**): आप सब्सिडी प्रदान करते हैं।

श्री हरदीप सिंह पुरी: हां, हम सब्सिडी प्रदान करते हैं। जैसा कि मैंने पहले एक प्रश्न के उत्तर में कहा था, दोनों केंद्र और राज्य सरकारें सहायता प्रदान करती हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। पूर्वोत्तर के राज्यों में से एक के मुख्यमंत्री के साथ दो दिन पहले हुई बैठक में उन्होंने बताया कि उन्होंने सहायता प्रदान की है और यह नियमों के तहत परिकल्पित किया गया है कि विमान कंपनी को व्यवहार्यता अंतर की निधि प्रदान की जाएगी । बिल्कुल यही व्यवस्था की गई है। मै माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ऐसा भी संभव है कि सभी प्रकार के सहयोग के वादे तथा हवाई-अड्डा प्रभार, अन्य सुविधाओं और विशेष छूट के

आश्वासन के बाद भी निजी ऑपरेटर पीछे हट जाए, ऐसे मामले में हमें, दूसरी और तीसरी बार बोली का आयोजन कराना पड़ता है।

मुझे इस कार्य का केवल दस दिन का अनुभव है। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि उड़ान योजना ने काफी अच्छा काम किया है। वास्तव में, माननीय सदस्यों की ओर से मांग बढ़ रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस मूल उद्देश्य के लिए यह योजना स्थापित की गई थी, वह भलीभांति पूरा हो जाएगा।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): महोदय, मेरा प्रश्न प्रश्न सं. 89 से संबंधित है जिसे प्रश्न 84 के साथ सम्बद्ध किया गया है। हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के संबंध में एक सूची प्रस्तुत की गई है। मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल का बागडोगरा हवाई अड्डा पूर्वोत्तर भारत के सातों राज्यों का प्रवेश द्वार है। यदि आप पूर्वोत्तर क्षेत्र में कहीं भी जाना चाहते हैं, तो आपको बागडोगरा हवाई अड्डे का उपयोग करना होगा।

अत:, यह सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डों में से एक है जो अच्छी स्थिति में नहीं है। क्या आप पश्चिम बंगाल के बागडोगरा विमानपत्तन के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करेंगे?

श्री हरदीप सिंह पुरी: तारांकित प्रश्न संख्या 89 के उत्तर में हवाई अड्डों पर पहले से ही किए गए निर्माण कार्यों और उन पर होने वाले खर्चों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया गया है।

हम हमेशा अतिरिक्त हवाई अड्डों के संबंध में विचार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, प्रस्ताव राज्य सरकार से विनिर्दिष्ट तरीके से आना चाहिए। फिर हमें यह देखना होगा कि व्यय क्या होगा और तदनुसार, हम उस पर विचार करेंगे। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि भारत में विभिन्न स्थान प्रवेशद्वार की तरह हैं। यदि आप पश्चिम और उत्तर-पूर्व से आते हैं, तो आपके पास प्रवेशद्वार है। मैं इनमें से कुछ के भौगोलिक और रणनीतिक महत्व को पूरी तरह से मानता हूं। एक आदर्श दुनिया में जिसमें संसाधन असीमित हैं, कोई भी एक साथ बड़ी संख्या में हवाई क्षेत्र के आधुनिकीकरण के बारे में सोच सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, हमें बागडोगरा हवाई अड्डे के लिए प्रस्ताव प्राप्त करके बहुत खुशी होगी। मैं इसके लिए आभारी रहूंगा। राज्य सरकार को लगभग सौ एकड़ भूमि उपलब्ध करानी है। विमानपत्तन प्राधिकरण ने पहले ही 800 करोड़ रुपये के खर्च के साथ इस परियोजना को निष्पादित करने की योजना

बनाई है। मुझे लगता है कि इससे आप संतुष्ट होंगे। मेरे पास अद्यतन तथ्य हैं और मैं इस बात को बहुत महत्व देता हूं। मुझे इस कार्य का केवल दस दिन का अनुभव है। लेकिन मेरा उत्तर बागडोगरा के लिए भी वैसा ही है, जैसा किसी अन्य हवाई अड्डे के लिए है। यह राज्य सरकार है जिसे भूमि प्रदान करनी है और फिर हम व्यवहार्यता और अपेक्षित वित्तपोषण के बारे में छानबीन करेंगे। फिर हम देखेंगे कि उस पैकेज को एक साथ कैसे रखा जाए।

(प्रश्न संख्या 85)

[हिन्दी]

श्री अनिल फिरोजिया: माननीय अध्यक्ष जी , मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं। मंत्री जी ने पूरा उत्तर तो दिया है, लेकिन मेरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या देश की जनता के लिए पुन: वायु निगम अधिनियम चालू किया जा सकता है?

माननीय मंत्री जी ने बताया कि वर्ष 1995 का अधिनियम उन्होंने समाप्त कर दिया है। क्या उसको चालू किया जा सकता है, जिससे देश की जनता से मनमाने तरीके से वसूला जा रहे किराये पर लगाम लगाई जा सके? …(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री हरदीप सिंह पुरी: मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बैठ जाइए, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री अनिल फिरोजिया : अध्यक्ष जी, मंत्री जी हिन्दी में उत्तर देंगे, तो ठीक रहेगा। …(*व्यवधान*)

श्री राजीव प्रताप रूडी : आप इंटरप्रिटेशन लगाइए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको सप्लीमेंट्री प्रश्न का और अवसर मिलेगा।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री अनिल फिरोजिया : अध्यक्ष जी, मंत्री जी हिन्दी में उत्तर दें। …(व्यवधान)

श्री हरदीप सिंह पुरी : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1994 तक सरकार एयर -फेयर्स तय किया करती थी। उसके बाद एक नई नीति आई। अब ये जो प्राइवेट कैर्रियर्स हैं, वे खुद तय करते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच में कितना एयर-फेयर होना चाहिए।

महोदय, अगर हम देखें कि वर्ष 2010 में क्या एयर-फेयर था और वर्ष 2019 में क्या एयर-फेयर हैं, हमने इसकी जांच की है। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि देश के अंदर जो मैन ट्रंक-रूट्स हैं, जैसे दिल्ली-मुंबई, दिल्ली-कोलकाता और बाकी जगह और जो इंटरनैशनल रूट्स हैं, अगर हम अप्रैल से लेकर पिछले चार महीनों को छोड़ दें, - अप्रैल में एक बड़े कैरियर ने ऑपरेशन सीज कर दिया था - तो पिछले दस सालों में दाम नहीं बढ़े हैं। अगर दिल्ली-मुंबई का एवरेज फेयर 5,100 रुपये था, तो वह अभी भी उतना ही है। दिल्ली-लंदन और दिल्ली-एम्सटर्डैम और रिटर्न का किराया कहीं पांच डॉलर बढ़ा है, कहीं कम हुआ है। ये एयर-फेयर सरकार तय नहीं करती है। ये एयर-फेयर प्राइवेट कैर्रियर्स खुद डिटरमिन करते हैं। हम सिर्फ यही देखते हैं कि एयर कैरिएर जो दाम तय करें, वह उसको अपनी वैबसाइट पर लगाए, ताकि एक्चुअल चार्ज किया गया फेयर वैबसाइट के फेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए यह आरबिटरेरी शब्द इस्तेमाल करना; माननीय सदस्य के पास कुछ कारण हो सकते हैं लेकिन यह बाजार की स्थिति पर आधारित है। अगर चार कैरियर एक रूट में जा रहे हैं, वे एक-दूसरे के साथ कम्पटीशन करेंगे और जो कम्पटीशन रूट होगा, इसी कारण एयर लाइन्स बहुत कम मार्जिन पर ऑपरेट करती है और उनकी अन्य समस्याएं होती हैं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य कोई सप्लीमेंट्री हो तो पूछें। यदि नहीं है तो जरूरत नहीं है।

श्री अनिल फिरोजिया: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी की भी मंशा है कि आम आदमी को भी हवाई यात्राओं का लाभ मिले। क्या सरकार इसके लिए कुछ कदम उठाएगी?

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री, उनका कहना है कि दाम कम करने के लिए या रेट कम करने के लिए क्या सरकार कदम उठाएगी?

श्री हरदीप सिंह पुरी: मैं ऑनरेबल मेंबर को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी यही कोशिश रहती है कि जो कन्जूमर हैं, हमारे नागरिक हैं, उनको जितने कम एयर-फेयर पर ट्रेवल करने की सुविधा दी जाए, उतना ही अच्छा है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि पिछले बीस वर्ष का, मैंने कल शाम को अपने अधिकारियों के साथ बैठकर कम्पेयर किया कि वर्ष 2019 के जो फेयर हैं और पिछले एक वर्ष को साथ लेकर, पिछले दस वर्ष, पिछले बीस वर्ष के कम्पेयर किए हैं तो बाकी कास्ट ऑफ़ लिविंग बढ़ती जा रही है, लेकिन एयर-फेयर खास नहीं बढ़ा है। इसलिए प्रधान मंत्री जी का जो ड्रीम है, जो उन्होंने कहा है कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सफर है, हम इसका समर्थन करेंगे और हम इसे लागू करेंगे।

श्री दिलीप शईकीया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे प्रश्न संख्या 85 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय प्रधान मंत्री जी का जो सपना है कि सबको हवाई उड़ानों में भागीदार बनाए। उड़ान, जो योजना भारत सरकार चला रही है, उसमें नॉर्थ-ईस्ट को काफी लाभ पहुंचा है, लेकिन जितना लाभ मिलना चाहिए था, उतना लाभ नहीं मिल रहा है।

मेरा मंत्री से प्रश्न है कि मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरस्त किए जाने के बाद प्राइवेट हवाई कंपनियों की प्रतिस्पर्धा के कारण हवाई किराया लगातार बढ़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सीधा प्रश्न पूछें।

श्री दिलीप शईकीया: मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि क्या सरकार इस प्रकार की कोई प्रणाली अथवा नीति लाने पर विचार कर रही है, जिससे कि सभी रूटों पर सरकार द्वारा हवाई कंपनियों के खर्च के आधार पर किराया सुनिश्चित किया जाए, जैसे भारतीय रेलवे करता है? अगर कोई भी कंपनी तय किराये से ऊपर किराया वसूलती है तो उस पर सख्त कानून का प्रावधान तय हो सके, जिससे इस प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में उपभोक्ताओं का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जा सके।

माननीय अध्यक्ष : बस कीजिए, बहुत अच्छा है। मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री हरदीप सिंह पुरी: माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि दोनों स्थितियां एक जैसी नहीं हैं। भारतीय रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का सेवा प्रदाता है जबकि एयरलाइंस निजी क्षेत्र में काम कर रही हैं।

दूसरी बात, नागर विमानन महानिदेशालय में मेरे अधिकारी हर महीने विमान कंपनी के साथ बैठक करते हैं और वसूले जा रहे विमान किरायों की समीक्षा करते हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि उन चर्चाओं के परिणामस्वरूप प्रभावी निगरानी होती है। इस वर्ष अप्रैल में एक बड़ी विमानन कंपनी ने परिचालन बंद कर दिया। इसीलिए, विमान किराये में बढ़ोतरी हुई है लेकिन यह सामान्य हो गया है। जब उस विमानन कंपनी ने परिचालन बंद किया था, तब 540 विमान उड़ रहे थे। आज, हमारे 516 से अधिक विमान उड़ रहे हैं और हम हर महीने 20 विमान जोड़ रहे हैं। जैसे-जैसे हम अपनी वर्तमान स्थिति से पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में प्रवेश करेंगे और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, हवाई यात्रा की मांग बढ़ेगी। हवाई यात्रियों की संख्या में प्रति वर्ष 16 से 17 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है। मुझे इस वृद्धि की उम्मीद है। इससे विमान किराये का भी फायदा होगा और उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा।

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी): माननीय अध्यक्ष, मैं आपका अंतर्मन से आभारी हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दो वर्ष पहले, जब दिल्ली-चंडीगढ़ राजमार्ग दंगों के कारण बंद कर दिया गया था, तो 30 मिनट की इस उड़ान पर किराया बढ़कर 90,000 रुपये तक हो गया था। हाल ही में ओडिशा फानी चक्रवात से प्रभावित हुआ था और विमान किराया बढ़कर 60,000 रुपये से 65,000 रुपये तक चला गया था।

माननीय मंत्री जी एक बहुत ही सक्रिय मंत्री हैं और उनके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय का प्रभार है। माननीय मंत्री जी अत्यंत गतिशील मंत्री हैं और उनके पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रालय का प्रभार है। कृपया विचार करें कि ऐसे आपदा के समय में ऐसे आपदा मुक्त मार्ग होने चाहिए जिन पर एक हफ्ते या एक पखवाड़े के लिए प्रभार की उच्चतम सीमा तय की जाए जिससे अधिक प्रभार न वसूला जा सके और ऐसे कठिन समय में निजी कंपनियों को लगातार अधिक से अधिक मुनाफा बनाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।

श्री हरदीप सिंह पुरी: मैं माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए इस अत्यंत आवश्यक प्रश्न का बिल्कुल स्पष्ट उत्तर देना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विमान कंपनियां विभिन्न वर्गों में अपने किराये निर्धारित करती हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे वर्ग हैं, जहां सबसे न्यूनतम किराया 5000 रुपये है और उच्चतम किराया 45,000 रुपये है। अब निरपवाद रूप से यह होता है कि यदि आप ए.पी.ए.सी. प्रणाली का पालन कर रहे हैं, तो आपके सामने ऐसी स्थिति होगी जहां लोग एडवांस में 5000 रुपये की टिकट बुक कर लेते हैं। अब, जिस प्रकार की *विपरीत स्थिति* का माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया है, जहां मान लेते हैं, जमीनी रास्तों पर किसी प्रकार नागरिक उपद्रव हो जाता है और केवल सीमित संख्या में फ्लाइट उपलब्ध हैं, तो अचानक सीटों की मांग बढ़ जाती है और चूंकि एक वर्ग का टिकट पहले से ही पूरी तरह बुक है, लोग आगे आकर सबसे महंगी सीटें खरीदेंगे। अब, यह मुनाफाखोरी है या प्रणाली में इसका प्रावधान किया गया है, यह अलग मामला है। लेकिन, मैं माननीय सदस्य को बताऊंगा ...(*व्यवधान*) क्या मैं अपना उत्तर पूरा कर सकता हूं? ...(*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय : माननीय मंत्री जी, क्या आप इसे उचित ठहराने का प्रयास कर रहे हैं? ...(*व्यवधान)*

श्री हरदीप सिंह पुरी: मैं किसी भी बात को सही ठहराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं पहले यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह प्रणाली कैसे संचालित होती है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं। ...(*व्यवधान*)मैं माननीय सदस्य गण को स्पष्टीकरण दे सकता हूं, विशेष रूप से विपक्ष के सदस्यों को, यदि वे अपने उत्साह पर थोड़ा काबू रख पाएं, हम हमेशा सर्वाधिक कठिन समस्याओं का भी समाधान निकाल सकते हैं। हम विमानन कंपनियों के साथ बैठकर उन्हें बता सकते हैं कि विशिष्ट परिस्थितियों में जहां चक्रवात या प्राकृतिक आपदा है, या मानव निर्मित स्थिति है ...(*व्यवधान*) यदि आप मुझे अपनी बात रखने की अनुमति देते हैं, तो मैं वास्तव में आपको संतुष्ट करने में सक्षम हो सकता हूं और मैं आपको वह बताने में सक्षम हो सकता हूं जो आप चाह रहे हैं। लेकिन अगर व्यवधान होगा तो ...(*व्यवधान)*

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : कोई व्यवधान नहीं है ...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री राजीव प्रताप रूडी।

श्री हरदीप सिंह पुरी: यदि आप एक अधिकतम सीमा तय करते हैं, तो मुझे संदेह है कि न्यूनतम किराये की बजाए क्या होगा...(*व्यवधान)* मेरी शंका है कि मेरे दोस्त जो मांग उठा रहे हैं वह प्रतिकूल साबित होगी। आप अधिक किरायों का भुगतान करेंगे क्योंकि यदि आप एक सीमा तय करते हैं, यदि आप उच्च सीमा तय करते हैं, तो लोग निम्न किराये का लाभ नहीं उठा पाएंगे और उन्हें उच्च किराया देना होगा और यह लाभकारी नहीं होगा। आपको आखिरकार अधिक किराया देना होगा। इसलिए, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं (*व्यवधान*) यदि आप एक अधिकतम सीमा तय करते हैं, तो लोगों की प्रवृत्ति हमेशा अधिकतम सीमा का भुगतान करने की हो जाएगी। ...(*व्यवधान*) मेरे विचार में ...(*व्यवधान*)

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, माननीय मंत्री जी सभा को गुमराह कर रहे हैं ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री राजीव प्रताप रूडी जी।

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो विषय उठा रहे हैं, …(व्यवधान)। सर, इसी प्रकार के शोर-शराबे में सरकार ने पहले भी उत्तर दिया था और जो प्रश्न में उत्तर दिया गया है, इसमें ब्रैकेट की चर्चा की गई है और मूलत: यह बात बिल्कुल सही है कि हवाई कंपनियाँ अपने हिसाब से अपना दाम रखती हैं। जो प्रश्न आया और जो उत्तर दिया गया है, इस प्रकार से इसकी चर्चा पूरी नहीं की जा सकती है ।

महोदय, यह अपने-आप में एक बड़ा विषय है। भारतवर्ष में जहाँ कम्पाउण्डेड ग्रोथ रेट 10 फीसदी है और दूसरी तरफ एक एयर लाइन, जिसकी क्षमता मार्केट में 20 प्रतिशत थी और क्षमा कीजिएगा, वर्ष 2003 में जब यह लो कास्ट एयर लाइनकी लाई गई, तो उस समय की सरकार में मैं मंत्री था।

<u>मध्याह्न 12.00 बजे</u>

यह नीति लाई गई जो उस समय से बढ़कर आज हम यहां तक पहुंचे हैं। मंत्री जी हल्ला-गुल्ला में उत्तर दे रहे हैं। डीजीसीए ने जो रास्ता बताया है, वह अपने में विवादपूर्ण है। क्योंकि जो ब्रैकेट बनाना है …(व्यवधान) एयर लाइन 10 हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक रखेगी और उस ब्रैकेट में आने के बाद सबसे बड़ा विषय है कि अगर 20 प्रतिशत मार्केट शेयर वाली कोई विमान कम्पनी बंद हो जाती है तो

स्वाभाविक रूप से दूसरी विमान कंपनी पैसा बनाना शुरू कर देंगी। जब माननीय मंत्री जी एयर इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि वह अपना दाम कम करे तो भला दूसरी एयर लाइन्स को कैसे करेंगे? इसलिए नीतिगत रूप से यह गलत है …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, तदापि इनके लिए आज की कार्रवाई में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसर पर उठाया जा सकता है। इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, हमें भी तो कोई मामला उठाने दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : क्या है?

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, आप जानते हैं कि यह सरकार फौजों का नाम लेकर सत्ता में आयी है और सत्ता में आने के बाद ये फौजों के ऊपर अन्याय कर रही है। नि:शक्त फौजियों को जो पेंशन मिलती है, उसके ऊपर इन्होंने कर लगाना शुरू किया है। उनसे कर वसूला जा रहा है। मैं समझता हूं कि इससे हमारी फौजों का अपमान हो रहा है …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर – 3, श्री रतन लाल कटारिया।

*प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 86 से 88 तथा 90 से 100

अतारांकित प्रश्न संख्या 882 से 1111)

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>अपराह्न 12.02 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री रतन लाल कटारिया।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 42/17/19)]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 43/17/19)]

(5) वैपकोस लिमिटेड तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 44/17/19)]

अपराह्न 12.02 ½ बजे

कार्य मंत्रणा समिति के प्रथम प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): श्री प्रहलाद जोशी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 26 जून, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।"

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 26 जून, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अपराह्न 12.03 बजे

सरकारी विधेयक-पुर:स्थापित

(1) केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक, 2019*

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय शामराव धोत्रे): श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित और सहायता प्राप्त कतिपय केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था्ओं में, शिक्षकों के काडर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों के आरक्षण का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित और सहायता प्राप्त कतिपय केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में, शिक्षकों के काडर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों के आरक्षण का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2, दिनांक 27.06.2019 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

श्री संजय शामराव धोत्रे: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

<u>अपराह्न 12.04 बजे</u>

केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण)) अध्यादेश, 2019 के बारे में*

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय शामराव धोत्रे): मैं केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 13) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2, दिनांक 27.06.2019 में प्रकाशित।

अपराह्न 12.05 बजे

सरकारी विधेयक- पुर:स्थापित...जारी

(2) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019*

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) : अध्यक्ष महोदय, डॉ. हर्ष वर्धन जी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अश्विनी कुमार चौबे : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2, दिनांक 27.6.2019 में प्रकाशित।

अपराह्न 12.06 बजे

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019* (2019 का संख्यांक 5) के बारे में विवरण*

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) : अध्यक्ष महोदय, **डॉ. हर्ष वर्धन जी की ओर से** मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 5) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2, दिनांक 27.6.2019 में प्रकाशित।

अपराह्न 12.07 बजे

सरकारी विधेयक- पुर:स्थापित... जारी

(3) दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019*

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) : माननीय **अध्यक्ष महोदय, डॉ. हर्ष वर्धन जी की ओर से** मैं प्रस्ताव करता हूं कि दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अश्विनी कुमार चौबे : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

...(व्यवधान)

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2, दिनांक 27.6.2019 में प्रकाशित।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. मोहम्मद जावेद।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लिस्ट पूरी होने के बाद बोलिएगा।

…(व्यवधान)

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज) : महोदय, मैं किशनगंज से चुनकर आया हूं और मेरे क्षेत्र में कई नदियां हैं, जैसे महानंदा डोक, कनकई कोल, रेतुआ, मेंची, रमजान। इनकी वजह से पानी तो मिलता है, लेकिन तबाही भी बहुत होती है। यूपीए सरकार के वक्त महानंदा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट चलाने की बात हुई थी। लेकिन पिछले पांच सालों में इस पर कोई नतीजा नहीं निकला है। आपको बताते हुए मुझे अफसोस हो रहा है कि हर मानसून में बाढ़ की वजह से हमारी हजारों एकड़ भूमि का नुकसान हो जाता है। कई स्कूल, मदरसे, ग्रेव यार्ड , मंदिर और मस्जिद भी ढह गए हैं।

मेरी आपके माध्यम से यह गुजारिश है कि इस महानंदा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट को फिर से चालू किया जाए, ताकि जो तबाही हुई है और हो रही है, उसको रोका जा सके।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभागृह का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र से रिलेटेड लोकल रेलवे सेवा पर आकर्षित कराना चाहता हूं। लोकल रेलवे सेवा मेरे संसदीय क्षेत्र की लाइफ लाइन है, परंतु पिछले कुछ दिनों से इस सेवा में किसी न किसी तरह का व्यवधान प्रतिदिन देखने को मिलता है। कभी रेलवे ट्रैक फ्रैक्चर हो जाता है, कभी पैन्टोग्राफ फेल्योर हो जाता है, तो कभी सिग्नल यंत्रणा में तांत्रिकी खराबी हो जाती है। खासकर ठंड और बारिश में रेलवे ट्रैक का बिगड़ना मानो एक आम बात हो चुकी है। बारिश में ट्रेनें रोज 10 से 15 मिनट लेट ही चलती हैं। सतत रूप से लेट चलने वाली ट्रेनों के कारण लाखों लोगों का लेटमार्क लगता है। प्रतिदिन 42,50,000 यात्री मध्य रेलवे के सेन्ट्रल हार्बर और ट्रांस-हार्बर मार्ग पर यात्रा करते हैं। रोजाना 1,772 लोकल सेवाएं इस उप-नगरीय रेल लाइन पर चलती हैं। पिछले एक महीने से ट्रेनें लगभग रोज लेट हो रही हैं।

महोदय, हर रविवार को वर्ष के 52 दिनों में मेगाब्लाक होता है। इसके बावजूद सब अर्बन रेलवे अपने नियमित समय पर नहीं चलती है।

मैं आपके द्वारा रेल मंत्री जी के संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि सब अर्बन रेलवे से सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है और सबसे ज्यादा जो समस्या है, वह इस सब अर्बन रेलवे की ही है। सप्ताह में पांच दिन इसका टाइम टेबल बिगड़ा रहता है।

अतः मेरे कुछ सुझाव हैं कि जो पानी की समस्या है और बारिश में जो ट्रेनें लेट होती हैं, तो जिन नालों की सफाई नहीं होती है, उनकी सफाई बारिश से पहले जल्द से जल्द की जानी चाहिए। बड़े हॉर्स पॉवर के पंप्स लगाने चाहिए। उसी के साथ मेरे संसदीय क्षेत्र में मुंबई-कल्याण रेलवे मार्ग पर यातायात जब भी बाधित हो, तभी कल्याण से कसारा और कल्याण से कर्ज़ट जाने वाले मार्ग के यातायात को निरंतर जारी रखने के लिए कर्ज़ट-कसारा मार्ग पर ज्यादा लोकल ट्रेन्स उपलब्ध रखें। ...(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। महोदय, मैं बिहार के पूर्णिया जिले से आता हूँ, जो पटना से साढ़े तीन सौ किलोमीटर दूर है। वहां पर हाई कोर्ट की बेंच की स्थापित करने की मांग मैं आपके माध्यम से सरकार से करना चाहता हूँ, ताकि हमारे इलाके के गरीब लोगों को केस लड़ने के लिए साढ़े तीन सौ किलोमीटर की दूरी न तय करनी पड़े। पूर्णिया में हाई कोर्ट की बेंच खुल जाने से वहां पर मुकदमा लड़ने वाले लोगों एवं अधिवक्ताओं को आसानी होगी। वहां पर आस-पास के जो परिमण्डल्स हैं, पूर्णिया के साथ-साथ कोसी परिमण्डल और भागलपुर परिमण्डल के लोगों के लिए भी यह लाभदायक होगा। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि सरकार को निर्देश दें कि पूर्णिया में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो। हम आपके माध्यम से इस बारे में कानून मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे।

माननीय अध्यक्ष : श्री राजीव प्रताप रूडी एवं श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल को श्री संतोष कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री एंटो एन्टोनी (पथनमथीट्टा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस महती सभा के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों के प्रमाणपत्रों को रोकने की अनैतिक प्रथा को

रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए। अधिकांश छात्र अपनी फीस का भुगतान करने के लिए शैक्षिक ऋण की सुविधा का लाभ उठाते हैं। विभिन्न बैंक औपचारिकताओं के कारण, वादा की गई ऋण धनधनराशि को उनके प्रवेश के समय पर स्वीकृत नहीं करते है, जिस समय तक छात्रों को पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना होता है। फीस का भुगतान करने में असमर्थ, जो छात्र पाठ्यक्रम को छोड़ना चाहते हैं, उन्हें इस कारण अधिक मुश्किलों से गुजरना पड़ता है कि शैक्षणिक संस्थान उनके प्रमाण पत्र वापस करने से इनकार करते हैं और इस प्रकार वे किसी अन्य संस्थान में प्रवेश लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 20 जुलाई, 2011 को दिल्ली उच्च न्यायालय का एक मौजूदा आदेश है जिसमें कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों के प्रमाण पत्रों को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी विश्वसनीयता जाँचने के लिए प्रवेश के समय केवल उनका सत्यापन करना चाहिए। देश में लाखों छात्र अब शैक्षणिक संस्थानों के इस कदाचार में फंस गए हैं, इस प्रकार उन्हें अपनी पसंद के अनुसार भविष्य का सपना साकार करने में रुकावट आ रही है। यदि बैंक समयबद्ध तरीके से शैक्षिक ऋण स्वीकृत करते हैं, तो शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्रों के शोषण को रोका जा सकता है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रकार से विद्यार्थियों का शोषण करने में बैंकों और शैक्षणिक संस्थाओं के अनैतिक आचरण को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, डॉ. संजय जायप्रश्न एवं एडवोकेट ए.एम. आरिफ को श्री एंटो एन्टोनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दम दम): माननीय अध्यक्ष महोदय, एस.के. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत पर पहले ही इस सभा में चर्चा की जा चुकी है। मरने वालों की संख्या 150 तक पहुंच गई है। यद्यपि स्वास्थ्य मंत्री वहां गए थे, फिर भी अभी तक उन्होंने इतने बच्चों की मृत्यु के कारण के संबंध में इस सभा में कोई वक्तव्य नहीं दिया है।

अब, केंद्र सरकार द्वारा संचालित कलावती शरण बाल अस्पताल के बारे में नए तथ्य सामने आए हैं, जो दिल्ली का सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल है। ऐसा कहा गया है कि कलावती अस्पताल, जो पूरे भारत के बच्चों के लिए एक रेफरल अस्पताल है, में छह वर्षों में 6,000 से अधिक बच्चों की मौत हुई है। अस्पताल में मृत्यु के सबसे आम कारण समय से पहले जन्म, श्वसन संक्रमण, सेप्टिसीमिया और अन्य संक्रमण हैं और 50 प्रतिशत मौतें भर्ती होने के शुरुआती 48 घंटों में दर्ज की गईं हैं, जो लोगों की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। कलावती शरण अस्पताल में बुनियादी ढांचा मरीजों की मांगों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। इस मामले में, मुझे लगता है कि भारत सरकार पश्चिमी बंगाल से सबक ले सकती है, जहां सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने बड़ी संख्या में एस.एन.सी.यू. स्थापित किए हैं और बच्चों की मौत की संख्या में भारी कमी आई है और एम.एम.आर. में भी भारी कमी आई है।

सरकार को दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा संचालित अस्पताल में सुविधाओं में सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए और अपर्याप्त सुविधाओं के कारण होने वाली बच्चों की मृत्यु को कम करने के लिए पूरे देश में कदम उठाने चाहिए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री भर्तृहरि महताब एवं श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले को प्रो. सौगत राय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दुर्गा दास (डी.डी.) उईके (बैतूल): परम श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, सादर अभिवादन। मुझे आपके माध्यम से लोक सभा में प्रथम बार भाव अभिव्यक्ति का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपने लोक सभा क्षेत्र के भाइयों और बहनों व युवा साथियों के प्रति भी कृतज्ञता अर्पित करता हूँ, जिनकी कृपा से यह पावन अवसर उपलब्ध हुआ है। मैं माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय श्री अमित शाह जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी कृपा से यह मार्ग प्रशस्त हुआ है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से लोक हित के मुद्दे को सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। बैतूल हरदा हरसूद लोक सभा क्षेत्र मध्य प्रदेश का जनजाति बहुल जिला है। बैतूल जिले को भारत माता की हृदय स्थली भी कहा जाता है। यह जिला कभी सघन वनों से आच्छादित था। यह स्थान इमारती

लकड़ियों, वन औषधियों एवं वन उपजों के लिए प्रसिद्ध है। आदिवासी भाइयों और बहनों का आर्थिक जीवन इन्हीं पर आश्रित रहा है। किन्तु जिस निर्ममता और बर्बरतापूर्वक वनों की कटाई हुई है, वन सम्पदा को भारी क्षति पहुंचाई गई है, उसके कारण क्षेत्र में प्राकृतिक असंतुलन की स्थितियाँ निर्मित हुई हैं। आदिवासी समाज पलायन के लिए मजबूर हुआ है। मैं **10** वर्षों तक मेरे लोक सभा क्षेत्र में शासकीय, गैर - शासकीय स्तर पर वनों की कटाई पर रोक लगाने हेतु विनम्र अनुरोध करता हूँ, ताकि प्राकृतिक रूप से वनों का संरक्षण अभिवर्धन हो सके।

डॉ. संघमित्रा मौर्या (बदायूं): अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आपको बहुत-बहुत बधाई। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ, साथ ही साथ इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी व भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद व आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ।

मान्यवर, मैं इस प्रश्न के माध्यम से मेरे लोक सभा क्षेत्र बदायूं का दु:ख व्यक्त कर रही हूँ। आज़ादी के 72 वर्षों बाद भी बदायूं के लोगों को सीधे-सीधे लखनऊ व दिल्ली रेल मार्ग की सुविधा नहीं मिल पाई है, जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि क्या बदायूं को लखनऊ व दिल्ली रेल मार्ग से जोड़ने की कोई योजना है अथवा नहीं? यदि है, तो उसके बारे में कृपया अवगत कराएं। यदि नहीं है, तो उस पर विचार करने की कृपा करें। साथ ही साथ मैं बदायूं लोक सभा क्षेत्र के गुन्नौर विधान सभा के अंतर्गत बबराला स्टेशन से गुजरने वाली गाड़ी संख्या 14320 व 14321 महाकाल एक्सप्रेस का ठहराव चाहती हूँ, जिससे वहाँ की जनता लाभान्वित हो सके।

अंत में, मैं लोक सभा बदायूं की समस्त सम्मानित जनता का व अपने शुभचिंतकों का इस संसद भवन से बहुत-बहुत धन्यवाद व आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती अपरूपा पोद्दार। अनुपस्थित।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और एल एंड डीओ को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में सीलिंग की जो समस्या चल रही थी, उसका एक हिस्सा ठीक हुआ है। लाजपत नगर के क्षेत्र में जहाँ पर लीज डीड एग्जिक्यूट की है, 40-50 वर्ष पुरानी प्रॉब्लम है, आज़ादी के बाद जो रेफ्य्जीस आए थे, उनके क्षेत्रों की प्रॉब्लम थी। लेकिन उसके अलावा अन्य प्रोब्लेम्स बहुत अधिक हैं, खास तौर पर लोकल शॉपिंग सेंटर्स को लेकर। मेरे यहाँ पर 20 से ऊपर लोकल शॉपिंग सेंटर्स हैं, जहाँ पर जमीन कमर्शियल है, दुकानें बनी हुई हैं, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर एक जमाने में शॉप-कम-रेजिडेंशियल एरिया होता था। अब सब ने थोड़ा पैसा कमा लिया तो ऊपर रहना बंद कर दिया और मकान अलग बना लिए। उस क्षेत्र को रेजिडेंशियल ट्रीट करके सीलिंग की व्यवस्था, जब एफ.ए.आर. जो बाकी इलाके रेजिडेंशियल हैं, वहाँ पर बढ़ा दिया गया, लेकिन लोकल शॉपिंग सेंटर्स के अंदर एफ.ए.आर. को नहीं बढ़ाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे एन्करेज किया जा रहा है कि रेजिडेंशियल इलाकों में आप कमर्शियल एक्टिविटीज करें और कमर्शियल इलाकों को इतना महँगा कर दें कि वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी न हो पाए। इसी के रहते एमपीडी को जब ठीक किया जा रहा है, जब उसमें अमेंडमेंट लाए ला रहे हैं तो मेरा आग्रह है कि इन सबकी चिंता करते हुए एफ.ए.आर. को लोकल शॉपिंग सेन्टर्स के लिए बढ़ाया जाए। बेसमेंट अलाऊ करके व्यक्तियों को न बैठने दिया जाए, लेकिन बैंकिंग व्यवस्था में लॉकर आदि को जो रखने की जो व्यवस्था है, उसकी अनुमति दी जाए, जो बाकी जगहों पर अलाउड है। कमर्शियल, रेजिडेंशियल के जो कन्वर्जन चार्जेज हैं, उन्हें पैरलल किया जाए और उसी के रहते जो ए,बी,सी श्रेणी की कॉलोनीज हैं, उनके अंदर कमर्शियल एक्टिविटी किसी भी तरीके से न हो, उसके लिए वहाँ पर रेट्स बढ़ाए जाएं, न कि बराबर की जाएं। बाकी सब जगह पर कन्वर्जन चार्ज को बराबर किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री सी.पी. जोशी को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): महोदय, 100 से अधिक ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनकी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन वन विभाग की एनओसी न मिल पाने के कारण वे प्रारम्भ नहीं हो पा रहे हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर खीरी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730, जो खुटार-सिसिया120 किलोमीटर चौड़ीकरण होना

है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 731, जो पलिया से शाहजहांपुर के बीच बन रहा है, एक वर्ष पूर्व इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, लेकिन वन विभाग की एनओसी न मिल पाने के कारण इसका काम प्रारम्भ नहीं हुआ है। उसका दुखद पहलू यह है, चूँकि प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है, इसलिए सड़क की मरम्मत का काम भी रोक दिया गया है। मरम्मत का काम न होने के कारण वहाँ बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं और सड़कें टूटी हुई हैं। इसके कारण दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ी हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक नई कार्य-विधि विकसित करें, जिसमें टेंडर आदि प्रक्रिया भले ही पूरी हो जाए, लेकिन जब तक सड़क का काम पूरी तरह से शुरू न हो जाए तब तक मरम्मत के कामों को न रोका जाए। सड़कों, खासकर राष्ट्रीय राजमार्गों की नियमित मरम्मत की व्यवस्था की जाए। यह मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद।

[अनुवाद]

सुश्री महुआ मोइत्रा (कृष्णानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। दिसंबर, 2018 में, तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री, श्री राठौड़ ने इस सभा में कहा था कि सरकार ने वर्ष 2014 से दिसंबर, 2018 तक विज्ञापन पर लगभग रु.5,246 करोड़ खर्च किए हैं। यह केवल केंद्र सरकार का व्यय था। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का व्यय शामिल नहीं है। मेरा मानना है कि यह व्यय का बड़ा हिस्सा होता है। यह देखते हुए कि यह कर दाताओं का पैसा है और पी.एस.यू. जो खर्च कर रहे हैं वह भी कर दाताओं का पैसा है, हमें बेहतर तरीके से विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर हमारा कुल विज्ञापन खर्च कितना है। आप देख सकते हैं, वर्ष 2014-15 में, यह रु.979 करोड़ था, जो वर्ष 2017-18 में लगभग रु.1,300 करोड़ हो गया। इस देश के पांच सबसे बड़े समाचार मीडिया संगठन का या तो स्वामित्व लिया गया है या वे अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति के ऋणी हैं। वह सबसे अमीर भारतीय हैं। वह उनके सहयोगी हैं जो सबसे बड़े दूरसंचार उद्यम के बोर्ड का सदस्य हैं। न्यूज़ नेशन, इंडिया टीवी, न्यूज़ 24, नेटवर्क 18, एन.डी.टी.वी. सभी के स्वामित्व लिए गए हैं। ...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री बी. मणिक्कम टैगोर।

… (*व्यवधान*)

सुश्री महुआ मोइत्रा: महोदय, मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। हम जानना चाहते हैं कि मीडिया हाउस के माध्यम से विज्ञापन खर्च का विभाजन क्या है और क्या कुछ प्रिंट मीडिया को बाहर रखा जा रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री बी. मणिक्कम टैगोर (विरुधुनगर): आदरणीय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान तमिलनाडु, विशेषकर तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में जल संकट की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मदुरै और विरुधु नगर जिले ज्यादातर प्रभावित हैं। राज्य सरकार की सबसे बड़ी चूक यह है कि पिछले आठ वर्षों से वे केवल रेत माफियाओं को नदियों और तालाबों की खुदाई के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। राज्य सरकार जल प्रबंधन में पूरी तरह से विफल रही है।

अत:, केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह हस्तक्षेप करे और तमिलनाडु में एक केंद्रीय दल भेजे जो जल समस्या को हल करने में उनकी सहायता करे। प्रत्येक गांव बिना पानी के है। तमिलनाडु में पानी की समस्या एक बड़ी समस्या है। यहां तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस समस्या पर एक न्यूज़ स्टोरी प्रकाशित की थी। तमिलनाडु राज्य सरकार यह नहीं देख रही है कि वहां क्या हो रहा है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस समस्या के समाधान के लिए एक टीम भेजे।

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायप्रश्न (पश्चिम चम्पारण): महोदय, धन्यवाद । एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम या इंसेफलाइटिस सिंड्रोम हम आज भी निश्चित नहीं कर पाए हैं कि हमें यू.के. इंग्लिश बोलनी है या यू.एस. इंग्लिश बोलनी है । चमकी बुखार का अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है । कल राज्य सभा में माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी कहा था कि बच्चों का बुखार से मरना देश की **70** सालों में विफलताओं की एक बहुत बड़ी पहचान है ।

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध होगा कि जो पाँच वाइरोलॉजी सेंटर्स बिहार में खुल रहे हैं और पटना में दो सेंटर्स खुल रहे हैं । पटना में चमकी बुखार का प्रकोप नहीं होता है । यह बेतिया गोरखपुर और मुजफ्फरपुर के बीच में है ।

गोरखपुर में भी चमकी बुखार से बच्चे मरते हैं और मुज़फ्फरपुर में भी मरते हैं, पर इन दोनों के बीच जो पश्चिम चम्पारण जिला है, वहां ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं । वहां वाइरोलॉजी सेण्टर खोला जाए । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कृपा करके यह सुनिश्चित करें कि हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक ब्लड ग्लूकोमीटर हो और यह बता दिया जाए कि 10 प्रतिशत डेक्स्ट्रोस दवा चढ़ा देने से बच्चे मरने से बच सकते हैं क्योंकि बीमारी के बारे में तो हमें पता नहीं है ।

दूसरा, इसका प्रचार कम से कम मार्च से गोरखपुर, चम्पारण और मुज़फ्फरपुर के हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चारों तरफ हो ताकि जिसके बच्चे को यह बुखार हो, वह डॉक्टर से मिले । अगर आप इतना करवा देंगे तो इससे देश को बहुत बड़ी मदद होगी ।

माननीय अध्यक्ष : श्री सुधीर गुप्ता और श्री सी. पी. जोशी को डॉ. संजय जायप्रश्न द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व):ऑनरेबल स्पीकर सर, मुझे आपका प्रोटेक्शन चाहिए और महान भारत के इस पार्लियामेंट से भी मुझे प्रोटेक्शन चाहिए । चाइनीज़ ऑब्जेक्शंस के कारण वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जाइका और कोई भी फंडिंग अरुणाचल प्रदेश में दस-पन्द्रह सालों से नहीं हो रही है । यू.पी.ए. वन में डॉ. मनमोहन सिंह ने अरुणाचल प्रदेश को यह वादा किया था कि चाइनीज़ ऑब्जेक्शंस के कारण वर्ल्ड बैंक से फंड्स नहीं दे पा रहे हैं, पर इसके एवज में, एक अल्टरनेटिव फंडिंग हम अरुणाचल प्रदेश को देंगे।

स्पीकर साहब , इसमें आपकी इसलिए प्रोटेक्शन चाहिए कि आज अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हजारों स्कीम्स में वर्ल्ड बैंक से जो फंडिंग होनी है, वह चाइनीज़ ऑब्जेक्शंस की वजह से हो नहीं पा रही है । मैं भारत सरकार से माँग करता हूं कि अगर वर्ल्ड बैंक से फंडिंग नहीं हो पा रही है तो इसके

अल्टरनेट के रूप में, इसके एवज में, अरुणाचल प्रदेश को अलग स्कीम्स सैंक्शन की जाए, ताकि अरुणाचल प्रदेश डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़े। मैं यही माँग करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के. मुरलीधरन (वडाकरा): महोदय, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी,तिरूवनन्तपुरम हृदय रोग, तंत्रिका विज्ञान और तंत्रिका शल्य चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रमुख संस्थानों में से एक है। केरल के हर हिस्से से बहुत सारे मरीज इलाज के लिए वहां जाते हैं। लेकिन, दुर्भाग्यवश, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उस संस्थान में कार्यान्वित नहीं की गई है। यह एक सार्वजनिक संस्थान है। केरल सरकार ने भी इसकी शिकायत की है।

अत:, मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में इस योजना को लागू करने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, एडवोकेट अदूर प्रकाश और एडवोकेट ए.एम. आरिफ को श्री के. मुरलीधरन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली): महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गम्भीर बात मेरे कांस्टीट्युन्सी दादरा और नागर हवेली के बारे में उठाना चाहता हूं।

सर, यह एक केन्द्र शासित प्रदेश है, जहां पर लेजिस्लेचर नहीं है। वहां सारे के सारे अधिकार प्रशासन के पास और प्रशासन के अधिकारियों के पास हैं। वहां के लोगों की काफी पुरानी और स्ट्रोंग डिमांड है कि वहां पर लेजिस्लेचर बनाया जाए, वहां पर विधान सभा गठित की जाए। यह बहुत पुरानी माँग है।

सर, वर्ष **2014** में महामहिम उप राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में होम मिनिस्ट्री की स्टैन्डिंग कमेटी ने वहां की विजिट की थी और उन्होंने पूरी जाँच की थी। जाँच के बाद उन्होंने यह पाया था कि यहां पर लेजिस्लेचर दिया जा सकता है। अभी भी प्रपोजल पेंडिंग है। वह सारी रिपोर्ट राज्य सभा में टेबल हुई है जिसके अनुसार वहां पर यह पापुलेशन वाइज पर , रेवेन्यू वाइज वाएबल हैं। पूरे विश्व में भारत एक मजबूत

लोकतंत्र है, फिर हम क्यों वंचित हैं? हमारे यहां क्यों नहीं है? मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इस रिपोर्ट पर तुरन्त कार्रवाई करे और विधान सभा के गठन के लिए काम शुरू करे।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

मानव जीवन में भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा का विशेष महत्व है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र अकबरपुर, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज, जो कानपुर मंडल के अन्तर्गत आता है, जिसके अन्तर्गत छ: जनपद आते हैं, उसके सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसके साथ-साथ दस जनपद, जो बुन्देलखण्ड और उसके आस-पास के हैं, वहां के लोग भी उस अस्पताल में आते हैं।

महोदय, उत्तर प्रदेश में तीन एम्स (गोरखपुर, रायबरेली और बी.एच.यू.-वाराणसी) की स्थापना की गई है। उक्त स्थापित एम्स से उत्तर प्रदेश के मात्र पूर्वी क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगी, जबकि यदि कानपुर मेडिकल कॉलेज को एम्स बनाया जाए तो लगभग 15 से अधिक जनपदों की जनता को उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में अभी तक कोई एम्स स्थापित नहीं हुआ और न ही स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय कानपुर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा व पुराना मेडिकल कॉलेज है। यह कानपुर नगर एवं आस-पास के लगभग 15 से अधिक जनपदों को उपचार की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इस महाविद्यालय में प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का निर्माण भी किया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): महोदय, चेंगन्नूर और कुट्टनाड क्षेत्र मेरे संसदीय क्षेत्र में आते हैं और वर्ष 2018 की बाढ़ के बाद ये सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। सरकारों से आश्वासन के बावजूद, पुनर्निर्माण की पहल अधूरी है और चेंगन्नूर-कुट्टनाड क्षेत्र को एक विशेष पैकेज और मास्टर प्लान की आवश्यकता है। नदी तटों का सुदृढ़ीकरण, कृषि, डेयरी क्षेत्र को सहायता, पर्यटन क्षेत्र को सहायता,

पदाशेखरम बांधों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण सहित सिंचाई प्रणालियों का पुनरुद्धार और पीने योग्य पानी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह बजटीय आबंटन के साथ एक विशेष केंद्र सरकार पैकेज स्थापित करे तथा प्रगति की निगरानी करने और समयबद्ध तरीके से कार्यों को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित विशेषज्ञ समिति का गठन करे।

मैं भारत सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि कुट्टनाड के विकास की देखरेख करने और समय-समय पर कुट्टनाड के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कुट्टनाड विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाए।

पवित्र पम्पा नदी भी सर्वाधिक बुरी स्थिति में है। मैं सरकार से पम्पा कार्य योजना को तत्काल कार्यान्वित करने का आग्रह करता हूं।

*__श्री वाई. देवेन्द्रप्पा (बेल्लारी):__ माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं शून्यकाल के दौरान मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको बधाई देता हूं।

मैं केंद्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि बेल्लारी जिले के किसान प्याज, मिर्च और अन्य फसलें उगाते हैं। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह हमारे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कोल्ड स्टोरेज इकाइयों की स्थापना के लिए तत्काल कदम उठाए।

मैं एक और मुद्दे का उल्लेख करना चाहता हूं कि तुंगभद्रा नदी में 32.471 टी.एम.सी. जल भंडारण की क्षमता है। तथापि, गाद जमा होने के कारण नदी की जल संग्रहण क्षमता में कमी आई है। गाद जमा होने के कारण लगभग 48.88 टी.एम.सी. पानी का कोई उपयोग नहीं है। गाद हटाने का कार्य बिना किसी विलंब के शुरू किया जाना चाहिए। इस प्रकार यह किसानों के लिए फायदेमंद होगा।

इसलिए, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह तुंगभद्रा नदी से गाद हटाने के उपाय करे ताकि जल भंडारण को बढ़ाया जा सके और किसान इसका उपयोग कर सकें। धन्यवाद।

जय जवान, जय विज्ञान, जय किसान।

* मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद

डॉ. सुभाष रामराव भामरे (धुले): महोदय, 9 जून, 2019 को एक वृद्ध रोगी को गंभीर हालत में एन.आर.एस. अस्पताल, कोलकाता लाया गया था। तमाम कोशिशों के बावजूद मरीज को बचाया नहीं जा सका। मरीज के परिजनों ने जूनियर डॉक्टर. पर हमला कर दिया और दो डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हैं। इस घटना से डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ती हिंसा का मुद्दा सामने आया है और इस तरह की घटनाएं पूरे देश में बढ़ती जा रही हैं। हमें यह समझना चाहिए कि चिकित्सा क्षेत्र में हुई सारी प्रगति के बावजूद चिकित्सा उपचार की अपनी सीमाएं हैं। सभी प्रयासों के बावजूद, रोगी को बचाना हमेशा संभव नहीं होता है और शायद, इसे रोगी के रिश्तेदारों द्वारा गलती से लापरवाही समझा गया था। गंभीर रोगियों के इलाज तथा बड़ी और *अति*-गंभीर सर्जरी करने में जटिलता, अन्य प्रकार की रुग्णता और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाने का जोखिम होता है। इस प्रकार, अपरिहार्य जटिलता और लापरवाही के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है।

यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर भी इंसान हैं और देवदूत नहीं हैं। यदि किसी रोगी पर उपचार का असर नहीं होता है तो इसके लिए किसी चिकित्सा पेशेवर को पीड़ित करना अस्वीकार्य और गलत है। डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा अस्वीकार्य है और इस तरह के किसी भी कृत्य को कारावास के साथ दंडनीय, गैर-ज़मानती अपराध बनाया जाना चाहिए।

मैं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन जी को बधाई देता हूं जिन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे डाक्टरों की सुरक्षा के लिए कानून लाने और यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि जिन राज्यों में ऐसे कानून पहले से ही मौजूद हैं, वहां उन कानूनों को लागू किया जाए। उन्होंने चिकित्सा सेवा कर्मियों और सेवा संस्थानों का संरक्षण (हिंसा और क्षति या संपत्ति की हानि की रोकथाम) अधिनियम, 2017 के मसौदे की प्रतियां भी राज्यों को वितरित कीं। आज, 19 राज्यों में कुछ कानून, कानूनी प्रावधान हैं, और कई ने अध्यादेश को प्रख्यापित किया है। चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, मैं सभी राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि वे चिकित्सा समुदाय की रक्षा और अस्पतालों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष कानून के प्रावधान को सख्ती से लागू करें। इस संबंध में एक केंद्रीय अधिनियम भी होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध है, आइए हम इस मुद्दे पर विस्तृत विचार-विमर्श करें क्योंकि जन स्वास्थ्य प्रणाली के लिए डॉक्टर और रोगी के बीच संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। अत:, हमें इस पर अल्पकालिक चर्चा के रूप में विचार-विमर्श करना चाहिए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : डॉ. संजय जायप्रश्न, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री सुधीर गुप्ता और श्री सी.पी. जोशी को डॉ. सुभाष रामराव भामरे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय नए सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे शून्य काल में अपना जो विषय उठाना चाहते हैं, उसको संक्षिप्त में टेबल आफिस में दें और उसमें हल्की सी विषय वस्तु लिखें कि किस विषय पर आप शून्य काल उठाने जा रहे हैं। मैंने कल भी सभी माननीय नए सदस्यों को इजाजत दी थी। मैं आज भी माननीय सदस्यों से पुन: आग्रह करूंगा कि वे संक्षिप्त में अपनी बात कहें।

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): अध्यक्ष महोदय, रिकार्ड बन गया है। इतने ज्यादा सदस्यों को पहली बार मौका मिल रहा है। आपको बधाई हो।...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : बधाई हो।

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फ़त माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। **...(**व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय नए सदस्य।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल : देश में लगभग सभी एमपी पर यह बात लागू होती होगी कि जो बैंकिंग में ऋण लेने की प्रथा है, जो बैंकिंग में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेण्टर के मार्फ़त जो बैंकेबल योजनाओं की एप्लीकेशंस होती हैं, वे एप्लीकेशंस इतनी बड़ी होती हैं कि कागजात तैयार करने में भी बेनीफिशियरी को

बहुत टाइम लगता है।**…(**व्यवधान**)** उसके बाद जब वे बैंक में जाते हैं**,** तब बैंक बहुत समय के बाद न बोलते हुए कहती हैं कि आपको यह कर्ज नहीं दिया जाएगा। **…(***व्यवधान***)**

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हर लोग, जो डीआईसी है, डीआईसी के माध्यम से इतनी एप्लीकेशंस बैंक के कंसर्न में रहकर इतनी होनी चाहिए , जितने को बैंक लोन दे। इसमें बेनीफिशियरीज़ का भी कोई खर्च न हो। इसी वजह से …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पहले नए माननीय सदस्य बोलेंगे।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल : मैं इसलिए बोलता हूं कि हर जगह बैंकेबल योजनाएं होती हैं। बैंकेबल स्कीम्स के मुताबिक बैंक में ऋण लेने की प्रथा है। वैसे तो मैं धन्यवाद देश के लोक लाड़ले प्रधान मंत्री को देना चाहता हूं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी नए माननीय सदस्य बोल रहे हैं**,** इसके बाद आपको मौका देंगे।

…(<u>व्यवधान</u>*)*

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल : जिन्होंने हर एक को बैंक में जाने का मौका दिया**।** …(**व्यवधान**)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री परबतभाई सवाभाई पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री श्याम सिंह यादव **।**

…(व्यवधान)

अपराह्न 12.38 बजे

(इस समय श्री गौरव गोगोई और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[हिन्दी]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): हम लोगों को निकाल दीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री श्याम सिंह यादव।

...(व्यवधान)

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): माननीय अध्यक्ष जी**,** मैं इस समय कैसे बोलूं**?** कुछ सुनाई तो दे। *...(व्यवधान)* माननीय अध्यक्ष जी , मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस सदन में मुझे पहली बार बोलने का मौका दिया। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य**,** नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य**,** प्लीज् अपनी**-**अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. आर.के. रंजन- उपस्थित नहीं।

…(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती माला राय (कोलकाता दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। ...(*व्यवधान*)

स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट (एस.ओ.ई.) 2019 के अनुसार, पिछले दो वर्षों में भारत की बेरोजगारी की दर दोगुनी हो गई है। ...(*व्यवधान*) इससे विशेष रूप से युवा स्नातक प्रभावित हुए हैं। ...(*व्यवधान*)

जबकि शहरी और ग्रामीण भारत दोनों में बेरोजगारी अधिक है, युवा और शिक्षित युवाओं के लिए नौकरी की तलाश एक बड़ी चुनौती है। प्रतिवेदन के अनुसार, पिछले दो वर्षों में बेरोजगारी दर 4 प्रतिशत से बढ़कर 7.6 प्रतिशत हो गई है। ...(*व्यवधान*) विश्व बैंक का कहना है कि भारत को बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए प्रति वर्ष लगभग 81,00,000 नौकरियां पैदा करने की आवश्यकता है। (*व्यवधान*)

हालांकि, वर्ष 2019 की स्थिति के अनुसार भारत निश्चित रूप से दुनिया की 'बेरोजगार राजधानी' का सम्मान हासिल कर सकता है। ...(*व्यवधान*) देश की आम जनता केंद्रीय बजट 2018-2019 में कौशल भारत अभियान के लिए आबंटित रु.3400 करोड़ के बजट का हिसाब चाहती है। ...(*व्यवधान*)

महोदय, आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि वह भारत में बेरोजगारी के मुद्दे को हल करे। ...(*व्यवधान*)

धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

सुश्री प्रतिमा भौमिक (त्रिपुरा पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूं। मैं त्रिपुरा से आती हूं, यह नार्थ ईस्ट का छोटा सा स्टेट है। यह हमारे स्टेट का विषय है। हमारे स्टेट में एयर कनेक्टिविटी बहुत कम है। *…(व्यवधान*) दिल्ली से सिर्फ एक ही फ्लाइट है, जो सुबह पांच बजकर पैंतालीस मिनट पर

जाती है। हमको दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए। कोलकाता से त्रिपुरा के लिए एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मैं आपके माध्यम से नागर उड्डयन मंत्री से रिक्वेस्ट करती हूं। …(व्यवधान) जल्द से जल्द दिल्ली से हमारे स्टेट के लिए एयर कनेक्टिविटी हो, कोलकाता से भी एयर कनेक्टिविटी जोड़ा जाए। धन्यवाद

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को सुश्री प्रतिमा भौमिक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, इसके साथ-साथ मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, माननीय नीतीश जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक मुखिया से लोक सभा पहुंचाने का काम किया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे दो शब्द बोलने का मौका दिया है। मैं बिहार के झंझारपुर से आता हूं। हमारे बिहार में पानी का बहुत संकट है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार में जल संकट दूर करने की कोशिश करें। कोशी, कमला, बलान नदियां नेपाल से आती हैं। वहां जल स्तर की बहुत कमी है। बच्चों को नहलाने और पानी पिलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। यह बहुत सारी बीमारियों की जड़ है।

मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस पर ध्यान देने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री रेबती त्रिपुरा (त्रिपुरा पूर्व): अध्यक्ष महोदय, मैं ट्राइब्ल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की ओर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि नॉर्थ-ईस्ट में 10 एडीसी हैं। इस वर्ष 23 जनवरी को एडीसी को और पावर और धन देने के लिए कैबिनेट में निर्णय हुआ।

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि यह कब होगा और यह अभी किस स्थिति में है। दूसरी बात यह है कि पीपरा में जो एड.सीज़ हैं, उनमें सिर्फ 28 सीट्स हैं। मैं उन सीट्स को 50 करने के लिए डिमांड करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रेबती त्रिपुरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री श्रीधर कोटागिरी (एलुरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ...(*व्यवधान*)

मैं इस सभा का पहली बार सदस्य बना हूं। मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में, इस सभा का प्रत्येक सदस्य अपनी आयु, दल और क्षेत्र की परवाह किए बिना बहुत सहायक और प्रोत्साहित करने वाला रहा है। मैं अपने देश के भविष्य के बारे में बहुत आश्वस्त महसूस करता हूं। ...(*व्यवधान*)

अब मैं एक ऐसा मुद्दा उठा रहा हूं जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मैं दुनिया भर में बदलते राजनीतिक परिदृश्य के बारे में चिंतित हूं। मैं मानता हूं कि भारत ने एक गुट निरपेक्ष सदस्य के रूप में शुरुआत की थी, यह लगातार गुट निरपेक्ष बने रहने में कामयाब रहा, कभी लेफ़्ट की ओर झुका रहा या कभी राइट की ओर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के प्रयास भी सराहनीय हैं। ...(*व्यवधान*)

पश्चिम में एक नाटकीय बदलाव दिखाई दे रहा है, जहां से कोई भी काफी कम उम्मीद करेगा। यूनाइटेड किंगडम ने ब्रेक्सिट से हमें आश्चर्यचकित किया और संयुक्त राज्य अमेरिका हमें हर दिन आश्चर्यचकित कर रहा है। ऐसा लगता है कि आत्म-संरक्षणवाद को विश्व नेतृत्व की धारणा पर प्राथमिकता दी जा रही है। निकट भविष्य में ऐसे और अधिक परिवर्तनों की उम्मीद नहीं करना एक बड़ी भूल हो सकती है। संभव है इनकी प्रकृति कहीं और अधिक नाटकीय हो सकती है। मुझे आशा है, हम व्यापार या सुरक्षा के संबंध में किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। जब मैं सुरक्षा की बात करता हूं, तो इसका मतलब विदेशों में रहने वाले लाखों भारतीय भी हैं। ...(*व्यवधान*)

मैं समझता हूं कि सरकार प्रत्येक संभावित परिदृश्य के लिए कार्य योजना का खुलासा नहीं कर सकती है, लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इनका अनुमान लगाने और इनके लिए तैयार रहने के लिए एक तंत्र स्थापित करे । मुझे आशा है कि हम किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए बिना तैयारी के नहीं रहेंगे जैसे कि जब अमेरिका ने अपने व्यापार लाभों को वापस लेने का फैसला किया था या जैसा कि हाल के दिनों में हमारे निकटतम पड़ोसियों ने हमारे ऊपर किसी और को प्राथमिकता देने का फैसला किया था। ...(*व्यवधान*)

धन्यवाद।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री श्रीधर कोटागिरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से श्री अधीर रंजन चौधरी जी से कहना चाहता हूं। …(व्यवधान) अधीर रंजन जी, मैं आपकी बात ही कह रहा हूं, आपने एजर्नमेंट मोशन दिया और आप इस पर बोल भी चुके हैं। रक्षा मंत्री जी आए हैं, अगर अध्यक्ष जी अलाऊ करते हैं तो रक्षा मंत्री जी उत्तर देने के लिए भी तैयार हैं।…(व्यवधान) हम सेना का सम्मान करने वाले लोग हैं। …(*व्यवधान*) वन रैंक वन पेंशन भी मोदी सरकार ने दी है। आपने खाली टोकन एमाउंट रखा था।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सब सीट पर बैठिए।

…(*व्यवधान*)

अपराह्न 12.47 बजे

इस समय श्री गौरव गोगोई और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थानों पर वापस चले गए।

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी बैठिए।

…(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं पुन: आपसे आग्रह करता हूं कि मैंने एक बार आपको व्यवस्था दी थी कि नए माननीय सदस्यों के बोलने के बाद आपको मौका दिया जाएगा और आप वैल में आकर नारेबाजी कर रहे हैं।

…(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, यह उचित नहीं है। यह अंतिम मौका होगा। मैंने जब आपको व्यवस्था दी थी कि मैं सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दूंगा। आप पहली बार आने वाले माननीय सदस्यों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, यह उचित नहीं है।

…(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री अधीर रंजन चौधरी जी।

…(*व्यवधान*)

श्री अधीर रंजन चौधरी : माननीय अध्यक्ष, मैं नया मेंबर नहीं हूं, मैं पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं। आप नए मेम्बर्स को एक बार नहीं सौ बार चांस दीजिए। हमने सारे मेम्बर्स , जिनका नाम बैलेट में है, की बात करने की मांग की है, वह भी आप नहीं दे रहे हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी बात कहें।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : हमारे ऊपर इल्जाम न लगाना अच्छा होगा।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट है।

…(व्यवधान)

अपराह्न 12.49 बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

भारतीय सशस्त्र बलों के नि:शक्त फौजियों पर कर लगाए जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय अध्यक्ष जी, बात यह है कि अभी एक सीबीडीटी की तरफ से 24 जून, 2019 में एक सर्कुलर जारी किया गया है। इसके अनुसार नि:शक्त फौजियों को जो पेंशन मिलने वाली थी, उनके ऊपर कर लगाया जा रहा है,टैक्स लगाया जा रहा है। नि:शक्त फौजी, जो जोखिम उठाते हुए खुद जख्मी हो जाते हैं तो वे नौकरी छोड़ कर सुपरएनुएशन के माध्यम से काम छोड़ देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि पेंशन मिलेगी।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, भाषण न देकर आप अपनी बात रखें।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : इस सरकार ने फौजियों की बात करते हुए चुनाव लड़ा था और अब वह सरकार नि:शक्त फौजियों पर टैक्स लागू कर रही है। यह बड़े दु:ख की बात है। उसके बाद यह सरकार कहती थी कि 'वन रैंक वन पैंशन' अभी देखा जा रहा है। 'वन रैंक फाइव पेंशन' ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ये विषय आपने रख दिया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने जिस पर नोटिस दिया है, उसी पर उत्तर मांग सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सेन्ट्रल फोर्स को, जब उनका देहांत होता है, मौत होती है तो उनको शहीद की मर्यादा दी जाए। ये तीन-चार मुद्दे हैं, ये बड़े मुद्दे नहीं हैं। फौजों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने एक नोटिस दिया था।

श्री अधीर रंजन चौधरी : आप सेन्ट्रल फोर्स को शहीदों की मर्यादा दीजिए और 'वन रैंक वन पेंशन' के बदले 'वन रैंक फाइव पेंशन' मत कीजिए**...(**व्यवधान**)**

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने जिस पर नोटिस दिया है, उसी पर बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : ये दो**-**चार मुद्दे हैं। छोटी**-**सी बात करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। आप इसके बारे में निश्चित रूप से कहिए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय रक्षा मंत्री**,** एक प्रश्न पर उत्तर दें। इनको दस प्रश्न उठाने की इजाजत नहीं है।

रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): माननीय अध्यक्ष जी **,** मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी श्री अधीर रंजन चौधरी जी ने प्रश्न उठाया है कि पेंशन बढ़ने के कारण अपनी सेना के जवानों के ऊपर कुछ टैक्स इम्पोज किये गए हैं। ...(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि डिफेंस प्रिपेरड्नस यानी रक्षा की तैयारियां और साथ ही साथ सेना के जवानों का इंटरेस्ट यह हमारी सरकार के लिए सर्वोपरि है।

अध्यक्ष जी , मैं केवल किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करता हूं। सारा देश इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ है। 40 वर्षों तक हमारी सेना के जवान ओ.आर.ओ.पी. की मांग करते रहे, लेकिन बराबर उनको अंधेरे में रखा गया, बराबर उनको गुमराह किया गया। ...(व्यवधान) पहली बार यदि किसी सरकार ने इसे प्रभावी तरीके से लागू किया है तो हमारी सरकार ने लागू किया है। लेकिन जो प्रश्न यहां पर उठाया गया है, हमारे संज्ञान में यह बात आयी है। इसकी पूरी जानकारी हासिल करने के बाद आपकी इजाजत से, अगर आप कहेंगे तो मैं सदन को भी अवगत करा दूंगा। ...(व्यवधान)

श्री विजय बघेल (दुर्ग): माननीय अध्यक्ष जी, पिछले पांच दिनों से मैं आवेदन लगा रहा था, लेकिन आपने आज अनुमति दी, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। यह आपकी कृपा है। छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन दुर्ग शाखा के गोदाम में रखे पी.डी.एस. का चावल जो गरीबों को दिया जाता है उसके 20 बोरों में कांच के मिश्रण पाये गये थे। खाद्य विभाग ने छापा मारकर इसको जब्त किया था जब गोदाम मैनेजर द्वारा दो व्यक्तियों को रखकर उसको साफ कराया जा रहा था जबकि अधिकारियों के मुताबिक वह चावल पूरा साफ नहीं हो सकता। उसे नष्ट किया जाना आवश्यक था। माननीय अध्यक्ष, इस अनियमितता की जांच हो और जिम्मेदार लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। मैं यह निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री विजय बघेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सुश्री दिया कुमारी (राजसमन्द): आपने मुझे सदन में पहली बार बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

माननीय अध्यक्ष: जो माननीय सदस्य पहली बार बोल रहे हैं उनके लिए ताली बजाइए।

सुश्री दिया कुमारी : बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे लोक सभा क्षेत्र राजसमन्द व राजस्थान प्रदेश के लोगों की एक बहुत समय से लंबित मांग की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। महोदय, मेरा लोक सभा क्षेत्र राजसमन्द मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ता है। यह बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। इस लोक सभा क्षेत्र में मावली से मारवाड़ को जोड़ने के लिए जो रेलमार्ग है वह भारत का सबसे पुराना रेलमार्ग है। हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान देकर वर्ष 2017-18 के बजट में इस रेलमार्ग के गेज़ कन्वर्जन का काम स्वीकृत भी किया था तथा इसके लिए 1600 करोड़ रुपये का बजट भी सैंकशन किया गया था, जिसको अगले वर्ष बढ़ाकर 2600 करोड़ रुपये कर दिया गया।

महोदय, इस कार्य के लिए डी.पी.आर. का कार्य प्रगति पर आया, लेकिन यह रेलमार्ग टॉडगढ़ वन क्षेत्र से होकर गुजरता है, इसलिए डी.पी.आर. को बनाने के लिए वन विभाग की ओर से आपत्तियां उठाई

जा रही हैं, इस कारण यह कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। इस समय तो यह कार्य बिल्कुल ही रुका हुआ है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी और पर्यावरण मंत्री जी से आग्रह है कि वे जल्द से जल्द इस कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें, जिससे कि राजसमंद ही नहीं, बल्कि भीलवाड़ा, पाली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर सहित आधे राजस्थान राज्य के यात्रियों और लाखों की संख्या में श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे की सुविधाओं का लाभ मिल सके। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को सुश्री दिया कुमारी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री एम. सेल्वराज (नागापट्टिनम): माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने का अवसर प्रदान के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरा नागापट्टिनम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तमिलनाडु का एक बहुत ही पिछड़ा और अविकसित निर्वाचन क्षेत्र है। लोगों के लिए आय का मुख्य स्रोत मछली पकड़ना और कृषि है, और वे अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हैं, यहां हर वर्ष लगभग 15 लाख टन धान का उत्पादन किया जा रहा है।

भारत सरकार ने पहले वेदांता समूह और ओ.एन.जी.सी. को हाइड्रोकार्बन परियोजना के लिए गहरे कुएं खोदने की अनुमति दी थी, जिससे लोगों और किसानों में बहुत नाराजगी पैदा हुई थी। हाल ही में, भारत सरकार ने उसी परियोजना के लिए अन्य 104 गहरे कुओं की खुदाई की अनुमति दी है। इससे किसानों में काफी नाराज़गी है क्योंकि इससे न केवल उपजाऊ भूमि, बल्कि पीने के पानी में भी पूरी तरह से खराबी आ गई है।

इसलिए, मैं इस महती सभा के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि वह लोगों के हित में, इस चल रही परियोजना को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। धन्यवाद, महोदय।

श्री सु. थिरुनवुक्करासर (तिरुचिरापल्ली): महोदय, मैं श्री एम. सेल्वराज द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को संबद्ध करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री सु. थिरुनवुक्करासर को श्री एम. सेल्वराज द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय सदस्य, सम्बद्ध करने के लिए खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, आप लिखकर टेबल ऑफिसर को दे दिया करें।

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मैं यहां का सदस्य हूँ और आपने आज मुझे पहली बार बोलने का मौका दिया है।

मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र (खडूरसाहिब) से आता हूँ, उसका पाकिस्तान के साथ लगा हुआ सबसे लम्बा बॉर्डर है। वर्ष 1965 और वर्ष 1971 की जंग में सबसे ज्यादा नुकसान इसी क्षेत्र में हुआ था। पंजाब में जो 22 वर्ष टेररिज्म रहा, उसमें इस क्षेत्र के करीब 11 हजार लोगों ने अपनी जान गवाईं, जिनमें मेरे पिताजी, जो उस समय मौजूदा विधायक थे, उन्होंने भी शहादत दी थी। मुझ पर चार बार टेररिस्ट अटैक हुआ। मेरे शरीर पर आज भी गोलियों के निशान है।

मैं आपसे विनती करता हूँ, कि आप मुझे कृपया दो मिनट दे दीजिए, आप बेल न बजाए। हमारी मुश्किलें दूसरे क्षेत्रों से विपरीत हैं। आज पंजाब में जो पहले सिख गुरु श्री गुरु नानक देव जी है, उनका हम नवम्बर में 550 वां जन्मदिन मनाने जा रहे है। जो समिति है, मैं उसका सदस्य होने के नाते आपसे विनती करता हूँ कि 1 नवम्बर को यह कार्य होगा और सभी पार्टीज के सदस्यों का एक डेलीगेशन उसमें जरूर शामिल हो। एक करतार पुर कॉरिडोर बन रहा है, वह दो किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर बन रहा है। हिन्दुस्तान सरकार ने काफी हिम्मत की है, पाकिस्तान के साथ मिलकर, मगर उसकी स्पीड कम है। उसे तेजी के साथ बनाना है, ताकि यह नवम्बर तक शुरू हो जाए। मैं विनती करता हूँ कि मेरे क्षेत्र में ब्यास नदी है, जब भी पानी का स्तर बढ़ जाता है। वहां कुछ फ्लड वगैरह आ जाती है और बहुत ज्यादा जमीन को

काट के ले जाती है, जिससे करोड़ों रुपया हर वर्ष उसके मुआवजे में देना पड़ता है। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि इसके साइड्स पर धुसी बांध बनाया जाए जिससे जमीन का बचाव हो सके।

अपराह्न 01.00 बजे

महोदय, बस एक पॉइंट रह गया है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं।...(व्यवधान) महोदय, मुझे वहां पर अपने लोगों के लिए इम्प्लॉयमेंट चाहिए। मेरा कद छ: फुट है, जब मैं उन लोगों के बीच में जाता हूं तो मैं बौना लगता हूं। वहां सात-सात फुट के लोग हैं। मेरी मांग है कि आप तरनतारन में एक आर्मी रिक्रूटमेंट सेण्टर खुलवाइए। ...(व्यवधान) देश का जो दुश्मन आंख उठाकर देखेगा, वे उससे ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी (कटिहार): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि नया सदस्य होने के बाद भी मुझे पहली बार सदन में लोक महत्व के विषय को उठाने का अवसर दिया है। मेरा संसदीय क्षेत्र कटिहार, बिहार में है। नॉर्थ-ईस्ट रेलवे लाइन कटिहार शहर के बीचोबीच गोशाला रेलवे समपार फाटक उपरिगामी पुल का निर्माण विगत कई वर्षों से लम्बित है। यह रेल लाइन कटिहार शहर के मध्य से गुजरती है और रेलवे लाइन पर अत्यधिक रेलगाड़ियों का आवागमन होने के कारण गोशाला समपार फाटक पर आये दिन शहर की जनता को घण्टों जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए गोशाला समपार फाटक के ऊपरी पुल का निर्माण अति आवश्यक है और इसका निर्माण होना चाहिए।

अत: सदन के माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री से मांग करता हूं कि जनहित में गोशाला समपार फाटक ऊपरी पुल का निर्माण कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई कराई जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री थोमस चाज़िकाडन (कोट्टायम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा के माध्यम से भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री की उपस्थिति में अविलम्बनीय लोक महत्व के एक मामले को तत्काल कार्रवाई के लिए उठाना चाहता हूँ।

हिंदुस्तान न्यूज़प्रिंट लिमिटेड (एच.एन.एल.), वेल्लोर, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जिसे पहले मिनी नवरत्न का दर्जा दिया गया था, अब भारत सरकार द्वारा रणनीतिक बिक्री के लिए सूचीबद्ध है। कंपनी की शुरुआत वर्ष 1983 में भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार के तहत हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन, कोलकाता की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक पी.एस.यू. के तौर पर हुई थी।

इसकी स्थापना के बाद से संयंत्र का आधुनिकीकरण या उन्नयन नहीं किया गया। इस तथ्य के बावजूद कि इसका क्षमता उपयोग 110 से 120 प्रतिशत के बीच था और कंपनी ने लाभांश, करों, उत्पाद शुल्क आदि के रूप में भारत सरकार को अपने निवेश से अधिक चुकाया है।

हालांकि, संयंत्र को वर्ष 2018 में लगभग ढाई महीने के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि यह केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा निर्धारित कुछ मानदंडों का पालन नहीं कर सका। अब एच.एन.एल. कार्यशील पूंजी की कमी के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। हजार से अधिक कर्मचारी/कामगार पिछले आठ महीनों से लगातार अपने वेतन और मजदूरी से वंचित हैं और कंपनी वित्तीय संकट के कारण बंद होने के कगार पर हैं। श्रम बल को मजदूरी का भुगतान न होने से हजारों परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं और स्थिति बहुत गंभीर है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वे कृपया इस मामले में हस्तक्षेप करें और एक सौहार्दपूर्ण समाधान निकालें।

[हिन्दी]

श्री संतोष पान्डेय (राजनंदगाँव): अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं राजनंदगाँव, छत्तीसगढ़ से आता हूं, जो कला, संगीत और साहित्य की त्रिवेणी का संगम है। छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं उठाना चाहता हूं।

छत्तीसगढ़ में अभी विगत छ: दिन पहले जो घटना हुई, वह हम सबके लिए दुखद है। वहां चरईडांड नाम का एक छोटा सा ग्राम है, दुलदुला थाना और जसपुर जिला है, वहां के मोहनराम निराला, जो एक सामान्य कृषक थे और कृषकों के किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे। वास्तव में उनका पत्र मार्मिक है, पढ़ने लायक है, जिस प्रकार से उन्होंने आत्महत्या की। ...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : आप पत्र टेबल कर देना।

श्री संतोष पान्डेय :अध्यक्ष जी , मेरा केवल यही कहना है कि वहां जब सरकार चुनकर आई, उन्होंने तीन चार वायदे किए थे। छत्तीसगढ़ में उनके सभी नेता, प्रवक्ता बैठकर, गंगाजल लेकर कहते थे कि बिजली बिल हाफ करेंगे, कर्जा माफ करेंगे, मदिरालय बन्द करेंगे, किन्तु इन्होंने जो आरोप लगाया है, वह सरकार के ऊपर लगाया है कि मेरा के.सी.सी., इलाहाबाद बैंक, कुनकुरी का है। शासन से के.सी.सी. लोन माफ हो जाएगा, तब इसे बैंक से लाकर घर में दे देना। डॉक्टर साहब को लाकर मेरा पी.एम. करा देना। इस प्रकार से उन्होंने शासन को लिखा है। उन्होंने थानेदार और अपने मित्र को लिखा है कि मेरी पत्नी चंदाकर देविका की चंदा करके मदद करना। उन्होंने चंदा करके मदद की भी बात की है। मैं महोदय जी से निवेदन करता हूं कि 'बुभुक्षित:, किं न करोति पापं,' जब व्यक्ति परेशान होता है, भूखा होता है, तब इस प्रकार की घटना होती है। उनकी अपेक्षाएं बढ़ाई गईं, उनको लालच दिया गया, उनको सब्जबाग दिखाया गया।

महोदय, मेरा निवेदन है कि आज उनकी सहायता भी की जाए और वह सरकार इस प्रकार की लालच और सब्जबाग दिखाना बंद करे।...(व्यवधान) अगर किए हैं तो उसकी पूर्ति करे। यह मेरा निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री संतोष पांडेय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बोलें, लेकिन मोबाईल चालू न करें। सदन में मोबाइल चालू नहीं होता है।

[अनुवाद]

एडवोकेट ए.एम. आरिफ (अलप्पुझा): जैसा कि आप जानते हैं, मत्स्य पालन क्षेत्र पर्याप्त रोजगार सृजन, पोषण और खाद्य सुरक्षा के माध्यम से अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख हिस्से के रूप में योगदान देता है। केरल का तटीय क्षेत्र जो 580 किलोमीटर तक फैला हुआ है, भारत की कुल तटरेखा का 10 प्रतिशत है। केरल के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका पूरी तरह से समुद्र पर निर्भर करती है।

आजकल केरल के तटीय इलाके समुद्र के बढ़ते जलस्तर और तटीय कटाव आदि से प्रभावित हैं जो पूरे तटीय क्षेत्र के लिए खतरा बना हुआ है। केरल में मत्स्य पालन विभाग तटीय लोगों और मछुआरों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह न तो एक स्थायी और न ही आसान प्रक्रिया है और न ही समाधान क्योंकि इन लोगों का समुद्र और पर्यावरण के साथ एक विशेष संबंध बना होता है।

समुद्री दीवार का निर्माण बेहद महत्वपूर्ण है और कुछ हद तक यह समस्या को रोक सकता है। 82 किलोमीटर का प्रमुख तटीय क्षेत्र अलप्पुझा के अंदर आता है जो मेरा संसदीय क्षेत्र है। तटीय क्षेत्र में समुद्री दीवार और ग्रोयन का निर्माण और रखरखाव केवल केंद्रीय वित्त पोषण से पूरा किया जा सकता है। 13$^{वें}$ वित्त आयोग के बाद, पिछले दस वर्षों के दौरान इसे कभी भी केंद्रीय वित्तपोषण प्राप्त नहीं हुआ। अत:, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह इस संबंध में तत्काल कदम उठाए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री उमेश यादव, उपस्थित नहीं।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): अध्यक्ष महोदय, आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तक इस संबंध में, इसे किस प्रकार से उपयोग किया जाए, इसका बुलेटिन सदन की तरफ से नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यों को बुलेटिन जारी कर दिया जाएगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, बुलेटिन इस संदर्भ में जारी करें कि इसका कैसे उपयोग किया जाना है। आई पैड का उपयोग किया जाना है और किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाना है, यह बुलेटिन में आ जाए।

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे शून्य काल में समय दिया। मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र सुपौल, बिहार की अति संवेदनशील समस्या को सरकार के सामने रखना चाहता हूं। सुपौल, कोशी प्रमंडल का अति पिछड़ा क्षेत्र है, जिसे कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी अतिवृष्टि और कभी अनावृष्टि का सामना करना पड़ता है।

महोदय, वर्ष 2008 में इस जिले में प्रलयंकारी बाढ़ आई थी जिसमें राघोपुर से फारबिसगंज तक रेल लाइन तथा पुल ध्वस्त हो गया था और बाढ़ में बह गया था, किन्तु अभी तक वहां रेल का परिचालन नहीं हो सका है। सहरसा से राघोपुर वर्ष 2016 में ही बड़ी लाइन आमान परिवर्तन के लिए बंद किया गया था , माननीय रेल मंत्री जी के प्रयास से अभी हाल में सहरसा से गढ़बरूआरी मात्र 20 किलोमीटर ही रेल परिचालन शुरू हो सका है। किन्तु अभी गढ़बरूआरी से फारबिसगंज वाया सरायगढ़ के आमान परिवर्तन का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनहित में पूर्व मध्य रेलवे के सहरसा से फारबिसगंज रेल खंड के आमान परिवर्तन का कार्य जल्द से जल्द पूरा कराया जाए ताकि उस पर रेलगाड़ी का परिचालन शुरू हो सके। जिससे क्षेत्र की जनता को रेल सुविधा प्राप्त हो सके और यह क्षेत्र भी विकास के पथ पर आगे बढ़ सके।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री दिलेश्वर कामैत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि अति आवश्यक हो, तभी चेयर के पास आएं, नहीं तो सभी आवश्यक सूचनाएं टेबल पर दें।

श्रीमती अन्नपुर्णा देवी (कोडरमा): महोदय, मैं झारखंड राज्य से आती हूं और झारखंड राज्य के कोडरमा, हजारीबाग, गिरीडिह जिला सहित सम्पूर्ण झारखंड के सभी जिलों में पेयजल के गंभीर संकट की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। झारखंड राज्य के लगभग सभी जिलों में भूजल स्तर में काफी गिरावट आई है। हैंड पम्प तथा परम्परागत कुएं से भी पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण आम लोगों के समक्ष पीने योग्य पानी की किल्लत उत्पन्न हो गई है। राज्य सरकार अपने संसाधनों से पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का भरपूर प्रयास कर रही है, फिर भी पेयजल के विकराल संकट के सामने संसाधनों को और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही कई जिलों में पानी में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, जिससे आम लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।

अत: मैं सदन के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार से मांग करती हूं कि झारखंड राज्य में भूजल स्तर में आई गिरावट के चलते उत्पन्न पेयजल संकट से उभरने में राज्य सरकार को विशेष सहायता प्रदान कर राज्य के नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु उपचारात्मक कदम उठाने का काम करे।

माननीय अध्यक्ष : श्री पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल और श्री निशिकांत दुबे को श्रीमती अन्नपूर्णा देवी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे पहली बार सदन में बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी और श्रावस्ती लोक सभा क्षेत्र के निवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि चुनकर लोक सभा में भेजा है।

महोदय, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती लोक सभा क्षेत्र में सरयू नदी के किनारे विकास खंड यमुना, हरिहरपुर, रानी लक्ष्मणपुर किनारे गांव में जिला बलरामपुर के राप्ती नदी के किनारे विकास खंड बलरामपुर,

हरइया सतघरवा, तुलसीपुर, इकौना में आई बाढ़ के कारण जनमानस पर भारी संकट आ गया है। जो सड़कें मुख्यालय पर आती हैं, उसमें बरसात का पानी बहने के लिए जगह-जगह डिप बना हुआ है। पानी जब तेजी से बहता है, तो उस डिप से लोग गाड़ी सहित तेज बहाव में बह जाते हैं और उनकी जान-माल का नुकसान होता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि क्षतिग्रस्त लिंक मार्गों की मरम्मत व डिप के स्थान पर पक्का पुल बनाया जाए, जिससे बाढ़ में प्रभावित गांव के लोगों का मकान, पशु जानवर का जो भी नुकसान हुआ है, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, इससे उनके पुनर्वास में सहायता मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष : श्री मलूक नागर को श्री राम शिरोमणि वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री अब्दुल खालेक (बारपेटा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सभा में पहली बार बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। मुझे निर्वाचित करने के लिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को तहेदिल से धन्यवाद; और मुझे चुनाव लड़ने की अनुमति देने के लिए मेरे नेता श्री राहुल गांधी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बारपेटा शहर मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मुख्य केंद्र है। यह जगह महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव का जन्म स्थान और माधव देव की कर्मस्थली है और ये दोनों वैष्णव गुरु थे। वे स्वामी विवेकानंद के ही दर्शन का अनुसरण करते थे। स्वामी जी ने कहा था कि 'जत्र जीव तत्र शिव' और महापुरुष शंकरदेव जी ने भी बोला था 'कुकुर: गर्दभा सिगारो आत्मा राम, हबा को जानिया और करियो प्रणाम।'

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शहर कर्नल गुरु प्रसाद दास का जन्म स्थान भी है जो रेल वैक्यूम ब्रेक के आविष्कारक हैं। उन्होंने 1930 में इसका आविष्कार किया था। लेकिन बहुत दुख की बात है कि अभी तक इस टाउन के साथ रेलवे का कनेक्शन नहीं हुआ है। दो बार सर्वे हुआ। पहला सर्वे जोगीघोपा गुवाहटी वाया बारपेटा सार्थेबारी, हाजो लाइन का था और दूसरी बार वह सर्वे पूरा हुआ। रेलवे बोर्ड ने रिपोर्ट भी सब्मिट की। दूसरी बार का सर्वे चल रहा है। बोंगाईगांव से अग्थोरी वाया बारपेटा, हाजो, सार्थेबारी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब प्रधान मंत्री जी 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की बात कह रहे हैं, यह रेलवे लाइन होने से कनेक्टिविटी होगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री भी सभा में मौजूद

हैं। माइनोरिटी कम्यूनिटी का भी फायदा होगा। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी की दृष्टि इस तरफ आकर्षित करता हूं, ताकि जल्द से जल्द बारपेटा टाउन के साथ रेल कनेक्शन हो।

श्री रमेश चन्द्र माझी (नबरंगपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं ओडिशा के नबरंगपुर संसदीय क्षेत्र से पहली बार सांसद के रूप में चुनकर आया हूँ।

आंध्र प्रदेश सरकार पोलावरम प्रोजेक्ट बना रही है। इस पोलावरम प्रोजेक्ट से मेरा संसदीय क्षेत्र नबरंगपुर और मलकानगिरी जिले के बहुत-से क्षेत्र अफेक्टेड हो रहे हैं। वहाँ आदिवासी इलाके हैं, जो ज्यादा अफेक्टेड होंगे।

इसलिए सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि उस प्रोजेक्ट को बंद किया जाए। उस एरिया में फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब्ल अफेयर्स ने जब क्लीयरेंस दिया, तो उस समय कभी पब्लिक हियरिंग नहीं हुई। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि इस प्रोजेक्ट को बंद किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री भर्तृहरि महताब और श्री महेश साहू को श्री रमेश चन्द्र माझी द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

डॉ. ए. चेल्लाकुमार (कृष्णागिरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, कृष्णागिरी संसदीय क्षेत्र में, होसुर एक प्रमुख नगर पालिका है, जहां 2 लाख से अधिक मतदाता हैं। यह पूरे भारत से बड़ी संख्या में नौकरी पाने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए एक औद्योगिक केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है।

टी.वी.एस. नगर के पास होसुर-थाली राज्य राजमार्ग पर एक रेलवे लाइन क्रॉसिंग है। व्यस्त रेलवे यातायात के कारण, रेलवे क्रॉसिंग गेट प्रति दिन लगभग 7-8 घंटे सड़क यातायात के लिए बंद रहता है। इससे जनता को भारी कठिनाई होती है। यहां तक कि एंबुलेंस की आवाजाही भी रुक जाती है। कम से कम

एक लाख लोग अपनी आजीविका के लिए प्रतिदिन इस सड़क का उपयोग करते हैं। वहाँ टी.वी.एस.,टाइटन जैसे बड़े औद्योगिक केंद्रों के साथ-साथ 3,000 से अधिक छोटी औद्योगिक इकाइयां भी हैं।

इसलिए, वहाँ रेलवे ओवरब्रिज की तत्काल आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से टी.वी.एस. नगर के पास होसुर-थाली रोड पर एक रेलवे ओवरब्रिज का युद्ध स्तर पर निर्माण के लिए आदेश देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नायब सिंह सैनी (कुरूक्षेत्र): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ज़ीरो आवर में बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं आपका आभारी हूँ।

सबसे पहले मैं कुरुक्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूँ, जिसके माध्यम से आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी और अमित शाह जी ने मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कुरुक्षेत्र के अति महत्त्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूँ। कुरुक्षेत्र एक धार्मिक नगरी है, जहाँ भगवान श्रीकृष्ण जी ने गीता का संदेश दिया। कुरुक्षेत्र में थानेश्वर एक पुराना शहर है। कुरुक्षेत्र की ज्यादा आबादी थानेश्वर में ही रहती है। कुरुक्षेत्र के अंदर ही थानेश्वर एक पुरानी सिटी है। वहाँ से एक रेल लाइन निकलकर कैथल की ओर जाती है। यह छह किलोमीटर का एरिया है। इस छह किलोमीटर के एरिया में रेलवे के चार फाटक पड़ते हैं। जब रेल आती है, तो चारों फाटकें एक ही समय में बंद हो जाते हैं। इसके कारण पूरा थानेश्वर शहर रुक जाता है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को इससे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आमजन को भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यदि कोई एमरजेंसी मरीज आता है, तो उसे भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

इसके साथ ही, कुरुक्षेत्र एक धार्मिक नगरी भी है। यहाँ हर रोज हजारों पर्यटक आते हैं। पर्यटकों को भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि उस छह किलोमीटर के एरिया में एक एलिवेटेड रेल ट्रैक बनाया जाए ताकि वहाँ के लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री नायब सिंह सैनी द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी (कैराना): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी और शाह जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं कैराना संसदीय क्षेत्र से चुनकर आता हूँ, इसलिए मैं वहाँ की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना से होकर कृष्णा नदी निकलती है। इस नदी से बहुत-से गांव प्रभावित हैं क्योंकि इस नदी के आसपास जो फैक्ट्रियाँ लगी हैं, उन फैक्ट्रियों का रसायनयुक्त पानी उस नदी में मिलकर बहता है। इसकी वजह से कैंसर जैसी बड़ी भयंकर बीमारी और चर्म रोग जैसी बीमारियों से लोग प्रभावित हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो इस प्रकार की भयंकर बीमारी फैल रही है, इस भयंकर बीमारी को रोकने के लिए उक्त नदी में गिरने वाले गंदे पानी को तत्काल रूप से रोका जाए, ताकि उस क्षेत्र की जनता को भयानक बीमारियों से बचाया जा सके। धन्यवाद।

श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल (खरगौन) : अध्यक्ष जी, धन्यवाद।

मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रथम बार इस सदन में आया हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और हमारी पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं मध्य प्रदेश की खरगौन बड़वानी लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। मैं वहां की समस्त जनता और समस्त कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके आर्शीवाद से मैं आज इस सदन में हूं। मैं वहां के जनहित के मुद्दे आपके माध्यम से हल कराना चाहता हूं।

खरगौन लोक सभा एक जनजाति बाहुल्य इलाका है। आजादी के 70 वर्षों के बाद भी इस लोक सभा क्षेत्र के आदिवासी वर्ग और समाज के सभी वर्गों ने न ट्रेन देखी है और न ट्रेन की पटरियां देखी हैं। 'सबका साथ, सबका विकास' को लेकर देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने वहां काम करना शुरू किया। सरकार के पिछले कार्यकाल में इंदौर से मनमाड रेल की स्वीकृति की गई। 35 हज़ार करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का उसका प्रोजेक्ट है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आह्वान करना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत हुए दो वर्ष हो गए हैं। अभी तक इसका कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, न ही इसके लिए किसी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। अत: मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से यह गुज़ारिश करता हूं कि इसका कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सके। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री तपन कुमार गगोई **-** उपस्थित नहीं।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग) : जनाब स्पीकर साहब, मैं जम्मू कश्मीर से हूं। जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत अच्छी बातें कही जाती हैं। कोई उसे धरती पर स्वर्ग का नाम देता है, कोई मुल्क का ताज कहता है, तो कोई मुल्क का दिल कहता है, लेकिन हकीकत यह है कि कश्मीर सारे मुल्क से तकरीबन हर माह दस या दस से ज़्यादा दिन तक कटा रहता है।

जनाब, नैशनल हाइवे की जो हालत है, वह अबतर है। वहां पिछले तीन सालों से बनिहाल-काज़ीगुंड टनल बन रही है, लेकिन वह मुकम्मल नहीं हो रही है। कल रामबन में एक दर्दनाक वाकया हुआ, एक व्हीकल के एक्सीडेंट में तीन बच्चे मारे गए। यह एक दिन की बात नहीं है, ऐसा रोज होता है। रामबन और बनिहाल का जो सैक्टर है, उसमें पिछले तीन सालों से कोई इंप्रूवमेंट, कोई अच्छाई, कोई रिलीफ दिखता नहीं है। न ही बनिहाल-काज़ीगुंड टनल के काम में भी कोई इंप्रूवमेंट दिखती है और न ही उसके बनने की कोई तारीख मुकर्रर की जा रही है। इससे यह होता है कि यही जो एक रास्ता है, वह कट जाता है। इस कारण दिल्ली-दुबई से दिल्ली-श्रीनगर की हवाई सफर की टिकट ज़्यादा होती है।

अभी हमने देखा कि सिविल एविएशन के मिनिस्टर साहब उत्तर दे रहे थे। ऐसा लगा कि वे गरीब की बात करने के बजाय, जो एयर ट्रैवल कंपनीज़ हैं, उनका इत्तेफाक कर रहे हैं। मेरी यह गुज़ारिश है कि बनिहाल-काज़ीगुंड टनल और बनिहाल-रामबन सैक्टर के मुकम्मल होने के लिए एक समय सीमा दी जाए, ताकि यह वादी जो मुल्क से कटी रहती है, यह कम हो। दूसरी बात है कि जब तक यह कार्य पूरा न हो, तब तक मुगल रोड को ज़्यादा मुस्तहकम किया जाए, जिससे वहां के यातायात को इंप्रूव किया जा सके। शुक्रिया।

श्री सय्यद ईमत्याज जलील (औरंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

महोदय, मैं अपना प्रश्न शुरू करने से पहले इस सदन में मौजूद तमाम नये सदस्यों की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह से आप नये सदस्यों का प्रोत्साहन कर रहे हैं, उनकी हिम्मतअफज़ाई कर रहे हैं। 300 नये सदस्य हैं, स्वाभाविक है कि जब इस महान सदन के अंदर जब हम आए, तो कहीं न कहीं कुछ घबराहट थी कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर हमारी पूरी टेंशन खत्म हो जाती है।

महोदय, इसलिए मैं आपको तमाम सदस्यों की तरफ से धन्यवाद देता हूं। कल जब हम अपनी कांस्टीट्युएंसी में जाएंगे और लोग हमसे पूछेंगे कि कैसा रहा पहला सत्र, तो हम उनसे यह कहेंगे कि सरकार का तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे जो एंपायर हैं, वे न्यूट्रल एंपायर हैं।

महोदय, मैं औरंगाबाद से आता हूं। औरंगाबाद में अभी फिलहाल पानी की जो गंभीर समस्या है, वह इतनी गंभीर हो चली है कि वहां आठ-आठ, दस-दस दिनों के बाद पानी आता है। रात में हमारी मां-बहनों को दो बजे, तीन बजे, चार बजे उठना पड़ता है। यह सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कह रहा हूं। वहां एक बड़ी राजनीतक पार्टी के एक बड़े नेता ने एक प्राइवेट कंपनी को औरंगाबाद में पानी लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है। देश के अंदर यह पहला ऐसा केस है, जहां पर पानी का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि फौरन इसे रोका जाए और राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार से हम यह कहना चाहते हैं कि पानी को उन्होंने बहुत गम्भीरता से लिया है। इस मुद्दे के ऊपर फौरन सरकार की तरफ से कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। पिछले **9** सालों से यह मामला इस वजह से अटका पड़ा है कि वहां का प्रशासन चाहता है और वहां की सरकार चाहती है कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। पानी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट कंपनी के हवाले कर दिया जाए। एक समांतर नाम की कंपनी इन्ट्रोड्यूस की जा रही है। इसे एक पायलट प्रोजेक्ट बोलकर उसे इन्ट्रोड्यूस किया जा रहा है। यदि आप पानी को बेचना शुरू कर दें तो इस देश के अंदर कितना हाहाकार मच जाएगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार है और केन्द्र में भी भाजपा की सरकार है और सरकार से हाथ जोड़कर यह अनुरोध करना चाहते हैं कि पानी की गम्भीर समस्या को लेकर

कम से कम **8** दिन का विशेष सत्र बुलाए**,** सिर्फ पानी की समस्या को हल करने के लिए या फिर इस सत्र के दौरान कम से कम दो**-**चार दिन पानी के ऊपर चर्चा हो**,** ताकि यहां पर बैठे**-**बैठे इसका हल निकाला जा सके ।

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा (दक्षिण गोवा): महोदय, आपके माध्यम से, मैं माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि गोवा दक्षिण बीदर के माध्यम से कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। गोवा को कर्नाटक से जोड़ने वाला एन.एच.-4ए पिछले पांच से छह महीने से बंद है। इसने गोवा के आंतरिक इलाकों में रहने वाले सभी लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। सिर्फ गोवा ही नहीं, कर्नाटक के एक गांव अनमोद और कर्नाटक के अन्य स्थानों के लोग भी मुश्किल में हैं। कर्नाटक के भीतरी इलाकों जैसे रामनगर में स्थित स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को भी इसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले, कोलेम और मोलेम जैसे स्थान पूरी तरह से खनन पर निर्भर थे। अब खनन बंद कर दिया गया है। वे अब केवल पर्यटन पर निर्भर हैं। वे केवल गुजारा करने लायक ही कमा पा रहें हैं क्योंकि इन स्थानों को जोड़ने वाला राजमार्ग बंद कर दिये जाने की वजह से पर्यटक भी वहां नहीं आ रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि इस राजमार्ग को तत्काल खोला जाए। इसे यथाशीघ्र खोला जाना चाहिए ताकि लोगों की कठिनाइयों को कम किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार बोल रहा हूं। महाराष्ट्र का मराठावाड़ क्षेत्र विगत एक दशक से सूखे की मार झेल रहा है। इस क्षेत्र में आने वाले लातूर शहर तथा उसके सीमावर्ती 21 गांवों में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। लातूर शहर में दस दिन में एक दिन पानी की आपूर्ति की जाती है। हालांकि, महाराष्ट्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकरों से पानी की सप्लाई कर रही है, परंतु फिर भी वह जनता की पेयजल की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। स्कूल जाने वाले बच्चे, स्कूल न जाकर पूरे दिन क्षेत्र की जरूरत के लिए पानी की व्यवस्था के लिए मजबूर हैं। प्राय: टैंकरों से पानी मंगाना बहुत ही महंगा होता है, जिससे वह आम आदमी और गरीबों की पहुंच के बाहर है। इस सदन के माध्यम से मेरा

सरकार से अनुरोध है कि वह राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल के तहत लातूर के ग्रामीण क्षेत्र के लिए उजनी बांध से पाइप द्वारा पेयजल की आपूर्ति हेतु एक योजना शीघ्र अति शीघ्र बनाकर कार्यान्वित करे, ताकि यहां की आम जनता को पेयजल की समस्या को छुटकारा मिले।

श्री सोयम बापू राव (आदिलाबाद): अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद है। मैं तेलंगाना से हूं। तेलंगाना में तेलंगाना की सरकार आदिवासी लोगों को जंगल से निकालने की कोशिश कर रही है। हर दिन आदिवासी लोगों के गांव में जाकर उनके घर गिरा रही है और उन पर केस लगाकर तमाम आदिवासी लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है। इसलिए तेलंगाना के आदिवासी लोगों को बचाना चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, मैं मुरादाबाद की एक बहुत ही इम्पॉर्टेन्ट समस्या के लिए आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, पिछले दिनों मुरादाबाद सिटी, हिन्दुस्तान का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी माना गया और मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी अगर कोई था, तो वह मुरादाबाद था। अध्यक्ष जी, मुरादाबाद के अन्दर आर्टीज़न्स, जो कोयले से काम करते हैं, जिससे कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे उनकी सेहत खराब हो रही है। मेरी सरकार से यह दर**ख्वास्त** है कि हमारे आर्टीज़न्स को भी उसी तरह सब्सिडा**इज्ड** रेट पर गैस दी जाए, जिस तरह फिरोज़ाबाद में गैस दी जा रही है, ताकि उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो और पॉल्यूशन की समस्या से भी मुरादाबाद को निजात मिल सके। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री अच्युतानंद सामंत (कंधमाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आपको नमस्कार करता हूँ। मैं पहली बार सांसद बनकर आया हूँ और पहली बार आपकी अनुमति से बोल रहा हूँ। खुशी की बात है कि आप जैसे समाजसेवी राजनीति के क्षेत्र में हैं। मैं लगभग 30 वर्ष से बहुत बड़े स्केल पर समाज सेवा करता आ रहा हूँ। बहुत से माननीय सांसदों को यह पता है। माननीय मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक जी की मुझ पर श्रद्धा हुई कि उन्होंने मुझे लोक सभा सांसद के रूप में यहाँ भेजा है। मैं ओडिशा के संसदीय क्षेत्र कंधामल से चुनकर आया हूँ। कंधामल पार्लियामेंट कॉन्स्टीट्युएंसी का नाम आपने शायद सुना होगा या नहीं, यह आदिवासी बाहुल्य कॉन्स्टीट्युएंसी है, जहाँ 82 प्रतिशत एससी-एसटी हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से यह माँग करना चाहता हूँ कि लगभग 39 वर्ष पहले, यहाँ रेलवे कनेक्टिविटी होने की एश्योरेंस

उस समय के प्रधान मंत्री जी ने अपनी घोषणा में की थी। उस समय से सर्वे वगैरह सब कुछ चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्य आगे नहीं बढ़ा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो रेलवे कनेक्टिविटी का कार्य चल रहा है, वह खुर्दा बलांगीर के रास्ते से ही जा रहा है। यदि उसको 39 किमी अन्दर तक कंधामल जिले से कनेक्ट कर देंगे तो वहाँ के आदिवासी लोगों का जो रेल देखने का सपना है, वह सपना पूरा होगा। कंधामल जिले में पयर्टन बहुत बढ़ा है। वहाँ दरिंगबाड़ी एक जगह है, जिसको ओडिशा का कश्मीर बोलते हैं। ऐसा होने से वहाँ पर्यटन को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। गरीब लोगों की आर्थिक सम्पन्नता बढ़ेगी और रोज़गार भी बहुत बढ़ेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कंधामल में रेलवे कनेक्टिविटी शुरू करनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।

माननीय अध्यक्ष : श्री महेश साहू को श्री अच्युतानंद सामंत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुरेश कश्यप (शिमला): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार आज इस सदन में बोल रहा हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूँ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहूँगा। मैं किसानों के विषय पर बोलना चाहूँगा। आज हिमाचल प्रदेश में, जो कि एक कृषि प्रधान राज्य है। ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते हैं, फल उगाते हैं, पौधे उगाते हैं, फूल उगाते हैं, लेकिन बन्दरों, जंगली जानवरों तथा बेसहारा पशुओं के कारण किसान कृषि से दूर हो रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है, सरकार से आग्रह है कि यहाँ जो बंदरों की समस्या है, जंगली जानवरों की समस्या है, बेसहारा पशुओं की समस्या है, उससे निजात दिलाएँ। हमारे जो किसान भाई हैं, पहले उनको फसलों की रखवाली के लिए बंदूकों के लाइसेंस की जो फीस थी, वह बहुत कम थी। मात्र 120 रुपये रिन्यूअल के लिए लगते थे, जिसको बढ़ाकर अब 1650 रुपये किया गया है। दूसरा, किसानों के लिए जो नए लाइसेंस फसलों की रखवाली हेतु बनते हैं, उसकी फीस 2200 रुपये है, जो किसानों के लिए बहुत बड़ी धनधनराशि है। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे। साथ ही साथ, मै यह भी कहना चाहूँगा कि मनरेगा के तहत हमारे किसानों को फसलों की रखवाली के लिए रखवाला रखने की व्यवस्था हो, साथ ही सोलर फेंसिंग, बाड फेंसिंग के लिए भी अधिक से अधिक सब्सिडी का प्रावधान

किसानों के लिए किया जाए। जंगल से बंदर और अन्य दूसरे जानवर खेतों में न आएं, इसके लिए फलदार पौधे लगाने का प्रावधान किया जाए। बेसहारा पशुओं के लिए, गौ सदन के निर्माण के लिए, सामाजिक और गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्र में लीज पर भूमि दी जाए। अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती संध्या राय (भिंड): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं इस सदन को भी नमन करती हूं क्योंकि मैं इस सदन में पहली बार आई हूं। मैं धन्यवाद देती हूं हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया। मैं धन्यवाद देती हूं भिंड और दतिया लोक सभा क्षेत्र की अपनी जनता जनार्दन को, जिन्होंने मुझे चौकीदारी का अवसर दिया और आज मैं अपने क्षेत्र की समस्या यहां रख रही हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र भिंड और दतिया में दो महीने पहले सरकारी केन्द्रों पर किसानों की फसलों की खरीदी हुई थी। उसमें गेहूं, सरसों और चावल है। आज दो से ढाई महीने होने को आए हैं, लेकिन आज तक किसानों के खाते में उसका पैसा नहीं पहुंचा है। वह **25** लाख रुपये भी हो सकता है और **50** लाख रुपये भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमारे क्षेत्र के किसानों के घरों में बेटी की शादी है, बेटों की पढ़ाई के लिए धन पहुंचाना है, ऐसी तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगी कि किसी भी तरह मेरे क्षेत्र के किसानों के खातों में पैसे पहुंचें, जिससे उनके रुके हुए काम पूर्ण हो सकें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री मारगनी भरत (राजामुन्दरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा पहला भाषण है। मुझे इस महती सभा में बोलने की अनुमति प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मैं आपका ध्यान गोदावरी नदी से संबंधित एक मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, गोदावरी नदी प्रदूषित हो रही है। यह नदी मेरे निर्वाचन क्षेत्र राजमहेंद्रवरम के निकट से बहती है। वास्तव में, राजमहेंद्रवरम में गोदावरी नदी का एक बड़ा हिस्सा पड़ता

है। गोदावरी नदी के निकट बहुत सारे उद्योग हैं। परिणामस्वरूप, सभी मानव अपशिष्ट और जल निकासी सीधे गोदावरी नदी में चले जाते हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा भी अपने अभिभाषण में सभी राष्ट्रीय नदियों की सफाई का उल्लेख किया गया है। उन्होंने गोदावरी नदी का भी उल्लेख किया था।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे गोदावरी नदी की सफाई के बारे में सोचें ताकि नदी में नालों के पानी को न छोड़ा जाए। वास्तव में, आप भूमिगत जल निकासी प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं। सर आर्थर कॉटन ने पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी के लिए पानी के संरक्षण हेतु एक बांध भी बनवाया था। गोदावरी जिले में एक करोड़ से अधिक आबादी रहती है। इसलिए, मैं राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय से कुछ धनधनराशि आबंटित करने का अनुरोध करूंगा ताकि पानी में जो जीवाणु मौजूद हैं उन्हें हटाया जा सके। यदि ई.कोलि बैक्टीरिया 500 यूनिट से अधिक होता है, तो यह लोगों के लिए खतरनाक है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से इस संबंध में कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की ओर दिलवाना चाहता हूं। इंदौर की पॉपुलेशन 28 लाख से ज्यादा हो गयी है। लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि वहां दो ही केन्द्रीय विद्यालय हैं। यह मांग लम्बे समय से की जा रही है कि वहां तीन केन्द्रीय विद्यालय और खोले जाएं। आपके माध्यम से मेरी यह मांग है कि इंदौर में तीन केन्द्रीय विद्यालय और खोले जाएं। दूसरा, जब तक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाते हैं तब तक जो दो स्कूल्स चल रहे हैं, उनमें कक्षाएं बढ़ायी जाएं, सत्र बढ़ाए जाएं। तीसरा, यह भी हो सकता है कि तब तक उन दो स्कूल्स को दो शिफ्ट में किया जा सकता है ताकि छात्रों को एडमिशन मिल सके। मैं एक मांग और रखना चाहता हूं कि आपने सांसदों की अनुशंसा के लिए दस का कोटा बनाया है, इसको बढ़ाकर 50 किया जाना चाहिए। यही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री शान्तनु ठाकुर (बनगांव): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सभा में पहली बार बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात करना चाहूंगा। सीमा पर एक ऐतिहासिक स्थान है जिसे पेट्रापोल बॉर्डर कहा जाता है। यह बनगांव-बारासात से भी जुड़ा है। इस क्षेत्र में लगभग 4000 पेड़ हैं। पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने इस सड़क पर विस्तार का काम शुरू किया था लेकिन स्थानीय मुद्दों के कारण इसे अचानक रोक दिया गया।

महोदय, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष सरकार ने उस सीमावर्ती क्षेत्र से 30,000 करोड़ रुपये की कमाई की थी। जेसोर रोड नामक एक सड़क है जो कोलकाता से जुड़ी हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि बनगांव को बारासात से जोड़ने वाली सड़क अवसंरचना का उन्नयन किया जाए और इस लगभग 50 किलोमीटर लंबे इस मार्गखंड को चार लेन का बनाया जाए। इस सड़क पर भारी यातायात है और यह छोटे और सीमावर्ती शहरों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि इस सड़क की अवसंरचना सुधार की प्रक्रिया में पेड़ों को छेड़ा न जाए और सड़क को उसी तर्ज पर डिज़ाइन किया जाए जिस प्रकार से आस-पास के क्षेत्रों में बी.एस.एफ.अंतर्राष्ट्रीय सड़क को बनाया गया है, जो पेड़ों का उपयोग करके और दो लेन के बीच एक डिवाइडर बनाकर किया गया है। सरकार को उक्त सड़क का उन्नयन करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। यह स्थानीय निवासियों को अपनी आजीविका बनाए रखने में भी मदद करेगा। धन्यवाद।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री शान्तनु ठाकुर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

[अनुवाद]

श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आरामबाग):माननीय अध्यक्ष महोदय, इस महती सभा में शून्यकाल के दौरान मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। आपने मेरा दो बार नाम लिया था, लेकिन मैं नहीं थी

। सोमवार से मैं सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन के लिए रिक्वेस्ट दे रही हूं। जीरो ऑवर में भी मेरा नंबर नहीं आ रहा है । इसलिए मैं थोड़ा निराश हो गई थी।

*मैं अपनी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी। मैं आरामबाग के सभी लोगों को भी धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने मुझे एक बार फिर इस सम्मानित सभा के लिए चुना है।

आजादी के बाद पहली बार आरामबाग में रेलवे नेटवर्क शुरू करने में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय तारकेश्वर मंदिर को बिशनुपुर मंदिरों से जोड़ने के लिए तारकेश्वर से बिशनुपुर रेल चलाई गई थी। जब वह रेल मंत्री थीं, तब काम बहुत तेजी से किया जा रहा था। लेकिन जब मंत्रालय दूसरी पार्टी के पास गया तो काम रुक गया। कुछ राजनीतिक दलों ने स्थानीय लोगों को परेशान करना और गुमराह करना शुरू कर दिया। कमरकुंडु फ्लाईओवर का काम भी बहुत धीरे-धीरे किया जा रहा है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया कार्य में तेजी लाएं ताकि आरामबाग के लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद*।

[हिन्दी]

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मुझे आपने किसानों की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या उठाने का अवसर दिया है।**...(**व्यवधान**)**

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बैठे-बैठे नहीं बोलिए।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री विनोद कुमार सोनकर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में चकेरी से लेकर कोखराज तक एनएच टू पर फोर लेन से सिक्स लेन का काम निर्माणाधीन है। मेरे संसदीय क्षेत्र में अटसराय से लेकर कोखराज तक जब सरकार ने जमीन का अधिग्रहण किया था, तो पहले व्यावसायिक रेट से भुगतान करने के लिए उनको नोटिस जारी किया गया था। जब उत्तर प्रदेश में आरओ चेंज हो गए, तो उन्होंने उसका

* मूलतः बंगाली में दिए गए भाषण के अंग्रेज़ी अनुवाद का हिन्दी रुपांतर।

व्यावसायिक रेट घटाकर उसको घरेलू कर दिया, जिसके कारण अटसराय से लेकर कोखराज तक जिन पांच हजार किसानों को करोड़ों रुपयों का भुगतान होना था, अब उनसे कौड़ियों के दाम पर जमीनें मांगी जा रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनके एक अधिकारी द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि यदि आप लोगों ने व्यावसायिक रेट मांगा तो यह प्रोजेक्ट समाप्त कर दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिला प्रशासन द्वारा वहां पर जो रजिस्ट्री का शुल्क है, उसे व्यावसायिक रेट पर लिया जा रहा है, लेकिन किसानों को जो भुगतान किया जा रहा है, वह खेती का किया जा रहा है। अतः मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि एक कमेटी भेजकर जांच कराई जाए, क्योंकि किसान बहुत नाराज हैं। जिन किसानों की जमीनों के दाम करोड़ों में होने चाहिए, वह **600** रुपये, **500** रुपये वर्गमीटर आ रही है। इसलिए किसानों में नाराजगी है।

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): माननीय अध्यक्ष जी, आपको अनेक बधाइयां और असंख्य धन्यवाद। मैं 17वीं लोक सभा में पहली बार बोल रहा हूँ। वैसे मैं दूसरी बार चुन कर आया हूँ। मैं नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली क्षेत्र का सांसद हूँ। अध्यक्ष जी, वहां से यमुना जी बहती हैं और वे बहुत खतरे में हैं। मैं आपके समक्ष और पूरे सदन के समक्ष यह खतरा बताना चाहता हूँ। पानी बहुत महत्वपूर्ण है। पानी जहां नहीं है, वहां तो एक समस्या है ही, लेकिन जहां पानी है और पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, वहां समस्या अधिक है। जब मैं 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर यमुना किनारे सफाई में भाग लेने गया तो हम बेहोश होते-होते बचे हैं। यमुना जी को सबसे बड़ा खतरा यह हो रहा है कि ओखला क्षेत्र में यमुना जी के किनारे लगभग तीन हज़ार घर यमुना जी के अंदर बन गए हैं और इस समय भी बन रहे हैं। जैसा थोड़ी देर पहले हमारी बहन मीनाक्षी लेखी जी ने सीलिंग की बात कही थी, बाकी जगहों पर तो रोकी जाती है, लेकिन जहां सरकारी जमीन पर यमुना जी के अंदर घर बन रहे हैं, इस समय भी बन रहे हैं, वहां कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है**?** मैं समस्या आपके ध्यान में लाते हुए इसको तुरंत रोकने की कार्यवाही करने की प्रार्थना करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सी.पी. जोशी, श्री सुधीर गुप्ता एवं श्रीमती मीनाक्षी लेखी को श्री मनोज तिवारी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां): अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद कि आखिर में आपने राजस्थान के सांसदों में मुझे बोलने का चांस दिया। मुझे आपसे यह बात कहनी है कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने किसान सम्मान निधि योजना बनाई है, जिसमें राजस्थान के लगभग 55 से 60 लाख से ज्यादा किसान आते हैं। इसमें राज्य सरकार ने केवल 39 लाख किसानों का ही पैसा दिया है। बाकी लगभग 18 से 19 लाख जो किसान हैं, उनको वह धनधनराशि नहीं दी गई हैं। मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ, क्योंकि आप भी राजस्थान से आते हैं, वित्त राज्य मंत्री भी यहीं बैठे हुए हैं। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ कि हमारे प्रांत के लिए और आपके प्रांत के लिए, जहां से आप आते हैं, आप उनको इतना निर्देश दें कि जो प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि है, जो किसानों के लिए है, वह सभी किसानों को सही समय पर राज्य सरकार द्वारा दी जाए। राज्य सरकार ने चुनाव के वक्त लगभग दो लाख रुपये से ऊपर की धनधनराशि से किसान को कर्ज़ा मुक्त करने की बात कही थी। वह काम अब तक हुआ नहीं है, उन्होंने सबको गुमराह किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे किसानों को यह किसान निधि जल्दी ही मिल जाए।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सी.पी. जोशी एवं श्री सुधीर गुप्ता को श्री दुष्यंत सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद फैजल पी.पी. (लक्षद्वीप):माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक विशिष्ट मुद्दा है जिसका सामना अन्य सदस्यों में से कोई भी नहीं कर रहा होगा क्योंकि मैं एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं जो बहुत ही विशिष्ट प्रकृति का है।

महोदय, मैंने इस मामले को पिछली लोक सभा में भी उठाया था। ओखी तूफान ने कल्पेनी को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया था। एक ब्रेकवाटर है जो यात्रियों के आवागमन का एकमात्र माध्यम है। यह वास्तव में 165 मीटर का है जिसमें से 85 मीटर बह गया। संसद में मुद्दा उठाने सहित कई प्रयासों के बाद, मंत्रालय द्वारा लगभग 34.56 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे।

कार्यान्वयन एजेंसी अंडमान और लक्षद्वीप बंदरगाह के काम को बहुत हल्के तरीके से ले रही है और यह काफी धीमी गति से आगे बढ़ रही है। चीजें सही तरीके से नहीं हो रही हैं। इसके अलावा, मानसून शुरू हो गया है। माल ढुलाई सहित यात्रियों का आवागमन बंद हो गया है। वहां बहुत ही चिंताजनक स्थिति है।

मैं संबंधित मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले पर ध्यान दे और चीजों को तेजी से आगे बढ़ाने और स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए ताकि लोगों के लिए वहां रहना आसान हो सके।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले को श्री मोहम्मद फैजल पी.पी. द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) (एटा): माननीय अध्यक्ष जी, 17वीं लोक सभा में आपने मुझे पहली बार बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर मैं 20 जून की घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। तेलंगाना के हैदराबाद में विधायक टी. राजा सिंह पर हमला हुआ है। उस संबंध में रानी अवंती बाई की मूर्ति 2009 में लगी थी। वह टूट-फूट गई थी, उसकी जगह दूसरी मूर्ति लगाने की प्लानिंग थी। पुलिस ने उनको मारा-पीटा और ऐसी वीरांगना अवंती बाई लोधी, जिसने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर की, वर्ष 1857 में मंडला के पास खेरी गाँव में ब्रिटिश सेना को हराया, वर्ष 1858 में फिर अंग्रेजों ने हमला किया।

मान्यवर, पुलिस की जो बर्बरता टी. राजा सिंह पर हुई है, मैं उसकी उच्च स्तरीय जाँच की माँग करता हूँ और सरकार को बर्खास्त करने की माँग करता हूँ, जिन्होंने ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सी.पी. जोशी और श्री सुधीर गुप्ता को श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं **17**वीं लोक सभा में पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री भाई नरेन्द्र मोदी जी का, पार्टी के अध्यक्ष भाई अमित शाह जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिनके आशीर्वाद से मैं दोबारा लोक सभा

में पहुँचा हूँ, साथ-साथ जमेशदपुर लोक सभा के तमाम मतदाताओं और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूँ।

मैं अति महत्वपूर्ण चार जो रेल लाइन हैं, जो पड़ोसी राज्य को जोड़ती हैं, वर्षों से लोगों की माँग थी कि रेल लाइन बनेगी तो हमारा सुनहरा सपना साकार होगा। चांडील, पटमदा, बांधवान होते हुए झाड़ग्राम जो पश्चिम बंगाल को जोड़ता है और इसमें चार लोक सभा के सदस्य आते हैं। वहीं चाकूलिया, बहरागोड़ा, बुड़ामारा उड़ीसा को जोड़ती है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कंडरा से नामकूम टाटा को जोड़ती है। साथ-साथ जमशेदपुर से बदाम पहाड़ होते हुए क्योंझर, वर्षों पुरानी लोगों की माँग थी। यह उम्मीद है कि चारों रेल लाइन की कनेक्टिविटी हो जाएगी तो हम लोगों को सहूलियत होगी, क्योंकि यह कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण सभी लोगों को वहाँ काफी दिक्कत है। साथ-साथ एक निवेदन करना चाहता हूँ कि पूर्वोत्तर राज्य के लिए एक ही रेल जोन गार्डन रीच में है और इतने बड़े क्षेत्र में रेल का विकास काफी धीमा है। हम चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू देने वाला हमारे धनबाद डिविजन में सीकेबी डिविजन है, इसमें एक नया जोन आपके माध्यम से माननीय मंत्री से माँग करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी (मल्काजगिरी): मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र तेलंगाना में मल्काजगिरी है। यह भारत का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, जिसमें साढ़े 32 लाख वोट हैं। ...*(व्यवधान)* जहाँ पर बिहार से लेकर गुजरात तक, महाराष्ट्र से लेकर मलयाली तक, राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक सब लोग मेरी कॉन्स्टीट्यूएंसी में हैं। वह मिनी भारत है। वहाँ पर दिक्कत यह है कि कन्टोनमेंट बोर्ड में 10 लाख लोग उस रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। टाइम एंड अगेन, डिफेंस मिनिस्टर आदेश दे रहे हैं उस रोड को ओपन करने के लिए। वह रोड 15-20 दिन के लिए ऑपन करते हैं, उसके बाद फिर आर्मी जवान उस रोड को बंद कर देते हैं। रिसेंटली स्कूल्स ओपन हुए हैं, अचानक उस रोड को बंद किया है, स्कूल जाने वाले सभी स्टूडेंट्स को आधे दिन में ही बाहर निकाल देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप डिफेंस मिनिस्टर को आदेश दीजिए कि एटलिस्ट डिफेंस, कन्टोनमेंट बोर्ड एंड लोकल गवर्नमेंट की एक कम्बाइंड मीटिंग लेकर उस इश्यू को रिजॉल्व कीजिए । इसके अलावा, हर रोज़ 10 लाख लोग उस सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं।

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पहली बार बोलने का मौका दिया। मैं ग्वालियर से आता हूँ, जिसका प्रतिनिधित्व मान्यवर श्रद्धेय अटल बिहारी वापजेयी जी, श्रद्धेय राजामाता सिंधिया जी, माधव राव सिंधिया जी आदि सभी ऐसे महापुरुषों ने किया है । तीन संसदीय क्षेत्रों ग्वालियर, मुरैना और गुना शिवपुरी इन तीनों को लाभ देने वाली एक संवाई माधोपुर–झांसी रेल लाइन के बारे में मैं निवेदन करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। इस रेल मार्ग का सर्वे 2015 में ही पूरा हो चुका है। किन्हीं कारणों से यह काम चालू नहीं हो पा रहा है। मैं आपके ध्याम में एक और बात दिलाना चाहता हूँ कि आईटीबीपी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केन्द्र शिवुपरी जिले के करैरा में आता है। सामरिक दृष्टि से भी मेरा यह मानना है कि इस रेल लाइन का बहुत लाभ इस देश को होगा।

इतना ही नहीं, इस रेल लाइन के बनने के बाद दो प्रदेशों की राजधानी जयपुर और लखनऊ को भी सीधे रेल लाइन से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है।

मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस ओर गंभीरता से विचार करें और इस रुके हुए काम आगे बढ़ाएं।

श्री हरीश द्विवेदी (बस्ती): महोदय, हमारा संसदीय क्षेत्र बस्ती 150 वर्ष पुराना जिला है। तमाम सामाजिक, धार्मिक आन्दोलनों में बस्ती का बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वतंत्रता आन्दोलन में हमारे बस्ती के लगभग 150 नौजवानों को फाँसी पर लटका दिया गया था। वह कमिश्नरी मुख्यालय है, लेकिन अभी भी शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। बस्ती से छात्र पढ़ने के लिए इलाहाबाद या बनारस जाते हैं।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से माँग है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कैम्पस या काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का कैम्पस बस्ती में खुलवाया जाए, जिससे गरीब छात्रों को पढ़ने में आसानी हो । धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री हरीश द्विवेदी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सौमित्र खान (बिशनुपुर): महोदय, सबसे पहले तो मैं नरेन्द्र मोदी जी और अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी वजह से मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ। मुझे विष्णुपुर से तारकेश्वर रेल पथ चाहिए, लेकिन इसमें बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पर भी जो भी काम करे, सिंडिकेट में पैसा दो, नहीं तो कट मनी करके मिनिस्टर्स, एमएलए और पंचायत प्रधान को पैसा दो। मेरी एक माँग है कि जितना सारा कट मनी लिया हुआ है, टीएमसी सरकार के जितने विधायक हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, जितने पंचायत प्रधान हैं, ग्राम सभा के चेयरमैन हैं, सबकी एक ही आदत हो गई है कि जहाँ भी वे जाएंगे, वहाँ से उन्हें कट मनी चाहिए। मेरी यही माँग है कि सी.एम. के परिवार ने वर्ष 2011 के बाद कितना पैसा लिया है, कितना कट मनी से पैसा लिया है, इसकी जाँच कराई जाए।**...(**व्यवधान**)** किस वजह से यह विष्णुपुर-तारकेश्वर रेल पथ बंद रखा हुआ है**?** मेरी डिमांड है कि इसकी जाँच कराई जाए। सी.एम. के परिवार वालों ने कट मनी के माध्यम से कितना पैसा लेकर कितनी सम्पत्ति एकत्रित की है, इसके ऊपर जाँच होनी चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सुधीर गुप्ता और श्री सी.पी. जोशी को श्री सौमित्र खान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) (बीरभूम): सर, मैं जल संकट के बारे में बात करना चाहती हूँ। मेरी कांस्टीट्युएंसी वीरभूमि है। यहाँ पर मोहम्मद बाजार है, उसके पास में हिंगलो नदी है, खोएडसोल है, शाल रिवर है और राज नगर पर बकरेश्वर है। इसके अलावा भी राजगांव है, उसमें कोई नदी नहीं है, लेकिन वहाँ पानी चाहिए। स्पीकर के अलावा आप एक एमपी भी हैं। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि 5 करोड़ रुपये में कुछ काम नहीं होता है, 5 करोड़ रुपये में पानी देना मुश्किल बात है। इसलिए जो नई मिनिस्ट्री बने, वह जल संकट को दूर करे। मैं उससे रिक्वैस्ट करूंगी कि वह मेरी कांस्टीट्युएंसी को पानी दे। मेरी आपसे एक रिक्वैस्ट है। नए लोग तो चुनकर आए हैं, हर जगह पर पुराना पीछे जाता है। प्लीज, आप यहाँ पर घर की मुर्गी दाल बराबर मत कीजिए। सबको एक ही जैसा बोलने का चांस दें। हम सुबह से, दो दिन से बोलने के

लिए वेट कर रहे हैं। पुराना भी हो जाए, नए एमपी के साथ पुराने एमपी को भी इक्वल चांस दीजिए। थैंक यू।

माननीय अध्यक्ष : सबको इक्वल चांस दिया है।

श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) : सर, बाद में, लास्ट में चांस दिया है।

माननीय अध्यक्ष : नए एमपी के बाद आपको यानी पुराने एमपी को बोलने का मौका दिया है। हमने सबको मौका दिया है।

श्री के सी पटेल। पटेल जी, पहली बार बोल रहे हैं।

डॉ. के. सी. पटेल (वलसाड): महोदय, धन्यवाद। मैं आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी, अमित भाई शाह जी और अपने वलसाड, डांग और वांसदा के सभी मतदाता भाइयों का बहुत-बहुत आभारी हूं और उन सबका वंदन करता हूं। मेरे सब साथी मित्र जो यहां इस पवित्र ऑगस्ट हाउस में हैं, उनका भी मैं वंदन करता हूं।

मेरे डांग डिस्ट्रिक्ट, वलसाड डिस्ट्रिक्ट और नवसारी डिस्ट्रिक्ट में अभी बारिश नहीं है। हम वहाँ टैंकर्स से पानी सप्लाई करते हैं। हमारे वहां हर वर्ष सौ इंच बारिश होती है, लेकिन सब पानी समुद्र में चला जाता है। हमारे यहां बड़ी-बड़ी नदियां हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि हमारे यहां बड़े-बड़े चैक डैम प्रधान मंत्री सिंचाई योजना से बनें, यही मेरी प्रार्थना है। इसका हमारे यहाँ बड़ा विस्तार है।

<u>अपराह्न 02.00 बजे</u>

वहां आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी ने 86 करोड़ रुपये की वाटर सप्लाई की बहुत बड़ी योजना शुरू की। वह जल्दी पूरी हो जाए। सर, हमारे वलसाड सिटी में एक बार पानी मिलता है। वलसाड सिटी में दमनगंगा नदी से पाइपलाइन के माध्यम से पानी आए, यह हमारी मांग है।

हमारे यहां वापी इंडस्ट्रियल एरिया एशिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। वहां हमारी इंडस्ट्रीज को जो परेशानी होती है, उससे उन्हें सहायता करें, यही मेरी प्रार्थना है।

[अनुवाद]

श्रीमती अपराजिता सारंगी (भुवनेश्वर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस महती सभा में मैं ओडिशा के भुवनेश्वर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं। मैं इस सम्मानित सभा का ध्यान नीति आयोग द्वारा कुछ दिन पहले प्रकाशित स्वास्थ्य सूचकांक प्रतिवेदन की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस स्वास्थ्य संबंधी कार्यनिष्पादन सूचकांक प्रतिवेदन में, ओडिशा का स्थान गिरकर 19वें स्थान पर आ गया है, जो इसे देश के 21 बड़े राज्यों में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बनाता है। यदि आप ओडिशा की नवजात मृत्यु दर देखें, तो यह सिएरा लियोन के बराबर है, जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला उप सहारा देश है। ओडिशा की तुलना सिएरा लियोन से की जा सकती है। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों को साधुवाद, जो पहले ही 12 के सतत विकास लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं, जिसका अर्थ है प्रति 1000 बच्चों के जन्म पर 12 मौतें। यह केरल और तमिलनाडु की नवजात मृत्यु दर है।

नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार, ओडिशा में उच्चतम नवजात मृत्यु दर, दूसरी उच्चतम शिशु मृत्यु दर, तीसरी उच्चतम पांच वर्ष से कम आयु के बालकों की मृत्यु दर और और चौथी उच्चतम मातृ मृत्यु दर दर्ज की गयी है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ...(*व्यवधान*) मुझे बस एक मिनट और बोलने दीजिए। यह एक अत्यंत ज़रूरी मुद्दा है और इस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है।

इस प्रतिवेदन के अनुसार, ओडिशा राज्य में 51 प्रतिशत महिलाएं और 7 प्रतिशत बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं और स्टंटिंग की व्यापकता भी बहुत अधिक है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आपका विषय अच्छा है, लेकिन इस पर डिटेल भाषण की आवश्यकता है ।

[अनुवाद]

श्रीमती अपराजिता सारंगी : मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे ओडिशा राज्य से इस संबंध में एक प्रतिवेदन मंगवाएं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : डॉ. किरिट पी. सोलंकी और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती अपराजिता सारंगी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): सर, सबसे पहले तो आपको अध्यक्ष के तौर पर धन्यवाद।

सर, पन्द्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं, तीनों लोक सभा के दरम्यान मेरा एक ही विषय रहा है। सूरत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर है। सबसे ज्यादा विश्वास की बात यह है कि भारत की जनता ने सबसे ज्यादा वोट दिया। हर चार व्यक्तियों में से तीन व्यक्तियों ने बी.जे.पी. को वोट दिया है। 100 में से 75 परसेंटेज वोट जब बी.जे.पी. को यहां मिला है तो लोगों ने विश्वास तो बहुत किया है। यह रिजल्ट-ओरिएंटेड है। वर्ष 2009-14 के दरम्यान हमें यह उत्तर मिलता था कि महोदय, यह रूट लाभकारी नहीं है। वर्ष 2014 के बाद परिणाम यह आया कि सूरत एयरपोर्ट की ग्रोथ पिछले दो सालों में 250 पर्सेंट से ज्यादा हुई है। जहां पहले 78-सीटर्स की फ्लाइट की एक कनेक्टिविटी थी, वहीं आज 52 ऑपरेशंस सूरत से हो रहे हैं। यह काम करने वाली सरकार है। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई के प्रयत्नों से सूरत को ग्रोथ की यह गति मिली है। जब चुनाव आया तो हमें इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी मिल गयी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पहली बार शारजाह की फ्लाइट दी। लेकिन, ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए हमें दूसरी एयरलाइंस पकड़नी पड़ती है। इसलिए अगर एयर इंडिया को दुबई से कनेक्ट किया जाए, जहां से जेट एयरवेज के कई सारे स्लॉट्स खाली हैं तो मुझे लगता है कि उससे सूरत को लाभ होगा।

सर, मैं एक ही उदाहरण दूंगी कि पूरे भारत में एक ही शहर ने तीन करोड़ डिपॉज़िट करके 118 सीट्स की गारंटी दी है। अगर आज आपने सुबह में मुझे बोलने का चांस दे दिया होता तो मैं एविएशन मिनिस्टर के साथ इसकी भी बात कर लेती। 118 सीट्स साढ़े चार हजार रुपये में मिलती हैं और उसके बाद उसकी कमर्शियल प्राइस चालू होती है। प्राइवेट एयरलाइंस का शेयर जो 90-95 परसेन्ट है और जिन शहरों की कनेक्टिविटी के लिए कवर कर रहे हैं, उसमें पुणे, जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता है। अगर हमें और भी शहरों के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट मिल जाए तो मुझे लगता है कि सूरत का ग्रोथ और अच्छा होगा।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल तथा डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): अध्यक्ष जी, मैं 13वीं लोक सभा के बाद एक लंबे अंतराल के बाद आयी हूं, लेकिन जिस क्षेत्र से आयी हूं, वह दौसा संसदीय क्षेत्र है। राजस्थान का दौसा संसदीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, जिसने भारत की आज़ादी के पहले तिरंगे झंडे का कपड़ा दिया। आज भी वहां तिरंगा झंड़ा बनता है, लेकिन उस शहर की जो स्थिति है, वह ऐसी स्थिति है कि न पेयजल है, न सड़कें हैं, न अन्य सुविधाएं हैं। वहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस शहर को अमृत सिटी योजना में जोड़ा जाए, तो नि:संदेह दौसा के लिए, जो ऐतिहासिक स्थल है, उसके लिए कुछ लाभ मिलेगा। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती साजदा अहमद (उलुबेरिया): महोदय, इस 'शून्य काल' में मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र उलुबेरिया, पश्चिम बंगाल में बैंकिंग सुविधाओं के उपलब्ध न होने के बारे में भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

मेरे संसदीय क्षेत्र में, राष्ट्रीयकृत बैंकों और बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बहुत खराब है। मैंने पिछले वर्ष केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि बगनान-I और बगनान -II, उलुबेरिया-II और अमता-II ब्लॉक में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं स्थापित की जाएं। लेकिन मुझे इस सम्मानित सभा को सूचित करते हुए बहुत निराशा हो रही है कि सरकार ने आज तक इस संबंध में कोई काम नहीं किया है। यहाँ एटीएम की सुविधा भी बहुत खराब है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। मेरे पूरे निर्वाचन क्षेत्र में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के अमता-II, श्यामपुर-II और उदयनारायणपुर ब्लॉकों में और अधिक एटीएम स्थापित करने की आवश्यकता है।

महोदय, सरकार से आग्रह करती हूं कि व्यापक जनहित में मेरी अपील को एक गंभीर शिकायत के रूप में लिया जाए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित होती है।

<u>अपराह्न 02.08 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याहन भोजन के लिए अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 03.02 बजे

लोक सभा मध्याहन भोजन के पश्चात् अपराह्न

3 बजकर 2 मिनट पर पुन: समवेत हुई।

(डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी *पीठासीन हुए*)

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

माननीय सभापति : नियम **377** के तहत जिनके मामले लगे हैं**,** इसमें पाँच सदस्य हैं**,** उनको हम बुलवाएंगे । मैं पहला नाम देता हूं **–** श्रीमती अपराजिता सारंगी ।

मैडम**,** जो टैक्स्ट है**,** केवल वही रिकार्ड में जाएगा ।

(एक) स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा के प्रदर्शन के बारे में

[अनुवाद]

श्रीमती अपराजिता सारंगी (भुवनेश्वर): नीति आयोग ने कुछ दिन पहले स्वास्थ्य प्रदर्शन सूचकांक पर एक प्रतिवेदन जारी किया। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ओडिशा स्वास्थ्य सूचकांक की सूची में खिसककर 19वें स्थान पर पहुँच गया है और यह भारत के 21 बड़े राज्यों में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है।

स्वास्थ्य सूचकांक में गिरावट के मामले में ओडिशा नीचे से चौथे स्थान पर है। ओडिशा की नवजात मृत्यु दर सिएरा लियोन के बराबर है, जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले उप-सहारा देशों में से एक है। हमारे देश में केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य भी मौजूद हैं जिन्होंने पहले ही प्रति 1000 प्रसवों पर बारह नवजात शिशुओं की मृत्यु के सतत विकास लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर लिया है। प्रतिदर्श पंजीयन प्रणाली के अनुसार, ओडिशा की शिशु मृत्यु दर दूसरी सर्वाधिक है और पाँच वर्ष के अंदर मृत्यु दर के संबंध में तीसरी सर्वाधिक है। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि मातृ मृत्यु दर भी चौथी सर्वाधिक है। प्रतिवेदन के अनुसार, ओडिशा में 51 फीसदी महिलाएं, 47 फीसदी गर्भवती महिलाएं और 44 फीसदी बच्चे एनीमिया से ग्रसित हैं। ओडिशा के 25 जिलों में, वेस्टिंग का प्रसार डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित गंभीरता की सीमा से अधिक है।

ओडिशा में स्वा्स्थ्य मामलों की बदतर स्थिति इस बात का संकेत है कि सभी योजनाओं का कार्यान्ववयन जिनमें केंद्र अथवा राज्य सरकार की योजनाएं भी शामिल है, ठीक नहीं है। राज्य सरकार को इस मामले की बहुत सावधानी से जांच करने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत ही मजबूत निगरानी प्रणाली तैयार करनी होगी जिससे कि योजनाओं को अच्छी तरह से लागू किया जाए और लोगों में जागरूकता बढ़े।

मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह ओडिशा सरकार से नीति आयोग की प्रतिवेदन के संदर्भ में योजनाओं के कार्यान्वयन की कार्यप्रणाली और सुधारात्मक उपायों के बारे में एक प्रतिवेदन मांगे। यह अत्यंत चिंता का विषय है और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

(दो) आरणी, तमिलनाडु में एक सिल्क पार्क की स्थापना किए जाने के बारे में

डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद (अरानी): तमिलनाडु के थिरुवन्नमालि जिले का आरणी शहर अरानी सिल्क साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इन साड़ियों को वहां के हथकरघा बुनकरों द्वारा परम्परागत रूप से तैयार किया जाता है। व्यापार के लिए आरणी साड़ी को बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण भी प्राप्त हुआ है। इन साड़ियों की लंबाई 4 से 9 गज तक होती है। शादी और अन्य कार्यक्रम के लिए, आरणी साड़ियों की बड़ी मांग है, क्योंकि यह अपने मूल्य और गुणवत्ता के आधार पर किफायती और महंगी दर पर उपलब्ध है। ये साड़ियाँ उत्कृष्ट उत्पाद हैं जो टिकाऊ और सुन्दर डिजाइन की होती हैं।

मैं माननीय वस्त्र मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह अरानी में त्यौहारों के दौरान सिल्क साड़ी मेला/प्रदर्शनियों का आयोजन करे। वर्तमान में, अरानी में बुनियादी ढांचे के विकास की कमी है, हालांकि कारीगर और बुनकर अत्यधिक कुशल हैं और बेहतरीन रेशम साड़ियों का उत्पादन करते हैं।

मैं माननीय वस्त्र मंत्री जी से यह भी आग्रह करता हूँ कि वहां पर विपणन परिसर, कार्यशाला, भांडागार, अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं, उपकरण तथा परीक्षण एवं जांच हेतु प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था सहित एक सिल्क पार्क स्थापित किया जाए। इससे रेशम हथकरघा बुनकर उद्योग को एक संगठित पेशे में परिवर्तित होने और सतत विकास हासिल करने में मदद मिलेगी। सरकार को पर्यावरण के अनुकूल फैक्ट्री सुविधाओं और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए ग्राहक केंद्रित हथकरघा रेशम उत्पादों को प्रस्तुत करने के लिए एक एकीकृत सिल्क पार्क स्थपित करना चाहिए।

(तीन) तमिलनाडु के कन्याकुमारी में नए रेल मंडल के गठन किए जाने के बारे में

श्री एच. वसंतकुमार (कन्याकुमारी): कन्याकुमारी में नए रेलवे मंडल की स्थापना जनता की बहुत पुरानी मांग रही है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। वर्ष 1956 में, केरल से कन्याकुमारी जिला पृथक हुआ था। कन्याकुमारी में रेल संपर्क होना बहुत आवश्यक है क्योंकि यह देश और आसपास के राज्यों में बड़ी संख्या में पर्यटन स्थलों को जोड़ता है तथा विदेशों और देश के विभिन्न राज्यों से हर वर्ष 1 करोड़ से अधिक पर्यटक कन्याकुमारी घूमने आते हैं। कन्याकुमारी जो देश का दक्षिणी किनारा है, वहां नए रेल मंडल की स्थापना आवश्यक है। इससे तमिलनाडु राज्य की प्रगति को बल मिलेगा।

मैं केंद्र सरकार से कन्याकुमारी में नया रेल मंडल बनाए जाने की घोषणा और आवश्यक व्यवस्थाएं तत्काल करने का आग्रह करता हूं।

(चार) तटीय बैल्ट के साथ-साथ समुद्र किनारे दीवार का निर्माण किए जाने के बारे में

श्री बैन्नी बेहनन (चालाकुडी): मैं माननीय सभा का ध्यान तटीय क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तटीय क्षेत्र पिछले कुछ दिनों से जिले में हो रही भारी बारिश के दौरान समुद्र के प्रकोप का सामना कर रहे हैं। इन इलाकों में ऊंची ज्वारीय लहरें तबाही मचा रही हैं। 1000 से अधिक घरों में पानी भर गया है।

इस संकट के दौरान तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। हालांकि सुनामी के दौरान बनाए गए आश्रय स्थलों में व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन अधिकांश प्रभावितों ने अपने रिश्तेदारों के घरों पर जाने के विकल्प को चुना।

अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि तटीय पट्टी के पास के परिवारों की सुरक्षा के लिए इन तटीय क्षेत्रों में समुद्री दीवारों के निर्माण को पूरा करने के लिए प्रयास करे।

माननीय सभापति: श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव — उपस्थित नहीं।

अपराह्न 03.09 बजे

होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2019

तथा

होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 के निरनुमोदन के बारे में संवैधानिक संकल्प

माननीय सभापति: अब हम मद संख्या 11 और 12 पर एक साथ विचार करेंगे। श्री अधीर रंजन चौधरी

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

> ‘‘कि यह सभा 2 मार्च,2019 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्याापित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक11) का निरनुमोदन करती है।’’

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि होम्योपैथी केंद्रीय परिषद विधेयक, 1973 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय सभापति जी, आयुष मंत्रालय आयुष चिकित्सा पद्धतियों और उनकी शिक्षा के समग्र विकास संबंधी कार्य करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, सोवा-रिगपा और होम्योपैथी शिक्षा का विनियमन करने के लिए अन्य बातों के साथ दो संवैधानिक निकाय बनाए हुए हैं। इनके नाम हैं – भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् और केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद्। होम्योपैथिक केन्द्रीय परिषद् अधिनियम,1973 में केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद् सीसीएच के गठन का प्रावधान है, जो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की शिक्षा और अभ्यास, होम्योपैथिक के केंद्रीय रजिस्टर के रखरखाव और उनके संबंधित मामले का विनियमन करता है।

हम सब जानते हैं कि होम्योपैथी को संपूर्ण विश्व में स्वीकार्यता प्राप्त हो गई है और इसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् होम्योपैथी को भारत में चिकित्सा पद्धति के रूप में काफी महत्व प्राप्त हुआ है। यह देश में बहुत लोकप्रिय भी हो गई है। भारत सरकार पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की अपनी क्षमताओं के साथ इसके विकास को बहुत उच्च अग्रता प्रदान कर रही है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा में सुधार करने और सरकार द्वारा अनुमति प्रदान करने के तंत्र को अधिक सतर्क बनाने के लिए वर्ष 2002 में होम्योपैथिक केंद्रीय अधिनियम परिषद् 1973 का संशोधन किया गया और इसमें धारा 12क जोड़ी गई। इसमें नए कॉलेजों को खोलने अथवा प्रवेश क्षमता बढ़ाने और नया पाठ्यक्रम शुरु करने के लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेने का प्रावधान है।

यह संशोधन इसलिए किया गया ताकि घटिया कॉलेज न खोले जाएं या ऐसे पाठ्यक्रम शुरू न किए जाएं अथवा ऐसे ही सीटें न बढ़ाई जाएं। केंद्र सरकार ने होम्योपैथिक परिषद् संशोधन अध्यादेश, 2018 प्रख्यापित किया था। महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसे 13 अगस्त, 2018 को अपनी सहमति प्रदान की थी और होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद् संशोधन अधिनियम नामक एक समकक्ष अधिनियम भारत के राजपत्र में 2018 को अधिनियम संख्या 23 के रूप में प्रकाशित किया गया था। इसके मुख्य प्रावधान हैं –

1. एक वर्ष की अवधि अथवा परिषद् का पुनर्गठन होने में जो भी पहले हो, उस समय तक केंद्रीय सरकार द्वारा शासक मंडल की नियुक्ति करके सीसीएच को अधिक्रमित करना है।
2. केंद्रीय परिषद् द्वारा बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के अनुसार एक वर्ष की अवधि के अंदर केंद्रीय सरकार द्वारा सभी मौजूदा होम्योपैथिक चिकित्सा कॉलेजों की मान्यता का नवीनीकरण किया जाएगा।
3. केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एवं योग्य होम्योपैथिक चिकित्सकों से युक्त शासक मंडल को परिषद् का कार्य सौंपा जाएगा।

तदनुसार आयुष मंत्रालय ने 18 मई, 2018 को एक शासक मंडल का गठन किया। एससीसी संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 3क के प्रावधानों के अनुसार आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष मंत्रालय द्वारा छ: सदस्यीय केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद् के शासक मंडल के सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं। इस शासक

मंडल का कार्यकाल 17 मई, 2019 तक था। इस शासक मंडल ने शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए होम्योपैथिक कॉलेजों को अनुमति देने संबंधी मामलों पर समयबद्ध तरीके से सफलतापूर्वक कार्य किया है। सीसीएच के शासक मंडल ने स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश अनिवार्य और राष्ट्रीय पात्रता स्व प्रवेश परीक्षा के माध्यम से करने के लिए विनियमों का भी संशोधन किया है।

वर्ष 2020 के लिए इस शासक मंडल में निरीक्षण और सिफारिशों की प्रक्रिया चल रही है, जिसके जुलाई 2019 तक पूरे होने की संभावना है। इस शासक मंडल का कार्यकाल केवल 17 मई, 2019 तक ही था और कॉलेजों के निरीक्षण जैसे शैक्षणिक कार्यकलाप समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाने हैं, इसलिए शासक मंडल का कार्यकाल 17 मई, 2019 से एक वर्ष और आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय ने वर्तमान होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद् अधिनियम 1973 और उसके अंतर्गत स्थापित केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद् का प्रतिस्थापन करने के लिए 7 जनवरी, 2019 को राज्य सभा में राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग विधेयक, 2019 प्रस्तुत किया है।

माननीय सभापति, राज्य सभा ने 7 जनवरी, 2019 को राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग विधेयक, 2019 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित संसदीय समिति को जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया है। आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए उक्त समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित है। होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद् अध्यादेश, 2019 नामक यह आध्यादेश 2 मार्च, 2019 को प्रख्यापित किया गया था, जिसके अंतर्गत केंद्रीय परिषद् के पुनर्गठन की अवधि वर्तमान एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष की गई है। शासक मंडल परिषद् के कार्यों का सम्पादन एस.सी.सी. अधिनियम के उद्देश्यों के अनुसार कर रहा है। उपयुक्त विषय को मद्देनजर रखते हुए, मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद् संशोधन विधेयक, 2019 पर विचार करें और होम्योपैथिक के विकास के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए उसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु इसे पारित करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:

"कि यह सभा 2 मार्च, 2019 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्याापित होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक11) का निरनुमोदन करती है।"

"कि होम्योपैथी केंद्रीय परिषद विधेयक, 1973 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदय, यह पूर्ण रूप से संयोग की बात है कि इससे पहले जब इसी मुद्दे पर भारतीय होम्योपैथिक परिषद के संबंध में अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था - उस समय भी मैंने इस सरकार द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का निरनुमोदन करते हुए एक सांविधिक संकल्प प्रस्तुत किया था।

महोदय, हम सभी जानते हैं कि अध्यादेश का प्रख्यापन असाधारण परिस्थितियों के साथ-साथ असाधारण स्थितियों में किया जाना चाहिए। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि यह सरकार नियमित अंतराल पर हमारे देश के लोकतांत्रिक लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए अध्यादेश के रास्ते का सहारा लेती रही है।

कभी-कभी ऐसा लगता है कि सरकार अधिमानतः अध्यादेशों के आधार पर चल रही है जैसे कि यह सरकार अध्यादेश की, अध्यादेश द्वारा और अध्यादेश के लिए है।

माननीय मंत्री जी द्वारा जो तर्क दिया गया है वह वास्तविकता से कोसों दूर है। अत: जिस तरह से अध्यादेश जारी किया गया, मैं उसका कड़ा विरोध कर रहा हूँ। अगर सरकार कुछ महीने इंतजार कर लेती तो हम पर आसमान नहीं टूट पड़ता। लेकिन सरकार अध्यादेशों की घोषणा को लेकर इतनी उतावली है जो वास्तव में किसी भी तर्कसंगत व्याख्या से परे है।

महोदय, अध्यादेश बनाने की शक्ति सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम, 1935 के द्वारा प्रदान की गई थी ताकि भारत के तत्कालीन गवर्नर-जनरल को ऐसी परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी जा सके जब उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो। 1935 अधिनियम में कहा गया है कि ऐसे अध्यादेशों का वही प्रभाव होगा जो तत्कालीन औपनिवेशिक संघीय भारत की विधायिका द्वारा पारित कानून का था, लेकिन फिर भी हमें औपनिवेशिक प्रभाव विरासत में मिला है और हम प्राय: अध्यादेशों का सहारा लेते हैं।

आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के शासन में भी अध्यादेश जारी किए गए, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक असाधारण स्थिति एक अध्यादेश के प्रख्यापन का आधार हो सकती है। लोक सभा के प्रथम अध्यक्ष श्री मावलंकर ने कई अवसरों पर अंतर-सत्र अवधि के दौरान विशेष रूप से सत्र की पूर्व संध्या पर

अध्यादेश जारी करने की सरकार की कार्रवाई को अस्वीकार कर दिया था। जनवरी, 1947 में, उन्होंने कहा था:

> "केवल समय की कमी के कारण अध्यादेशों को प्रख्यापित करना कार्यपालिका सरकार के लिए स्पष्ट रूप से एक गलत परंपरा थी। उस शक्ति का प्रयोग तभी किया जाना था जब आपात स्थिति हो और विधायिका की बैठक न हो सके। समय की कमी के लिए अध्यादेशों को प्रख्यापित करना एक वांछनीय उदाहरण नहीं था, क्योंकि उस तरीके से असुविधाजनक कानून भी प्रख्यापित किया जा सकता था।"

22.02.1952 को, जब एक सदस्य ने एक अध्यादेश के प्रख्यापन की वांछनीयता पर प्रश्न उठाया जो वास्तव में धन विधेयक था, तो तत्कालीन अध्यक्ष ने कहा:

> "मैं स्वयं अध्यादेशों का प्रख्यापन पसंद नहीं करता। केवल गंभीर मामलों में ही अध्यादेश जारी किया जाना चाहिए। सामान्य नियम होना चाहिए- 'कोई अध्यादेश नहीं'।"

मैं फिर से इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि सामान्य नियम ‘‘नो ऑर्डिनेंस’’ होना चाहिए।

जुलाई, 1954 में, वे इस मामले को तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के संज्ञान में भी लाये, उन्होंने कहा:

> “हम पर, पहली लोक सभा, होने के नाते परंपराओं को स्थापित करने का उत्तरदायित्व है। यह सरकार में मौजूद लोगों का प्रश्न नहीं है बल्कि मिवर्ष का प्रश्न है; और यदि यह अध्यादेश जारी करना परिपाटी तक ही सीमित नहीं है, केवल अति आवश्यक मामलों तक ही सीमित है, तो इसका परिणाम यह हो सकता है कि भविष्य में, सरकार अध्यादेश जारी कर सकती है, जिससे लोक सभा के पास अध्यादेशों पर मुहर लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।"

इसलिए, सरकार को लोक सभा को अध्यादेशों के बारे में रबड़ की मुहर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

अध्यादेशों के प्रख्यापन के रूप में सरकार में कानून बनाने की शक्तियाँ निहित करने की प्रथा ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे अन्य लोकतंत्रों में मौजूद नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन देशों में विधानमंडलों की बैठकों का वार्षिक कैलेंडर इस प्रकार होता है कि वे पूरे वर्ष नियमित रूप से, यानी हर महीने कुछ सप्ताह के लिए बुलाई जाती हैं। निःसंदेह, भारत अलग देश है और हमारा संविधान उन देशों से अलग है। हालाँकि, मैं फिर से कह रहा हूँ कि नियमित अंतराल पर अध्यादेश लागू करना स्वस्थ्य लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। पता नहीं माननीय मंत्री जी मेरी बात से सहमत होंगे या नहीं।

यहां, हम होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम के बारे में बात कर रहे हैं, जो होम्योपैथी की शिक्षा और अभ्यास हेतु केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के गठन के लिए अधिनियमित किया गया था। मुझे देश में होम्योपैथी चिकित्सा की एक संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का एक लोकप्रिय रूप बन गया है। इसके पीछे कारण यह है कि यह किफायती है; और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए, हमारे देश में करोड़ों लोगों का उपचार होम्योपैथी द्वारा किया जाता है। होम्योपैथी की लोकप्रियता के कारण लंबे समय से भारत सरकार द्वारा होम्योपैथी को एक चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता देने की मांग की जाती रही है।

महोदय, अप्रैल,1937 में बंगाल के एक विधायक मोहम्मद गयासुद्दीन ने होम्योपैथी की मान्यता के लिए विधान सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव पारित हो गया था और इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को भेजा गया था और 1943 में होम्योपैथी राज्य संकाय का गठन करने वाला बंगाल पहला प्रांत था।

17 फरवरी, 1948 को राष्ट्रीय सरकार के गठन के बाद, पश्चिम बंगाल के संसद सदस्य श्री सतीश चंद्र सामंत, ने फिर से भारत की संविधान सभा द्वारा विचार के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार था:

"यह सभा की राय है कि उपचार की होम्योपैथी प्रणाली को भारत संघ द्वारा मान्यता दी जाए और होम्योपैथी चिकित्सा की एक सामान्य् परिषद और राज्य संकाय को तत्काल स्थापित किया जाए।"

एक संशोधित संकल्प को संसद सदस्य श्री मोहन लाल सक्सेना द्वारा निम्नलिखित शब्दों में प्रस्तुत किया गया :

"इस तथ्या को देखते हुए कि होम्यो पैथी प्रणाली द्वारा उपचार का सहारा बहुत से लोगों द्वारा लिया जाता है, इस सभा की यह राय है कि सरकार को निम्नलिखित पर विचार करना चाहिए

1. *होम्योपैथी के शिक्षण की व्यवस्था करना;*
2. *होम्योपैथी केअध्ययन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रखने की उपयुक्तता; तथा मानकों की एकरूपता बढ़ाने और बनाए रखने के लिए पेशे को विनियमित करने और चिकित्सकों के पंजीकरण की व्यवस्था करने की सलाह।"*

महोदय, तदनुसार, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था और इसे 3 अप्रैल, 1972 को राज्य सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। संसद सदस्य श्री जगदीश प्रसाद माथुर ने विधेयक को दोनों सभाों की एक संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया इसे सभा द्वारा पारित किया गया और उसी दिन अंगीकृत कर लिया गयाय, जो इस प्रकार था –

"कि एक केन्द्रीय होम्योंपैथी परिषद के गठन और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को सभाओं की एक संयुक्त' समिति में भेजा जाए जिसमें 45 सदस्य हों"

महोदय, 8 मार्च, 1973 को समिति ने अपनी 26वीं बैठक में मसौदा प्रतिवेदन पर विचार किया और विधेयक की प्रस्तावना में कुछ संशोधनों के साथ इस विधेयक को अंगीकृत कर लिया:

'कुछ राज्यों ने होम्योपैथी में चिकित्सकों के पंजीकरण तथा होम्योपैथी में चिकित्सा योग्यता की मान्यता के उद्देश्य से कानून या कार्यकारी आदेशों द्वारा राज्य बोर्डों या परिषदों की स्थापना की है। हालांकि,अभ्यास या अखिल भारतीय आधार पर चिकित्सा पद्धति में प्रशिक्षण और परीक्षा के न्यूनतम मानकों के लिए, नियमन के लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं है। होम्योपैथी के समुचित विकास के लिए चिकित्सा की आधुनिक पद्धति की भारतीय चिकित्सा परिषद की तर्ज पर एक वैधानिक केंद्रीय परिषद की आवश्यकता है। केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के मुख्य कार्य होम्योपैथी में शिक्षा के समान मानक विकसित करना और होम्योपैथी के चिकित्सकों का पंजीकरण करना होगा। होम्योपैथी के केंद्रीय रजिस्टर पर चिकित्सकों का पंजीकरण यह सुनिश्चित करेगा कि चिकित्सा का अभ्यास उन लोगों द्वारा नहीं किया जाएगा जो इस प्रणाली में योग्य नहीं हैं और जो अभ्यास करते हैं, वे पेशे में नैतिक संहिता का पालन करते हैं। विधेयक का उद्देश्य इन उद्देश्यों को पूरा करना है"

महोदय, जहां तक होम्योपैथी का प्रश्न है, इसका इतिहास उतार-चढ़ाव भरा रहा है। मेरा राज्य, पश्चिम बंगाल देश भर में होम्योपैथी पद्धति के विकास से बहुत जुड़ा हुआ है। भारत में होम्योपैथी की शुरुआत पहली बार 19वीं सदी में हुई थी, आगे चलकर बंगाल में इसका विकास हुआ; तत्पश्चात पूरे भारत में इसकी लोकप्रियता बढ़ी। बंगाल के रहने वाले श्री महेंद्रलाल सरकार पहले भारतीय होम्योपैथी चिकित्सक बने। देश का पहला होम्योपेथिक कॉलेज कोलकाता में 1881 में स्थापित किया गया था जिसे कलकत्ता होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1973 में, इसे चिकित्सा की एक राष्ट्रीय पद्धति के रूप में मान्यता प्रदान की गई और शिक्षा और अभ्यास को विनियमित करने के लिए परिषद की स्थापना की गई।

महोदय, वर्तमान में एलोपैथी और आयुर्वेद के बाद, होम्योपैथी चिकित्सा उपचार की तीसरी लोकप्रिय पद्धति है। हर वर्ष, हम बारह हजार से अधिक चिकित्सक तैयार कर रहे हैं। देश भर में दो लाख से अधिक चिकित्सक उपलब्ध हैं। केंद्रीय होम्योपैथी परिषद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष विभाग के तहत एक वैधानिक शीर्ष निकाय है। यह वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था, और भारत में उच्च शिक्षा की निगरानी के लिए गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की व्यावसायिक परिषद का हिस्सा है।

अब, मैं इस बात पर आता हूँ कि केंद्रीय होम्योपैथी परिषद अपने उत्तरदायित्वों में असफल क्यों रही और सहयोग क्यों नहीं किया, जिसके लिए सरकार अध्यादेश का प्रख्यापन करेगी। मंत्री जी, कृपया इधर ध्यान दीजिए।...(व्यवधान) आप महाभारत के संजय तो नहीं हैं।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : आप अपनी बात रखें।

[अनुवाद]

श्री अधीर रंजन चौधरी: विधेयक के 'उद्देश्यों और कारणों के कथन' के अनुसार, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद अपनी जिम्मेादारियों को निभाने में असफल रहा था तथा ऐसी रीति से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में केन्द्रीय सरकार से जानबूझकर सहयोग नहीं किया जो चिकित्सा की होम्योपैथी प्रणाली की शिक्षा और प्रैक्टिस के मानक की रक्षा के लिए अपेक्षित है। मेरा यह प्रश्न है कि ये विलफुली कोआपरेट नहीं करते थे तो आप क्यों चुप्पी साधे रहते थे? आप कहते कि इन्होंने विलफुली कोआपरेट नहीं किया इसलिए हमें ऑर्डिनैंस लाना पड़ा। आपकी गवर्नमेंट जो कहती है, चुस्त-दुरुस्त गवर्नमेंट, ट्रांसपरेंट गवर्नमेंट, क्या-क्या बोलते हैं, मिनमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, अगर यह रवैया सही है तो मान लीजिए कि उच्च स्तर के लोग, विलफुल्ली, मतलब सोच-समझ कर आपके आदेश का पालन नहीं करते हैं और उसके कारण आपको ऑर्डिनैंस लाना पड़ता है। ये कैसे? यह क्या डाइकटॉमी नहीं है? यह मुझे हैरान करता है। आपने इससे बचने के लिए क्या किया, यह काउंसिल को भंग कर दिया और बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स को बुलाया गया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो लोग अपने पद पर अपना कर्तव्य नहीं निभाते, वे तो डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी के चक्कर में आएंगे। क्या आपके पास उनके लिए कोई पनिशमेंट का इंतजाम नहीं था? सब कुछ छोड़ कर आप ऑर्डिनैंस पर भरोसा करते हैं कि आपको ऑर्डिनैंस बैशाखी की तरह मदद करेंगे। आपका गवर्नैंस नहीं है, आपका बाबू लोगों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आज उन सबसे बचने के लिए आप ऑर्डिनैंस को बैशाखी की तरह अपनाते हैं, यह सही नहीं है।...(व्यवधान) भाई साहब, मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए। अगर आपको डेलीगेट किया गया हो तो बिल में लिखना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री अधीर रंजन चौधरी, कृपया सभापति पीठ को संबोधित करें।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, जब ये ऑर्डिनैंस लाए थे तो कहा था कि हम एक वर्ष के अंदर बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स बना देंगे। पिछली बार आपने एक वर्ष कहा था, अभी आप दो वर्ष कह रहे हैं, अगले साले तीन वर्ष कहेंगे, तो सालों वर्ष गुजारते जाएंगे और आपका यह ऑर्डिनैंस आते रहेगा। हम आपको याद दिलाते हैं, आपने पिछले वर्ष इसी सदन में वहां बैठ कर वादा किया था, कि मुझे एक वर्ष की मोहलत दी जाए, एक वर्ष के अंदर बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स नहीं बल्कि पक्का काउंसिल बना देंगे। अभी आप कह रहे हैं कि रजिस्टर अपडेशन नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ,…(व्यवधान) आपको क्या हुआ?…(व्यवधान) ये जो रजिस्टर का अपडेशन नहीं हुआ, क्या यह हमारा दोष है या आपके शासन का दोष है? यहाँ कहा गया है कि:

> "केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद को एक वर्ष की अवधि के भीतर पुनर्गठित नहीं किया जा सका क्योंकि होम्योपैथी की केन्द्रीय परिषद के सदस्यों को निर्वाचन हेतु चुनाव कराने के लिए राज्य होम्योपैथी रजिस्टर अपडेट नहीं किए गए थे …"।

आप अपनी नाकामयाबी का स्वयं बयान देते हैं। आप इसके उद्देश्यों और कारणों के कथन में कह रहे हैं कि 'केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2019 को 7 जनवरी, 2019 को राज्य सभा में पुर:स्थापित किया था, जिसे बाद में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सम्बधी विभागों से सम्बद्ध संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया।' एक तरफ आप राज्य सभा में बिल लाते हैं, उसकी जांच-पड़ताल के लिए स्टैंडिंग कमेटी में भेजते हैं। दूसरी तरफ आप आर्डिनेंस लाते हैं। लोग इस सरकार को क्या कहेंगे? 'नज़र बदलो नजारा बदल जाएगा, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियों की दिशा बदलो, किनारा खुद-ब-खुद आ जाएगा।' आपकी न सोच है, न नज़ारा है और इसके चलते आप घूम रहे हैं। आपके पास न दिशा है, न कोई जाने का रास्ता है। आप भटक रहे हो, आर्डिनेंस की चुंगल में भटक रहे हो। हर वर्ष आर्डिनेंस लाना सरकार की जिम्मेवारी नहीं होती है।

मंत्री महोदय ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (*संशोधन*) *विधेयक*,2008, प्रस्तुत करते हुए लोक सभा और राज्य सभा को आश्वासन दिया था कि एक वर्ष के भीतर परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा। वर्ष 2009 में एक अध्यादेश द्वारा शासक मंडल का कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया, जिसे लोक सभा द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था? अब, यह संशोधन विधेयक, 2019 के रूप में लोक सभा के समक्ष प्रस्तुत कयिा गया है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने कितने कालेज स्थापित किए हैं? पहले मोदी-1 सरकार और अब मोदी-2 सरकार चल रही है। आप एनडीए को भूल गए हैं और अब मोदी सरकार आ गई है। मोदी सरकार के ज़माने की बात करते हैं। आयुष मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 से अब तक भारत में कितने नए होम्योपैथी कॉलेज खोले गए हैं? इसी अवधि के दौरान कितने बंद हुए? आप कृपया वर्षवार विवरण प्रदान करें। क्या ये कॉलेज न्यूनतम मानदंडों को पूरा करते हैं? मैंने जैसा पहले कहा कि आपको स्टैंडर्ड मैनटेन करना चाहिए, क्योंकि आम लोगों के अंदर होम्योपैथी की पापुलैरिटी बढ़ रही है। आप यदि होम्योपैथी को इस तरह से चलाने की कोशिश करेंगे, तो आम लोगों को हानि पहुंचेगी।

महोदय, आपात स्थिति से निपटने के लिए आयुष डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यह मेरा सुझाव है। होम्योपैथी बहुत ही किफायती और वैज्ञानिक है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में होम्योपैथी औषधालय होने चाहिए। आप हर अस्पताल में होम्योपैथी डिस्पेंसरी क्यों नहीं लाते हैं? लोगों के भरोसे के लिए आप ऐसा कीजिए। होम्योपैथी में शोध के लिए बहुत संभावनाएं हैं। सरकार को इसे बढ़ावा देना चाहिए। आप होम्योपैथी पर रिसर्च कराइए, लेकिन काबिल लोगों को लाइए। सख्त कानून लाया जाए जिससे योग्य लोगों को अभ्यास करने की अनुमति दी जाए। कॉलेजों में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के शिक्षण के कठोर मानदंड स्थापित किए जाने चाहिए। यह मेरा सुझाव है। होम्योपैथी में अनुसंधान किया जाना चाहिए, और इसका नेतृत्व ऐसे लोगों द्वारा किया जाना चाहिए जो सक्षम, ईमानदार और गंभीर हों। बहुत से अयोग्य लोग शीर्ष होम्योपैथी संस्थानों का नेतृत्व कर रहे हैं जो छात्रों के भविष्य को खतरे में डालते हैं। कृपया एक उचित पुनरीक्षण प्रक्रिया अपनायी जाए। विकास और अनुसंधान के लिए आयुष को आबंटित धन की कोई उत्तरदेही नहीं है। आयुष के तहत होम्योपैथी के लिए जो फंड दिया जाता है, उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसकी जानकारी आप हमें देंगे?

आयुष मंत्रालय को लोगों को कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति देने और होम्योपैथी पाठ्यक्रम आदि प्रदान करने के लिए प्रभारी बनाया जाए। इस संबंध में, राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद विधेयक, 2017 के खंड 49 पर विचार किया जाना चाहिए। यह ब्रिज कोर्स पर केंद्रित है जो होम्योपैथी के डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में एलोपैथिक उपचार के लिए परामर्श देने की अनुमति देता है। यह याद रखिए। ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र के स्तर को कम करने का आरोप लगाकर इसकी आलोचना की गई है क्योंकि एलोपैथिक उपचार अब एक ऐसे डॉक्टर द्वारा दिया जाएगा जिसने मानक एम.बी.बी.एस. के बजाय शॉर्टकट का रास्ता अपनाया।

होम्योपैथी डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, वे गांवों में एलोपैथी दवाइयाँ दे रहे हैं। आप पूछ लीजिए, आपके साथी भी हैं, हम भी सब जानते हैं।

यह विधेयक भ्रष्टाचार से निपटने में केन्द्र सरकार के अधिकार पर केन्द्रित है। हालांकि, यह इस संस्थानों में प्रशिक्षित किए जा रहे डॉक्टर्स की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक मजबूत तंत्र सुनिश्चित नहीं करता है।

क्या आपके पास इसका कोई ऑडिट है? गांव-गांव और दूरदराज में होम्योपैथी डॉक्टर्स कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, इसका कोई ऑडिट है? आपको ऑडिट करवाना चाहिए। आज हिन्दुस्तान में क्या हो रहा है, आज डॉक्टर्स और पॉपुलेशन का रेश्यो अच्छा नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक हजार पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर है भी, तो वह शहरों में है, गांवों में नहीं है।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: आपका समय पहले ही समाप्त हो चुका है। इसलिए, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री अधीर रंजन चौधरी : मुजफ्फ़रपुर में जो एक्युट एंसेफेलाइटिस हुआ है, वहाँ 50 हजार की आबादी पर एक डॉक्टर है। आप देखिए कि क्या हालात है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ट्रेनिंग ठीक से कराई जाए। अधिक ब्रिज पाठ्यक्रम का मतलब है अधिक नुकसान। सरकार इस संस्थान के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अधिक ब्रिज पाठ्यक्रमों की अनुमति देगी जो ऐसे पाठ्यक्रमों का विस्तार करने की मांग कर रहे हैं जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र

में अधिक नुकसान होगा। आयुष मंत्रालय द्वारा परिषद के स्थान पर नियामक की भूमिका निभाना मंत्रालय का अतिक्रमण है। यह भूमिका आदर्श रूप से एक स्वायत्त निकाय को सौंपी जानी चाहिए।

ये मेरे सजेशंस हैं और मेरे दो-चार मुद्दे भी हैं। लेकिन हम सब चाहते हैं कि होम्योपैथी मेडिसीन का विकास सही तरीके से हो। आम लोगों को सुविधाएँ मिलें। एक करोड़ से ज्यादा लोग होम्योपैथी की सुविधाएँ लेते हैं। गिरिराज जी, सदानन्दपुर में भी आपके रिश्तेदार हैं।

इसी के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री मनोज राजोरिया (करौली-धौलपूर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे होम्योपैथी सेन्ट्रल काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2019 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

अभी मैं बड़ी गंभीरता से हमारे साथी, कांग्रेस के फ्लोर लीडर श्री अधीर रंजन चौधरी जी की सारी बातें सुन रहा था। ...(व्यवधान) श्री अधीर रंजन चौधरी जी, आपने मंत्री जी से जो भी प्रश्न पूछे हैं मैं उन सभी का उत्तर दे रहा हूँ।

सबसे पहले तो हमें माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए। ...(व्यवधान) महोदय कृपया मेरी बात सुनिए।

जिस तरह से 2014 में जनता ने उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और उससे पहले, 2004 से 2014 के बीच, जिस प्रकार से पूरे देश की विभिन्न संस्थाओं में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी और केन्द्र सरकार उस भ्रष्टाचार के प्रति अपनी आँखें मुंदे रखती थी, यह लगातार चलता रहता था। अगर मोदी सरकार आने के बाद जब भी हमारी सरकार के सामने यह बात आई कि सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, ज्यों ही यह बात हमारे मंत्री जी के सामने और हमारे प्रधान मंत्री जी के सामने आई, तो उसे सही करने के लिए वे तुरंत ऑर्डिनेंस लेकर आए, तो क्या यह भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में कदम नहीं है? हमारे मित्र कह रहे हैं कि यह ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया, ऐसी कौन-सी इमरजेंसी आ गई? एमरजेंसी यह थी कि मोदी सरकार में जब भी भ्रष्टाचार या अनियमितता का कोई भी मामला पकड़ा जाएगा, तो तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसको रोकने के लिए एक्शन लिया जाएगा। इसलिए इस मैटर में आपको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। पता नहीं क्यों, मुझे कांग्रेस के मित्रों से यह बात सुनकर अजीब-सा लगता है। मुझे लग रहा था कि आज एक महत्त्वपूर्ण विषय है। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, जो गरीबों के लिए काम करती है, आम आदमी के लिए काम करती है और बिना किसी साइड इफेक्ट के काम करती है। देश में ऐसे सैकड़ों होम्योपैथी कॉलेज हैं, जो बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं और बहुत-से ऐसे कॉलेज भी हैं, जो फ्रॉड तरीके से चल रहे हैं। इसमें कुछ तो गड़बड़ी थी। सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी में कुछ कॉलेजों को मान्यता दी जाती थी, उनमें कुछ नियमानुसार होते थे, कुछ नॉर्म्स को पूरा करते थे और कुछ में नॉर्म्स की कमी भी होती थी। उसमें कुछ सैटिंग हो जाती

थी। वह सैटिंग इस सरकार ने आकर तोड़ी। आपको जानकारी होगी कि कुछ जिम्मेदार अधिकारियों को, जो उसके पदाधिकारी थे, कानून ने उन पर कार्रवाई भी की। इसे रोकने के लिए जब ऑर्डिनेंस लाया गया, तो हमारे मित्रों को दिक्कत हो रही है। पता नहीं कांग्रेस के खून में या सोच में क्या चीज़ आ गई है कि जहां-जहां भ्रष्टाचार होता है, उन्हें आनंद आता है और जहां भ्रष्टाचार समाप्त होता है, उनको पीड़ा होने लग जाती है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है!

माननीय सभापति जी, मैं खुद होम्योपैथिक डॉक्टर हूं। मैंने राजस्थान के जयपुर से बीएचएमएस, एमडी किया है। एक होम्योपैथेक यूनिवर्सिटी है - राजस्थान यूनिवर्सिटी - वहां से मैंने होम्योपैथी में एमडी किया है। होम्योपैथी छोड़कर जब मैं वर्ष 2014 में सांसद बना, पहली बार इस लोक सभा में आया, तो मेरा भी सपना था कि मोदी जी क्या करेंगे। मैं पुन: मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि आयुष पद्धतियों को कभी भी इस देश में इतनी मान्यता नहीं मिली थी, जितनी माननीय प्रधान मंत्री जी ने आकर आयुष मंत्रालय का गठन किया। ऑल्टर्नेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स को उन्होंने महत्व दिया और उसके लिए पूरा एक अलग मंत्रालय बनाया। उनकी नीयत के साथ ही उन्हें अच्छे योद्धा मिले, एक अच्छे मंत्री मिले - आदरणीय श्री श्रीपाद नाईक जी हमारे बीच में बैठे हैं मैं इनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा और आप सबको भी आभार व्यक्त करना चाहिए, इनके नेतृत्व में जिस तरीके से आयुष मंत्रालय ने पिछले पांच सालों में काम किया।

सभापति जी, 21 जून को जिस तरीके से पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, इससे भारत का मान-सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है, इसमें आयुष मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान है। आयुष के माध्यम से पूरे देश के गरीबों, आम जनता और अन्य सभी ऑल्टर्नेटेव सिस्टम्स से माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हिन्दुस्तान की उन्नति के लिए सभी की हमको आवश्यकता है। उन्होंने ऐलोपैथी पर भी बराबर ध्यान दिया। माननीय चौधरी साहब, मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन हैल्थ का मेंबर भी था। जिस तरीके से देश में मेडिकल कॉलेजों में सीटों की कमी थी, जिस तरीके से देश में एम्स की कमी थी, जिस तरीके से पी.जी. कोर्सेज़ में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी थी। कॉलेज इसलिए नहीं खुलते थे, क्योंकि वहां प्रोफेसर्स की संख्या नहीं होती थी। इस सब में पिछले पांच सालों के अंदर सुधार किये गए। आप देखिए कि हज़ारों की संख्या में यू.जी. कोर्सेज़ में एमबीबीएस की सीट्स बढ़ी हैं, पीजी कोर्सेज़ की सीट्स बढ़ी हैं। देश में **20** नये एम्स खोले जा रहे हैं। सबको साथ लेकर सबका विकास करने में हमारे प्रधान मंत्री जी विश्वास रखते

हैं। इसीलिए, चिकित्सा पद्धतियों में भी उन्होंने ऐलोपैथी के साथ-साथ आयुष की जो पद्धतियां थीं, उन सबको भी साथ लिया और इसके लिए अलग से आयुष मंत्रालय का गठन किया, आयुष मंत्रालय के साथ इंटरनैशनल योगा डे मनाया।

सभापति जी, मैं आपकी जानकारी में दूंगा कि जब मैं पढ़ता था, तब मुझे भी पीड़ा होती थी, कि हम जिन कॉलेजों में पढ़ते हैं, वहां हमारे सारे सब्जेक्ट्स होते थे - एनाटॉमी, फिज़ियोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मैडिसेन, गाइनी, सर्जरी, ईएण्डटी, ऑप्थ, सारे सब्जेक्ट्स जो एमबीबीएस में होते हैं, वे सारे होते थे। इनके अलावा हमारे तीन सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा होते थे। गाइनी के अलावा हमारे पास रिपर्ट्री होता था, मैटीरिया-मेडिका होता था और ऑर्गनन होता था। तब हमको लगता था कि काश, ऐसे कॉलेज़ हों, कि जब हम एमबीबीएस से कहीं कम नहीं होते हैं, उनसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन कॉलेजों की क्वॉलिटी नहीं होती थी। वही साढे पांच वर्ष बीएचएमएस करने में लगते थे, एमडी करने में तीन वर्ष लगते थे, लेकिन फिर कमी कहां थी? कमी थी नीयत में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कॉलेजों की क्वॉलिटी में और कॉलेजों की ट्रांसपेरेंसी में।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से, चाहे ऑर्डिनेंस लाकर काम किया गया हो, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार को रोका गया, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यह होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2019 लाया गया। यह बिल पिछली बार भी लाया गया था। राज्य सभा में हमारे कुछ साथियों ने इस पर भी आपत्ति की थी, पता नहीं ऐसी क्या बात थी। अगर कॉलेजों को नियमित रूप से सही पैरामीटर्स के साथ सारे नॉर्म्स पूरे कर के चलाया जाता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? हमको कॉलेजों की ज़्यादा संख्या से, उसकी क्वॉन्टिटी से नहीं, उसकी क्वालिटी से मतलब है। यह छात्रों का भविष्य है और इस देश का भी भविष्य है। ऐसा काम हमारे आयुष मंत्रालय ने किया है। इससे कहां तकलीफ होने वाली है? इसलिए मैं सोचता हूं कि यह जो बिल लाया गया है, जो ऑर्डिनेंस लाया गया था, यह होम्योपैथिक चिकित्सा जगत में शिक्षा और चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। यह बढ़ावा भी ऐसा नहीं है कि केवल कुकरमुत्तों की तरह कॉलेज खोल दें, उसे ट्रांसपेरेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए यह ऑर्डिनेंस, यह बिल लाया गया है। ऐसे अच्छे परपज़ के लिए ये ऑर्डिनेंस और बिल लाये गये थे।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से एक आग्रह करना चाहूंगा। इसका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाया गया था। आपने हमारे मंत्री जी से प्रश्न किया कि उसे 1 वर्ष के लिए किया गया था। ऐसा बिलकुल किया गया था, यह काम अच्छी नीयत से एक वर्ष की उम्मीद से किया गया था। आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पिछला कार्यकाल उठाकर देखिये। आपको हिन्दुस्तान में एक भी भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं मिलेगा। जिस तरीके से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने होम्योपैथी के लिए काम किया है, कहीं पर भी उनकी कार्यशैली में कमी नहीं है। मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार से हमारे मंत्री जी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय पिछले पांच वर्ष से काम कर रहा है और दोबारा वे नई पारी बड़ी ऊर्जा के साथ शुरू कर रहे हैं, हमें उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि वे आयुष मंत्रालय के द्वारा भारत की जनता के लिए, भारत के गरीबों के लिए, भारत के विकास के लिए ही काम कर रहे हैं। भारत को 21 वीं सदी में विश्व गुरू बनाने के लिए भी आयुष मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इसमें हमें क्रिटिसाइज नहीं करके, बहुत पॉजिटिव दिशा में रहकर आगे बढ़ना चाहिए। कितने कॉलेज खोले गए? मैं पुन: आग्रह करूंगा कि संख्या के बजाय, उनकी गुणात्मकता और उसकी क्वालिटी पर जाना चाहिए। अगर कुछ कॉलेजेज ऐसे हैं, जो नॉर्म्स पूरे नहीं करते हैं तो उन कॉलेजेज़ को बंद करने के लिए कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें हमको कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। जहां तक एक वर्ष से दो वर्ष बढ़ा है तो किसी कार्य की आवश्यकता हो जाती है। इसलिए मैं सोचता हूं कि यह कोई गलत कदम नहीं है, सही कदम था।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान कुछ अच्छी चीजों की ओर भी दिलाना चाहता हूं। जिस तरीके से पिछले पांच वर्ष में होम्योपैथी की बात करता हूं, माननीय मंत्री जी मेरे सामने बैठे हैं, जयपुर के अंदर मेरे साथ जाकर इन्होंने एक बहुत बड़े 30 करोड़ रुपये के रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। पूरे देश में होम्योपैथी के लिए जिस तरीके से रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जिस तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, दिल्ली के अंदर बन रहा है और बहुत तेजी से बन रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट दिल्ली में आज तक क्यों नहीं बना? यह इस मंत्रालय की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे प्रधान मंत्री जी का 'सबका साथ, सबका विकास' की एक परिकल्पना है। इस चीज़ को हमारे माननीय मंत्री जी पूरा कर रहे हैं। यहीं हमारा मन नहीं भरा, मैं एक चीज़ की और जानकारी देना चाहूंगा। जिस तरीके से पूरे देश में हैल्थ सेक्टर्स में जो काम किया जा रहा है, पूरे देश में आम जन को किस

तरीके से अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए, किस तरीके से मेडिकल डॉक्टर्स अधिक से अधिक बनें, किस तरीके से हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे देश में सेवाएं दे, विदेश नहीं जाएं, किस तरीके से जो नॉर्म्स हैं, चाहे वह मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया में हों, उनमें कौन से बदलाव करने की आवश्यकता है, वे किए जाएं । सारे रास्तों पर काम किया जा रहा था और यह कोशिश की जा रही थी कि देश के गरीब आदमी तक, अन्तिम व्यक्ति तक किस तरीके से चिकित्सा की सुविधाएं पहुंचाई जाएं, कम से कम पैसे में पहुंचाई जाएं, अधिक से अधिक लाभ दिया जाए, उसका प्रयत्न किया जा रहा है । इस प्रयत्न में पूरे सदन को साथ देना चाहिए, चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष हो । यह एक राष्ट्रहित का मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है ।

माननीय सभापति जी, हमारे देश की सरकार ने पूरे देश में लगभग 1 लाख 25 हजार वैलनेस सेण्टर्स खोलने की परिकल्पना की है । उन 1 लाख 25 हजार वैलनेस सेण्टर्स में से 10 प्रतिशत हमारे माननीय मंत्री जी के आयुष मंत्रालय को भारत सरकार ने दिए हैं । ये 10 प्रतिशत की संख्या 12500 होती है । बहुत बड़ी संख्या में उन वैलनेस सेण्टर्स पर आयुष डॉक्टर्स की नियुक्तियां होंगी । मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से हमारे माननीय मंत्री जी श्रीपाद नाईक जी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय की कमान सम्भाल रहे हैं, जिस तरीके से आम जन के हित में काम कर रहे हैं, इनका हमें सहयोग करना चाहिए । इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए ।

माननीय मंत्री जी, मैं एक चीज़ से जरूर हमारे चौधरी साहब की बात से सहमत हूं कि जो इन्होंने कहा कि यह गरीबों की चिकित्सा पद्धति है और कहा कि गांव-गांव तक, नीचे तक प्रत्येक डिस्पेंसरी पर डॉक्टर होने चाहिए, आपने यह मांग बहुत जायज़ उठाई है । मैं इसका समर्थन करता हूं । माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी देश में जितने भी पी.एच.सी. हैं, उन पी.एच.सी. पर आयुष डॉक्टर्स की नियुक्तियां हों । जो आयुष डॉक्टर्स की नियुक्तियां हों, उनमें कम से कम 30 प्रतिशत होम्योपैथिक डॉक्टर्स की नियुक्तियां हों । जिससे होम्योपैथी के साथ अन्य आयुष पद्धतियों को भी बराबर बढ़ावा मिले । मैं चौधरी साहब की इस बात से समर्थन करता हूं ।

सभापति महोदय जी, जिस तरीके से बिल की भावना है कि देश में ईमानदारी के साथ काम किया जाए, जिस तरीके से भावना है कि आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, सब के लिए सुलभ चिकित्सा

पद्धति उपलब्ध हो, मैं सोचता हूं होम्योपैथी सबसे सस्ती, सरल, सुलभ और प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है। इस चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छे कॉलेज बनाने के लिए, अच्छे इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, अगर हमको यह बिल लाना है तो यह बहुत बड़ा सकारात्मक कदम है। मैं सदन से आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक 2019 का हमारे सभी साथी मिलकर समर्थन करें और इस देश के विकास में अपना योगदान दें।

[अनुवाद]

श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आरामबाग): माननीय सभापति महोदय, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक 2019 पर मुझे अपनी बात रखने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। केंद्रीय होम्योपैथी परिषद भारत में होम्योपैथी शिक्षा के लिए नियामक प्राधिकरण और एक स्वायत्त निकाय है। पिछले एक वर्ष से केंद्रीय परिषद के स्थान पर एक शासी निकाय का गठन किया जा रहा है जो सही मायनों में होम्योपैथी पेशेवरों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इस शासी निकाय के सदस्यों को एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है जिसका कोई मानदंड नहीं है। यहां तक कि होम्योपैथी पेशेवरों और लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सी.जी.एच.एस. होम्योपैथी अधिकारियों को भी इस निकाय में नामांकित नहीं किया जाता है; राज्यों के डॉक्टरों को इस शासी निकाय में शामिल नहीं किया गया है, मेरे राज्य पश्चिम बंगाल से भी नहीं, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक में एक निश्चित चयन मानदंड का पालन करते हुए देश भर में काम कर रहे होम्योपैथी के वरिष्ठ डॉक्टरों, विशेष रूप से सी.जी.एच.एस. और विभिन्न राज्य सरकारों के अधीन काम करने वाले शासी निकाय के सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए।

पिछले वर्ष तक भारत में होम्योपैथी के शिक्षण संस्थान एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। कई कॉलेजों में बी.एच.एम.एस. कोर्स में प्रवेश की अनुमति देने से मना कर दिया गया है और विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं मंत्री जी से इस मामले पर ध्यान देने का आग्रह करती हूँ। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक गौरव है और पश्चिम बंगाल तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों तरह के शिक्षण कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहा है, जिससे आम आदमी और चिकित्सा क्षेत्र के कार्य निष्पादन में विलंब हो रहा है।

जनसंख्या अनुपात के अनुसार सी.जी.एच.एस. चिकित्सा अधिकारियों की आवश्यक संख्या चार से बढ़कर 14 हो गई है, जबकि कोलकाता में केवल छह डॉ. हैं और सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, आसनसोल और दुर्गापुर में इनकी संख्या काफी कम है। सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी मेरे राज्य पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में हैं जो ग्रामीण बहुल क्षेत्र है।

मंत्री जी यहाँ पर बैठै हुए हैं। मैं पश्चिम बंगाल से आती हूँ और कांग्रेस पार्टी के मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने पहले ही उल्लेख किया है कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने सबसे पहले होम्योपैथी की शुरूआत की थी। हमने यह चीज़ देखी है कि होम्योपैथी मेडिसिन्स में यहाँ गवर्नमेंट हर चीज़ निष्पक्ष करने की कोशिश कर रही है, लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन्स में कहीं-कहीं पर देखा गया है कि मेडिसिन्स लेने के टाइम पर इंडियन मेडिसिन्स को न चाहकर डॉक्टर्स **ज्यादा** से **ज्यादा** जर्मन मेडिसिन्स या दूसरी मेडिसिन्स को प्रेस्क्राइब करते हैं। यह चीज़ हमने देखी है और हमें खुद भी इस चीज़ की प्रॉब्लम देखने को मिली है। जब 'मेक इन इंडिया' के माध्यम से हमारे प्रधान मंत्री जी यह बात कहते हैं, सरकार यह बात कहती है तो फिर क्यों हम लोग इंडियन मेडिसिन्स को प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं**?** क्यों जर्मन मेडिसिन्स को प्रेस्क्राइब किया जाता है**?** इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम खुद होम्योपैथी मेडिसिन्स लेते हैं और हमारा जो क्षेत्र आरामबाग है और बंगाल के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर हमने देखा है कि जो भी साधारण पब्लिक है, वे लोग ज्यादा से ज्यादा होम्योपैथी की तरफ जाते हैं, क्योंकि कुछ तरह के जो रोग हैं, उनको हम लोग होम्योपैथी से निर्मूल कर सकते हैं।

<u>अपराह्न 04.00 बजे</u>

कैंसर जैसी बीमारी है और कोई कीमो ले रहा है या रेडियोथेरिपी ले रहा है, उसके बाद वह होम्योपैथी में स्विचओवर करता है तो हमने देखा है कि ज्यादा दिन तक वह जीता है। क्योंकि मेरे फादर को भी जब कैंसर हुआ था तो हमने रेडियोथेरिपी के बाद राज्य सरकार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने पिताजी का इलाज करवाया था। उसके बाद जब हमने उनको होम्योपैथी ट्रीटमेंट दिलाया तो आज वे ठीक हैं। हम केवल अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी यह सुविधा उपलब्ध हो, यह हम चाहेंगे ताकि अच्छा इलाज लोगों को मिल सके।

मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि नई दिल्ली के नरेला में अखिल भारतीय होम्योपैथी संस्थान परियोजना को क्यों रोक दिया गया है। इसे क्यों रोका गया है? होम्योपैथी संस्थान की सीमित शाखाएं ही क्यों खोली गई है? आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं।

अंत में, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि राष्ट्रपति जी भी होम्योपैथी दवाई लेते हैं और यह बहुत दुख की बात है कि हमारे राष्ट्रपति भवन में स्थित आयुष क्लीनिक संविदा के आधार पर नियुक्त डॉक्टर के ज़रिए चल रहा है। अत: इस प्रतिष्ठित क्लीनिक में स्थायी डॉक्टर तैनात किए जाने की तत्काल आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या यह कर देंगे और अगर करेंगे तो कितने दिन में? हमारे वेस्ट बंगाल में टीचर्स का क्राइसिस है, इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि न्यू रिक्रूटमेंट हो सके और स्टूडेंट्स को अच्छे शिक्षक मिल सकें और वे लोग अच्छी पढ़ाई कर सकें। क्या आप भी होम्योपैथिक दवाई लेते हैं और अगर लेते हैं तो क्या आप इंडियन दवाई को ही प्रमोट करेंगे? इस सबके बारे में हम उत्तर में जरूर सुनना चाहेंगे।

धन्यवाद।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : इनकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

… (व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती (अनकापल्ली):माननीय अध्यक्ष महोदय, *नमस्ते*!

सर्वप्रथम, मैं होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 पर अपनी पार्टी वाई.एस.आर.सी.पी. के दृष्टिकोंण से अवगत कराने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 माननीय मंत्री श्री श्रीपाद येसो नाईक जी द्वारा 21 जून, 2019 को लोक सभा में पेश किया गया था। विधेयक के द्वारा होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 में संशोधन प्रस्तावित है, साथ ही इसका उद्देश्य होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को प्रतिस्थापित करना है जो 2 मार्च, 2019 को लाया गया था।

अपनी बात शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ। हमारे देश में विभिन्न धर्मों का पालन किया जाता है। लेकिन जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा, 'यह सभी अंततः हमें अच्छा करना और अच्छा बनना सिखाते हैं। इसी तरह, हमारे देश में कई वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां हैं। जैसा कि हम देखते हैं, आयुष के तहत हमारे पास आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथी और सिद्ध हैं। प्रत्येक चिकित्सा पद्धति में अंतत: मूल लक्ष्य प्रत्येक मनुष्य को स्वस्थ बनाना है क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। सभी को अपना पूरा जीवन स्वस्थ तरीके से जीना चाहिए। हमें सीमाओं को समझना चाहिए लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि दवा की हर प्रणाली अच्छी हैं।

मैं आयुर्वेद गुरु महर्षि चरक के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। उन्होंने *चरकसंहिता* लिखी थी। *चरकसंहिता* लिखने के बाद, वह लोगों की इससे जुड़ी प्रतिक्रिया के बारे समझना चाहते थे और जानना

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

चाहते थे कि लोगों ने इससे क्या सीखा। उन्होंने कई लोगों से इस बारे में पूछा कि 'उन्होंने *चरकसंहिता* से क्या सीखा?'

लेकिन वह उनके उत्तर से खुश नहीं थे। अंत में, उन्हें एक व्यक्ति मिला, जिसने उन्हें उत्तर में कहा कि 'हितभुक, मितभुक, ऋतभुक' व्यक्ति को स्वस्थ बनाता है। इसका अर्थ है कि हमें अपने शरीर के अनुकूल भोजन करना चाहिए, इसे कम मात्रा में लेना चाहिए – हमें हर थोड़े समय बाद थोड़ा-थोड़ा भोजन खाना चाहिए - और भोजन को *धर्म* पालन करके अर्जित करना चाहिए। हर चिकित्सा पद्धति की अपनी पहचान होती है। हमारे यहां अनेकता में एकता है। हमें चिकित्सा की सभी पद्धतियों को बढ़ावा देना चाहिए और यह लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे किस पद्धति को चुनें। सरकार का कर्तव्य है कि वह मानदंड निर्धारित करे और अनुसंधान को बढ़ावा दे ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन सी शाखा सबसे अच्छी है, हर चिकित्सा अनुसंधान पर कुछ सतर्कता बरती जाए।

इसी संक्षिप्त परिचय के साथ, मैं अपनी बात को जारी रखना चाहूँगी। महोदय, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद की स्थापना वर्ष 1973 अधिनियम के द्वारा की गयी थी जो हमारे देश में होम्योपैथी शिक्षा और अभ्यास को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उक्त अधिनियम के अंतर्गत शासित कॉलेजों की गुणवत्ता और कामकाज में सुधार के लिए, केंद्र सरकार ने कॉलेजों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने सहित कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

हालांकि, महोदय, केंद्रीय होम्यो्पैथी परिषद अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने में विफल रही थी और उसने केंद्र सरकार के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा करने में दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ सहयोग नहीं किया था, जो कि चिकित्सा की होम्योपैथिक प्रणाली की शिक्षा और अभ्यास के मानक की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह थी कि केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के प्रमुख को सी.बी.आई. ने एक कॉलेज को मंजूरी देने के लिए 20 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था।

इसलिए, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को पेश करके केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् को अधिक्रमित करने की आवश्यकता थी और इस तरह, 18 मई, 2018 को एक वर्ष की अवधि के लिए या होम्योपैथी की एक नई केंद्रीय परिषद के पुनर्गठन तक एक निदेशक मंडल का गठन किया गया था।

उक्त अध्यादेश को होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

माननीय, सभापति जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक वर्ष की अवधि के भीतर केंद्रीय होम्योपैथी परिषद का पुनर्गठन नहीं किया जा सका क्योंकि होम्योपैथी के राज्य रजिस्टर अद्यतन नहीं थे और केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए चुनाव कराने की स्थिति में नहीं थे।

इसके अलावा, होम्योपैथी की केंद्रीय परिषद को अधिक्रमित करने और होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 को निरस्त करने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार ने 7 जनवरी, 2019 को राज्य सभा में होम्योपैथी विधेयक, 2019 के लिए राष्ट्रीय आयोग पेश किया था, जिसे बाद में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सम्बधी विभागों से सम्बद्ध संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया। इसलिए, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के पुनर्गठन के लिए एक वर्ष की अवधि को दो वर्ष तक बढ़ाने की आवश्यकता थी ताकि निदेशक मंडल केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के कार्यों को जारी रख सके।

हालाँकि, इस संबंध में तत्काल कानून की सख्त आवश्यकता के कारण, राष्ट्रपति ने 2मार्च, 2019 को होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2019 प्रख्यापित किया था।

<u>अपराह्न 04.09 बजे</u> (श्रीमती मीनाक्षी लेखी *पीठासीन हुईं*)

माननीय सभापति जी, इस संबंध में, होम्योपैथी क्षेत्र की समग्र और व्यापक बेहतरी के लिए, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2019 की जगह होम्योपैथी केंद्रीय परिषद विधेयक, 2019 को लाने की अत्यंत आवश्यकता है। जो केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के पुनर्गठन की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करने का प्रावधान करता है।

हमारा दल, वाई.एस.आर. कांग्रेस, इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता है और सरकार से अनुरोध करता है कि होम्योपैथी के विशेषज्ञों को सी.सी.एच. के सदस्यों के रूप में नामित किया जाए, जिनके पास सत्यनिष्ठा का एक इतिहास रहा है और हम यह भी आशा व्यक्त करते हैं कि चिकित्सा की

वैकल्पिक पद्धतियों जैसे होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेद आदि का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है और देश में आयुष क्षेत्र का विकास हो।

धन्यवाद, महोदया।

श्री अनुभव मोहंती (केन्द्रपाड़ा): जय जगन्नाथ। महोदया, मुझे इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। मैं अपनी पार्टी बीजू जनता दल की ओर से इस विधेयक को समर्थन देने के लिए खड़ा हूँ।

केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 केंद्रीय परिषद के अधिक्रमण करने के लिए 1973 के अधिनियम में संशोधन का प्रावधान करता है। इस संशोधन की आवश्यकता का कारण इसके अपने अध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ घोर भ्रष्टाचार के आरोप थे, जो भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद अपने पद पर बने रहे। सदस्यों के अलावा, कुछ अन्य अधिकारी भी परिषद में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद भी पद पर बने रहे। यहां तक कि चयन या नियुक्ति प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में थी। मैडम, एक बात दिमाग में आती है कि सन् 1973 से यह होम्यापैथी सैंट्रल काउंसिल फॉर्म हुआ, परंतु इतने वर्ष हमको लग गए, इस चीज़ को समझने के लिए कि हमें एक नया काउंसिल बनाना है, जिससे यह थोड़ा प्रॉपरली चलेगा, प्रॉपरली मैनेज्ड होगा । यह वास्तव में हमारे लिए खेद का विषय है। आश्चर्य है कि तत्कालीन सरकार क्या कर रही थी। मैं वर्तमान सरकार का आभारी हूँ। कम से कम, आपने एक संशोधन लाने के बारे में विचार किया।...(*व्यवधान*) ... आपको कई वर्ष मिले।

पिछले पाँच वर्षों में आपने कम से कम संशोधन लाने पर विचार किया। हम वास्तव में इसकी सराहना करते हैं। हमारा राज्य आपके साथ है। हमारी बीजू जनता दल पार्टी और हमारे नेता श्री नवीन पटनायक बाबू, इस संशोधन के लिए, आपका समर्थन करते हैं जो वास्तव में आवश्यक है और जो लंबे समय से आवश्यक था।

महोदया, आपके माध्यम से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। केंद्रीय होम्योपैथी परिषद में शामिल भ्रष्ट लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? क्या एक नई केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के बाद इस भ्रष्टाचार पर रोक लग जाएगी? क्या ऐसी कोई व्यवस्था होगी जो किसी को भी इस प्रकार का भ्रष्टाचार, इस प्रकार का व्यवधान तथा परिषद में इस प्रकार की शिथिलता जारी रखने की अनुमति नहीं देगी?

वर्तमान परिषद स्नातक और परा-स्नातक स्तरों पर चिकित्सा शिक्षा के समान मानक बनाए रखने में विफल रही है। यह भारतीय होम्योपैथी पद्धति में नैतिक प्रथाओं को बनाए रखने में भी विफल रही और

इसमें पारदर्शिता का अभाव भी रहा है। होम्योपैथी से संबंधित संस्थाओं की मान्यता या मान्यता रद्द करने में गड़बड़ियां हुईं। यह अपेक्षित कुशल और पेशेवर रूप से सक्षम मेडिकल स्नातकों को तैयार करने करने में विफल रही। अंतत: यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे की आवश्यकता का आकलन करने और उचित निरीक्षण करने में भी विफल रही।

जब होम्योपैथी में चिकित्सा शिक्षा के लिए नीति बनाने के लिए राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग था तब नीति आयोग ने भी परिषद को बदलने की सिफारिश की थी। इसने होम्योपैथी के बेहतर और कुशल प्रबंधन के लिए चार पारस्परिक रूप से स्वतंत्र बोर्ड की भी सिफारिश की।

महोदया, हम होम्योपैथी अपनाने की सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि इसका उपचार बहुत आसान है। यद्यपि इसका उपचार लम्बा है, लेकिन यह बिल्कुल भी कष्टदायक नहीं है। मैं बचपन के दिन याद करता हूँ। अब भी, मैं कभी-कभी होम्योपैथी के डॉक्टरों से परामर्श लेता हूँ और मैं होम्योपैथी दवाएं लेता हूँ। मेरा परिवार होम्योपैथी की दवाएं लेने में विश्वास करता है। यह बहुत किफायती है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए यह बहुत ही सुलभ है।

महोदया, आपके माध्यम से, मैं अपने दल बीजू जनता दल और ओडिशा सरकार की ओर से माननीय मंत्री जी को एक खुला प्रस्ताव देता हूँ। माननीय मंत्री को मेरे निर्वाचन क्षेत्र, केन्द्रपाड़ा, ओडिशा में एक होम्योपैथी विश्वविद्यालय खोलने पर विचार करना चाहिए और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि राज्य सरकार आवश्यक सभी प्रकार की सहायता प्रदान करे। केन्द्रपाड़ा के लोग वहां एक होम्योपैथी संस्थान की स्थापना से खुश होंगे। मुझे विश्वास है कि यह विश्वविद्यालय करोड़ों लोगों की सेवा करेगा, खासकर पिछड़े लोगों की, जो मंहगी एलोपैथिक दवाओं या इस तरह की किसी भी तरह की दवाएं खरीदने में सक्षम नहीं हैं। आपका बहुत धन्यवाद, महोदया। जय जगन्नाथ, बंदे उत्कल जननी।

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदया, आपने मुझे होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन), 2019 पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदया, सरकार पहले ही 2 मार्च, 2019 को अध्यादेश ला चुकी है। अब संशोधन पर सदन में चर्चा हो रही है। संशोधन के बाद केन्द्रीय परिषद् की पुनर्गठन की अवधि को एक वर्ष से बढ़ा कर दो वर्ष किया जा रहा है। अभी माननीय चौधरी जी भी इसका विरोध कर रहे थे। अगर कोई अच्छाई होती है तो विपक्ष में विरोध करना कोई ज़रूरी नहीं है। अधीर रंजन चौधरी जी पुराने नेता व साथी हैं, विदेश से भी तुलना कर रहे थे कि विदेशों में यूरोप और इटली में अध्यादेश नहीं लाया जाता है। इस तरीके की बात करके अध्यादेश लाना कोई बुरी चीज़ नहीं है। जब आपकी सरकार थी, उस समय हम लोग भी विपक्ष में थे। उस समय भी आप अध्यादेश ला रहे थे, इसलिए मैंने यह बात बोली कि चौधरी जी हर बात में विरोध करते हैं। जब सदन में कोई अच्छी बात होती है, मैं इस बिल के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूँ।

इससे निदेशक मण्डल का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद को अपने अधिकारों का प्रयोग करने और परिषद के कार्य निष्पादन में मदद होगी। सरकार का यह कदम काफी सकारात्मक है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में प्रतिष्ठित और योग्य होम्योपैथिक डॉक्टरों और प्रख्यात प्रशासकों को कार्यभार सौंपा गया है। आशा है कि यह होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली को काफी चुस्त-दुरुस्त एवं प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल होगा। सरकार भी इससे सहमत है कि परिषद में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अभी हमारे साथी भी बता रहे थे कि इसको समाप्त करने की ज़रूरत है।

सभापति महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र में एक होम्योपैथिक कॉलेज है। मैं उस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। नालंदा में बिहार राज्य का सबसे पुराना होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार शरीफ में है। वह वर्ष 1969 से संचालित है। यह बिहार का एकमात्र मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय था, जिसको मान्यता बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग, आयुष मंत्रालय द्वारा दी गई थी। वर्ष 2019-20 में उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है।

मैं मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि हमारे संसदीय क्षेत्र से ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। सारे लोग नाराज हैं। हम लोग जब चुनाव में गए थे तो कई बार इसको झेलना पड़ा था। वहाँ से अच्छे डॉक्टर्स भी निकलते हैं। कई लोग नौकरियों में चले गए हैं। फिर भी ऐसा होता है कि आप एक बार नहीं, दो बार टीम को भेजिए, जाँच कराइए। अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके का वहाँ कॉलेज है, वहाँ 200 से 400 मरीज डेली रहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि वैसे कॉलेजों की भी छंटनी न कर दी जाए। मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के नालंदा में जो कॉलेज है, उसको निश्चित रूप से वर्ष 2019-20 के लिए मान्यता दे दें, जिससे कि वहाँ के छात्रों को लाभ मिल सकें।

होम्योपैथिक कॉलेज जो बिहार शरीफ में है, मैं उसके बारे में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि काफी सुदृढ़ बिल्डिंग बनी हुई है और काफी अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स भी हैं। इसलिए मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। विशेष रूप से होम्योपैथी चिकित्सा खास कर बिहार, बंगाल, ओडिशा, जहाँ ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए अनिवार्य हो गई है। जो असाध्य रोग हैं, चर्म रोग हैं, वे इससे काफी ठीक होते हैं। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी से ठीक नहीं होते हैं। इस तरह से इसको और डेवलप करने की ज़रूरत है, जिससे गरीबों को लाभ मिले। हमारे कई साथियों ने कहा कि बंगाल, ओडिशा और बिहार पहले एक था। उसके ग्रामीण परिवेश में हर गाँव में एक-दो डॉक्टर्स होते हैं, जिससे काफी गरीब लोगों को राहत मिलती है। दो रुपये की पुड़िया, पाँच रुपये की पुड़िया में दवाई ले जाते हैं। थोड़ा समय लगता है, लेकिन दवाई से ठीक होते हैं। इसलिए होम्योपैथी इलाज पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार रिसर्च पर ध्यान दें, इसके लिए और जो भी हो सके, गुणवत्ता युक्त होम्योपैथी चिकित्सा में गुणवत्ता लाए। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अनुराग शर्मा (झांसी): महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे होम्योपैथी बिल के बारे में बात करने का अवसर दिया। यह संसद में मेरी पहली स्पीच है। मैं अपनी किसी त्रुटि या गलती के लिए अभी से क्षमा माँग लेता हूँ। मैं खुद आयुष इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सालों से निकटतम से इस इंडस्ट्री के साथ कार्य करता आ रहा हूँ।

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1973 ने सी.सी.एच. को वस्तुतः सरकारी निगरानी से स्वतंत्र बनाया। यह उचित पारदर्शिता के बिना छद्म दुनिया में संचालित होता था। हमें यह समझना होगा कि जो संस्थाएं बिना उचित सरकारी निगरानी के स्वतंत्र हो जाती हैं, वे हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं और यह भ्रष्टाचार देश भर में विभिन्न छात्रों के जीवन को बर्बाद कर सकता है। यह इस निकाय में पाया गया था। 22 अक्टूबर, 2018 को एक सनसनीखेज मामले में परिषद के अध्यक्ष और प्रमुख को सी.बी.आई. ने गिरफ्तार किया और होम्योपैथी कॉलेज को 20 लाख रुपये का भुगतान करने वाले एक संदिग्ध बिचौलिए, श्री हरि शंकर झा को भी गिरफ्तार किया गया।

सबसे पहले, मैं, आज इस सदन में मौजूद, हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय आयुष *मंत्री* जी को बधाई देना चाहूंगा। वर्ष 2014 में इस *मंत्रालय*का गठन किया गया था और तब से ही बहुत सक्रिय है। आजादी के बाद पहली बार आयुष को मान्यता मिली है और सरकार द्वारा उसे उसका अधिकार दिया गया है। हम उद्योग जगत की ओर से अत्यंत आभारी हैं कि इस सरकार ने एक अलग मंत्रालय बनाने की आवश्यकता को स्वीकार किया। हम सभी इस मंत्रालय को बनाने के लाभों को देख सकते हैं। वास्तव में समय के साथ, पिछले पाँच वर्षों में आयुष का बहुत तेजी से विकास हुआ है। बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से अनुसंधान और विकास पर इतना समय देने और प्रयत्न करने के लिए मैं *मंत्री जी* का बहुत आभारी हूँ माननीय प्रधान मंत्री ने एक विशेष दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करवाया। उनके ऐसा किए जाने से जागरूकता बढ़ी है और भारत के लिए जबरदस्त सद्भावना भी पैदा हुई है। आज, पूरा विश्व योग के सकारात्मक और स्वास्थ्य पहलुओं को मान्यता दे रहा है। हम सरकार के बहुत आभारी होंगे यदि वे आयुष की बाकी चिकित्सा पद्धतियों के साथ भी ऐसा कर सकें।

मैं अपने सम्मानित सहयोगी और विपक्ष के विद्वान मित्र श्री अधीर रंजन चौधरी, जिन्होंने अध्यादेश लाने की आवश्यकता के बारे में पूछा था, को बताना चाहता हूँ कि यदि विभिन्न लोग और खासकर छात्रों का जीवन जब दांव पर लगा हो, तो कभी-कभी एक अध्यादेश वास्तव में काफी आवश्यक और महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हमारे यहां 231 होम्योपैथी कॉलेज हैं, जिनमें से 198 निजी कॉलेज हैं। इनमें से अधिकांश कॉलेज बिना निरीक्षण; बिना उचित कामकाज; बिना किसी पारदर्शिता के चल रहे हैं; उनमें से कुछ के पास तो उचित बुनियादी ढांचा और वहां छात्रों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है। इस अध्यादेश को

लाने के लिए मैं इस सरकार का आभारी हूँ क्योंकि यदि यह अध्यादेश प्रख्यापित नहीं होता, तो यह वैसा ही होता जैसा आयुर्वेद के साथ हुआ जब छह कॉलेजों की मान्यता समाप्त कर दी गई थी। हर बार जब किसी कॉलेज की मान्यता रद्द हो जाती है, तो उन छात्रों की दुर्दशा की कल्पना करें, जिन्होंने तीन से चार वर्ष की कड़ी मेहनत और पढ़ाई की है और अचानक उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती है। छात्र को एक वैध डिग्री नहीं मिलती है और उसका पूरा समय, धन और प्रयास बर्बाद हो जाता है। इसलिए यह अध्यादेश लाने के लिए हमें सरकार का आभारी होना चाहिए। कम से कम उन छात्रों का भविष्य तो बच जाएगा।

सभापति महोदया, इन कॉलेजों की गुणवत्ता में सुधार करने की कोशिश करने के लिए भी मैं सरकार का आभारी हूँ। आज आपके पास एक शासी निकाय है जो विशेषज्ञों से भरा हुआ है। यहां एक मांग उठाई गई है कि इसमें सभी राज्यों के लोगों को शामिल किया जाएँ। मैं समझता हूँ कि एक शासी निकाय में अधिक से अधिक विशेषज्ञ होने चाहिए। इसमें विभिन्न राज्यों के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है। हमें उचित रजिस्ट्रार की आवश्यकता है और हमें परिषद में होम्योपैथी डॉक्टरों की आवश्यकता है। हमें एक ऐसी परिषद की आवश्यकता है जो विचार और कार्य में स्वतंत्र हो, जो इन कॉलेजों को नियंत्रित और उन्नत कर सके।

दुर्भाग्य से, आज अधिकांश आयुर्वेद और होम्योपैथी डॉक्टरों के साथ क्या होता है कि इन कॉलेजों से पास होने पर उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता है। उनको प्रति मरीज 30 से 50 रुपए फीस मिलती है जबकि की पश्चिमी चिकित्सा पद्धति का कोई डॉक्टर न्यूनतम 100 से 150 रुपये परामर्श शुल्क लेता है। आज अगर हम आयुष पद्धति से निकलने वाले इन डॉक्टरों को बराबरी पर नहीं ला सके, और अगर हम अपने कॉलेजों को उन्नत नहीं कर पाए, तो पद्धति को दुनिया भर में कभी मान्यता नहीं मिलेगी।

आज, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी और योग पद्धति देश के लिए ज्ञान स्रोत उद्योग हैं। जितना अधिक हम इन्हें बढ़ावा देंगे, उतनी ही अधिक सरकार की विदेशी मुद्रा की कमाई होगी। ये सही मायनों में मेक इन इंडिया के घटक हैं। यह हमारे ज्ञान का पावर हाउस है। हम माननीय आयुष मंत्री के बहुत आभारी रहेंगे यदि वे दुनिया भर में आयुर्वेद और सिद्ध को बढ़ावा देने या मान्यता दिलाने में मदद करेंगे जैसा कि वे योग के साथ करने में सफल रहे हैं।

मैं प्रसन्नता पूर्वक इस विधेयक का समर्थन करना चाहूँगा और हम उम्मीद करेंगे कि केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद का गठन शीघ किया जाए और उन छात्रों के लिए विशेषज्ञों को लाया जाए जो अपनी परीक्षा देने जा रहे हैं और साथ ही इन कॉलेजों का उन्नयन किया जाए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सभापति जी, माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने होम्योपैथिक केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019 के मसौदे को मंजूरी दी है ।

महोदया, मैं माननीय मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि जब से इन्होंने अपना कार्य संभाला है, आयुष मंत्रालय ने बहुत प्रगति की है। भारत में होम्योपैथी की कानूनी रूप से शुरुआत करीब वर्ष 1973 में हुई। इससे पहले वर्ष 1839 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने जोहान मार्टिन होनिगबर्गर को अपने उपचार के लिए आमंत्रित किया। इसकी कामयाबी के बाद होम्योपैथी की भारत में मान्यता बढ़ गयी।

माननीय सभापति जी, इस विधेयक में होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् के पूर्ण गठन की अवधि को मौजूदा एक वर्ष से बढ़ा कर दो वर्ष करने का प्रावधान है, ताकि निदेशक मंडल का कार्यकाल 17 मई, 2019 से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सके। इससे होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् को अपने अधिकारों का प्रयोग करने और परिषद् के कार्य-निष्पादन में मदद मिलेगी।

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् का कामकाज निदेशक मंडल को सौंपा गया है, जिसमें प्रसिद्ध और शिक्षित होम्योपैथी डॉक्टर तथा प्रख्यात प्रशासक शामिल हैं। परिषद् के पुनर्गठन होने तक कार्यकाल का विस्तार किया गया है, क्योंकि होम्योपैथी के स्टेट रजिस्टर के अद्यतन न होने के कारण तथा संयोग से आम चुनाव होने के कारण समिति का पुनर्गठन एक वर्ष में नहीं किया जा सकता है। आज के जमाने में कम से कम दस प्रतिशत जनता होम्योपैथी चिकित्सा का लाभ लेती है। कई सरकारी दवाखानों और अस्पतालों में जो डॉक्टर्स वहां निगरानी करते हैं, उनसे कहीं ज्यादा डॉक्टर्स होम्योपैथी के हैं। अगर इसकी चर्चा करें तो पूरे देश में 23,730 औषधालय और कुल मिलाकर 7 लाख डॉक्टर्स इसमें कार्यरत हैं, परन्तु इसमें अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण कई सारे दिक्कतें आती हैं।

महोदया, मैं इस विधेयक के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कई कॉलेजों में बहुत सारे बच्चे होम्योपैथी की डॉक्टरी शिक्षा लेते हैं। उनमें होम्योपैथी डॉक्टरों के लिए कई सारे दिक्कतें

आती हैं। इस पर सरकार ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। सरकार को देश भर में होम्योपैथी के प्रति लोगों में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। कई सारे डॉक्टर्स होम्योपैथी की डिग्री लेते हैं, उन्हें भी इसे बढ़ावा देना चाहिए। आज 12वीं कक्षा के बाद कोई छात्र एलोपैथी की तरफ नहीं जाना चाहता। आज होम्योपैथी तथा आयुर्वेद की तरफ जाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी है। सरकार को होम्योपैथी को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति देने की जरूरत है। इसमें किसी विशेष वर्ग के लिए छात्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी होनहार छात्रों को इसका लाभ मिलना चाहिए।

इसके अलावा, सरकार को होम्योपैथी की पढ़ाई में रुचि दिखाने वाले छात्रों को सेल्फ गारंटी के आधार पर बैंक से बिना किसी ब्याज़ के लोन देने का प्रावधान करना चाहिए। इस विधेयक के द्वारा केन्द्रीय परिषद के पुनर्गठन की मौजूदा एक वर्ष की अवधि को बढ़ाकर दो वर्ष किया जा रहा है। मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

एडवोकेट ए.एम. आरिफ (अलप्पुझा) : महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद।

होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 पर इस चर्चा में भाग लेकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मेरी पत्नी होम्योपैथी चिकित्सक है। मैं और मेरे परिवार के सदस्य पिछले 23 वर्षों से होम्योपैथी दवाओं का उपयोग कर रहे हैं। अब, मेरी पत्नी ने मोटापे और वजन कम करने का उपचार करने के लिए एक सिद्धांत विकसित किया है। होम्योपैथी दवा से मोटापा और वजन कम करने का उपचार किया जाता है...(*व्यवधान*) माननीय सदस्य श्री एन.के. प्रेमचंद्रन की पत्नी होम्योपैथिक डॉ. हैं। वह भी इस चर्चा में शामिल होने वाले हैं।

मै होम्योपैथी परिषद के शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार के संबंध में दूसरे सम्मानीय सदस्यों की भावनाओं को साझा कर रहा हूँ। इस मामले पर विस्तार से नहीं जा रहा हूँ।

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद वह शीर्ष निकाय है जो भारत में होम्योपैथी शिक्षा और अभ्यास को नियंत्रित करता है। परिषद का मुख्य कार्य स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार करना और कॉलेजों का निरीक्षण करना है ताकि यह देखा जा सके कि वहां पर परिषद के नियमों को लागू किया जा रहा है या नहीं। परिषद के बारे में अधिकांश आरोप कुछ स्तरहीन कॉलेजों के निरीक्षण और मान्यता के संबंध में हैं।

होम्योपैथी दुनिया में उपलब्ध उपचार का सबसे सुरक्षित और किफायती तरीका है, हालांकि इसकी कुछ सीमाएं हैं। भारत में ढाई लाख पंजीकृत चिकित्सक हैं। उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त किया जा सकता है और ग्रामीण भारत में गरीब लोगों को प्राथमिक स्तर का गुणात्मक उपचार प्रदान कर सकते हैं। और सभी गांवों के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित कर सकते हैं। केवल ऐसे मरीजों जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने और अधिक उपचार की आवश्यकता होती है, उन्हें मुख्य केंद्रों में भेजा जाना चाहिए। होम्योपैथी इसका सबसे किफायती उपचार प्रदान कर सकती है क्योंकि अन्य उपचारों की लागत की तुलना में होम्योपैथी दवाएं सबसे किफायती हैं।

केरल राज्य होम्योपैथी डॉक्टरों के उपयोग का एक उदाहरण बन गया है। हमारे यहां लगभग सभी पंचायतों में एक होम्योपैथी औषधालय या अस्पताल है और लगभग एक लाख लोग हर दिन जमीनी स्तर पर होम्योपैथी डॉक्टरों की सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के कई मानकों में केरल ने सराहनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। केंद्र सरकार के हालिया अध्ययन की प्रतिवेदन बताती है कि केरल सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में अन्य राज्यों के मुकाबले नंबर 1 स्थान पर है।

पिछली परिषद में लगभग 60 सदस्य थे, जिनमें से 14 सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया गया था, और विभिन्न राज्यों के निर्वाचित सदस्यों के अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों में होम्योपैथी संकाय से एक-एक सदस्य था। लेकिन विभिन्न राज्यों और संकायों में उचित समय पर चुनाव नहीं करवाए गए और इसलिए, कई सदस्य अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी बने रहे, क्योंकि अधिनियम में एक उपबंध है कि सदस्य अगले सदस्य के चुने जाने तक बने रह सकते हैं।

मेरा एक सुझाव है। पिछले सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति से छह महीने पहले चुनाव कराकर कार्यकाल के इस विस्तार को कम किया जा सकता है।

कुछ सदस्य 25 से अधिक वर्षों से भी परिषद में बने हुए हैं और वे निजी प्रबंधन लॉबी से संबंधित हैं। मेरा सुझाव यह है कि इसे सदस्य के लिए दो पदों की अधिकतम अवधि निर्धारित करके इसे रोका जा सकता है।

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम कई राज्यों में समान रूप से लागू नहीं है। इससे विभिन्न राज्यों की योग्यताओं को पहचानने में दिक्कतें आती हैं। इस संदर्भ में मेरा सुझाव है कि नए प्रस्तावित विधेयक में इसे सभी राज्यों के लिए अनिवार्य करने का प्रावधान होना चाहिए और यदि कोई विश्वविद्यालय इसका पालन नहीं कर रहा है तो उसे पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

वर्तमान में सभी विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम नहीं हैं। माननीय मंत्री जी को मेरा सुझाव है कि सभी विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किया जाए।

अब कुछ राज्यों से अन्य राज्यों की तुलना में तीन या चार गुना अधिक सदस्य हैं और कुछ राज्यों में प्रति 10,000 पंजीकृत चिकित्सकों के लिए केवल एक सदस्य है। ये राज्य, परिषद को नियंत्रित कर रहे

हैं। माननीय मंत्री जी को मेरा सुझाव यह है कि पंजीकृत चिकित्सकों की संख्या के बावजूद प्रत्येक राज्य में केवल एक निर्वाचित प्रतिनिधि होना चाहिए।

जहां तक निरीक्षणों का संबंध है, परिषद के खिलाफ अधिकांश शिकायतें निरीक्षणों में एकरूपता की कमी के बारे में होती हैं जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ता है। विभिन्न महाविद्यालयों के शिक्षकों में से निरीक्षकों की एक टीम का चयन किया जा सकता है और उन्हें निरीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और परिषद के किसी भी सदस्य को निरीक्षक नहीं बनाया जाना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि केवल शिक्षकों को निरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाए। अगर किसी कॉलेज को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है तो एक निश्चित शुल्क जमा करने के बाद दोबारा निरीक्षण का प्रावधान किया जा सकता है।

शिक्षण संकाय के स्तर में सुधार के लिए, शिक्षक बनने के इच्छुक स्नातकोत्तर धारकों के लिए यू.जी.सी. नेट जैसी अखिल भारतीय परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। इस परीक्षा के संचालन का कार्य किसी बाहरी एजेन्सी को सौंपा जा सकता है।

विश्वविद्यालय परीक्षाओं, कॉलेजों में सुविधाएं और कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों के संचालन के आधार पर कॉलेजों की ग्रेडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए।

महोदय, हम होम्योपैथी को बढ़ावा देते हैं। लेकिन हमें ग्रामीण क्षेत्रों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। सरकार को पहल करनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में औषधालय स्थापित करने चाहिए। हम अब मेडिकल कॉलेजों और बड़े अस्पतालों पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। साथ ही हमें औषधालय स्थापित करने में भी प्राथमिकता देनी चाहिए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदया, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इस बिल के समर्थन में अपनी बात रखूंगा। भारत में होम्योपैथी का इतिहास 200 वर्ष से अधिक पुराना है। इस सस्ती चिकित्सा प्रणाली को पिछले 50-55 सालों से इस देश के अंदर बढ़ावा नहीं दिया गया। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने 2014 से 2019 के कार्यकाल के अंदर आयुष मंत्रालय का गठन किया। होम्योपैथी सहित पूरे देश के अंदर विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों को किस तरह बढ़ावा मिले, किस तरह गांव ढाणी के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सस्ती दवाइयों का लाभ मिल सके, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। जो बिल लेकर आए हैं, निश्चित रूप से परिषद के गठन की बात बढ़ेगी। वैज्ञानिकों और अपनी क्षमता के बलबूते होम्योपैथी विकसित होती रही। होम्योपैथी एलोपैथी के बाद दुनिया में बड़ी चिकित्सा पद्धति मानी जाती है। यह ऐसी चिकित्सा विधि है जो शुरू से ही चर्चित, रोचक और आशावादी पहलुओं के साथ विकसित हुई।

दुनिया में जन-स्वास्थ्य की चुनौतियां बढ़ रही हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति से निबटने में एक तरह से कील सिद्ध हुई है। महोदया, प्लेग हो या सार्स, अभी स्वाइन फ्लू देश के अंदर बढ़ा, मलेरिया, टीबी, दस्त और लू जैसी जो भी बीमारियां घातक थीं, अगर कहीं ये लाइलाज हुईं, तो होम्योपैथी दवाई स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया या दूसरी बीमारियों में पिलायी जाती है, तो बहुत बड़ी राहत मिलती है।

आज टीबी की दवाएं प्रभावहीन हो गई हैं। शरीर में और ज्यादा एन्टीबायोटिक्स को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रही। ऐसे में होम्योपैथी एक बेहतर विकल्प हो सकती है। अनेक घातक महामारियों से बचाव के लिए होम्योपैथिक दवाओं की एक पूरी रेंज उपलब्ध है। आज आवश्यकता इस पद्धति को मुकम्मल तौर पर अपनाने की है।

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद के पुनर्गठन की अवधि को एक वर्ष से दो वर्ष तक विस्तारित करने के लिए उपबंध हेतु प्रस्तुत हुआ है। होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली को बचाने के उद्देश्य से मैं स्वास्थ्य मंत्री जी और भारत सरकार ने जो बिल प्रस्तुत किया है, उसका हम पूर्ण समर्थन करते हैं।

सभापति महोदया, पिछले पांच सालों के बाद अब मोदी जी का सेंकड टर्म है। आयुष्मान भारत के तहत पांच लाख तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। इससे देश के अंदर पचास करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। आपने बीस नये एम्स देश के अंदर खोले, जहां सुसज्जित अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, आपने राजस्थान को आठ नए मेडिकल कॉलेज दिए। आज घुटनों का ऑपरेशन और वॉल की बीमारी हर चौथा-पांचवां व्यक्ति, जो पचास वर्ष से ज्यादा उम्र का है, प्रभावित पाया जाता है। इसके लिए सस्ता इलाज उपलब्ध कराया जाए।

योग की शुरूआत हिन्दुस्तान से हुई थी। इस योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। पहले भारत विश्व गुरु कहलाता था। यह प्रधान मंत्री जी की देन है एक योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया। योग की वापस एक नए सिरे से शुरूआत हुई। आज हर तीसरा आदमी कहता है कि मैं योग करता हूं, प्राणायम करता हूं।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कृपया सदन में शांति बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री हनुमान बेनीवाल: महोदया, मैं अपनी तरफ से होम्योपैथी को आगे बढ़ाने के लिए सुझाव दूंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है। आज जगह-जगह पद खाली पड़े हैं, दवा उपलबध नहीं है। होम्योपैथी के अस्पताल में एलोपैथी की दवा बेचते हैं। इस मामले में सरकार को पूरी मोनिटरिंग करनी चाहिए। इस चिकित्सा प्रणाली से कई लाइलाज बीमारियों का इलाज हुआ। केन्द्र सरकार राष्ट्रीय स्तर के केन्द्रीय चिकित्सा संस्थान खोले, जिनमें यह चिकित्सा प्रणाली पढ़ाई जाती हो।

दूसरा, ग्रामीण स्तर तक इस पद्धति का विस्तार हो, इसके लिए भारत सरकार देश के राज्यों को निर्देश दे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत कम से कम सी.एच.सी. के स्तर तक चिकित्सालयों में चिकित्सा प्रणाली का लाभ लोगों को मिले, इसके लिए चिकित्सकों को लगाया जाए। जिस परिषद का गठन केन्द्र सरकार कर चुकी है, उसमें इस तरह की प्रणाली विकसित की जाए। होम्योपैथी से जुड़े चिकित्सा संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों की प्रभावी मोनिटरिंग भी हो।

मैं दोबारा आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पिछले 55-60 सालों का सड़ा हुआ सिस्टम था। जिस तरह प्रतिपक्ष के लोग होम्योपैथी के लिए कह रहे थे, उन्होंने 50-55 सालों में अंदर देश के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सारी व्यवस्था को बदलने के लिए शुरुआत की। पहले पहली पारी थी, अब दूसरी पारी है। निश्चित रूप से आम आदमी और गरीब आदमी तक लाभ पहुंचे। हमने देखा, पिछले पांच सालों में अच्छे बिल आए। अब बिलों की नई शुरुआत हुई है। मैं धन्यवाद इस बात के लिए भी दूंगा, मैं पहली बार जीत कर लोक सभा के अंदर आया हूं। पहले विधान सभा में तैयारी के साथ बोलता था। तीन बार विधान सभा में विधायक रहा हूं। लोक सभा में आप पहली बार चेयर पर हैं और मैं बोल रहा हूं। आपको धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। प्रधान मंत्री जी होम्योपैथी और आयुर्वेद की विश्व के अंदर पहचान बनाएंगे। होम्योपैथी के अंदर जितने भी हमारे बेरोजगार भाई हैं, जो पढ़-लिख कर डिग्री लेकर बैठे हैं, जितने भी खाली पद हैं, चाहे वे केन्द्र सरकार के अधीन हों या राज्य सरकार के अधीन हों, राज्यों को निर्देशित करके खाली पद भरे जाएं। होम्योपैथी को और ज्यादा बढ़ावा कैसे मिले, इसके लिए हम सभी कटिबद्ध हैं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): मुझे इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। माननीय मंत्री जी और मेरे करीबी मित्र, श्री श्रीपाद येसो नाईक द्वारा होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 को लाया गया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता, होम्योपैथी उपचार की गुणवत्ता में सुधार और होम्योपैथी केंद्रीय परिषद के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था:

> किसी भी अन्य उपचार पद्धति की तुलना में, होम्योपैथी सबसे ज्यादा लोगों का ईलाज करती है, और निस्संदेह, यह सुरक्षित और अधिक किफायती है।"

बापू के विचार लाखों लोगों की व्यापक वास्तविकता को दर्शाते हैं, जिनकी किफायती उपचार तक पहुंच है क्योंकि एलोपैथिक चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियां अब भी बहुत मंहगी हैं।

चिकित्सा पद्धति के रूप में होम्योपैथी चिकित्सा के पारंपरिक रूपों का विकल्प प्रदान करती है। इसके ऊपर एक विशाल आबादी को विश्वास है, इसलिए प्रणाली को विनियमित करने वाले शासी निकायों के कामकाज में समयबद्ध सुधार की आवश्यकता होती है।

चिकित्सा पद्धति के रूप में होम्योपैथी के प्रसार को केरलवासियों के बीच स्वीकृति मिली है। एक के बाद एक आने वाली राज्य सरकारों ने राज्य में जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचा तैयार करने में मदद की है। केरल राज्य में अब प्रत्येक पंचायत में एक होम्योपैथी औषधालय की सुविधा है। अभी-अभी मेरे परम मित्र श्री ए. आरिफ ने इसका उल्लेख किया है। माननीय मंत्री जी केरल में होम्योपैथी उपचार के बारे में अच्छी तरह से परिचित हैं।

होम्योपैथी को इस तरह के समर्थन और प्रोत्साहन को केंद्र सरकार में नीतिगत प्राथमिकता मिलनी चाहिए और एक समर्पित और लक्षित नीतिगत पहल के साथ देश में होम्योपैथी दवा की पहुंच बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

सफल होम्योपैथी चिकित्सा संस्थान और अनुसंधान सुविधा के लिए संदर्भ आदर्श में ए.एन.एस.एस. होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, कुरिची है, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र मावेलीक्करा में आता है, जहां अनुसंधान और

शिक्षण एक साथ किया जाता है। ऐसे संस्थानों को आधार मॉडल के रूप में संदर्भित किया जा सकता है जिस पर समान संस्थानों की संकल्पना की जा सकती है।

रोजगार का सृजन एक और चिंता का विषय है और केंद्र सरकार द्वारा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले कई स्नातक लाभकारी रोजगार की तलाश में हैं। सरकार को प्राथमिकता के आधार पर उनके लिए अधिक पद और रिक्तियां सृजित करनी चाहिए।

एन.एच.एम. और एन.आर.एच.एम. का प्रबंधन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। हमें स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देना है। हमें लोगों की सहायता करनी है। सरकार को स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च करने के लिए राज्य सरकारों को अधिक धन उपलब्ध कराना चाहिए। दुर्भाग्यवश, केंद्र सरकार विशेष रूप से आयुष क्षेत्र में एन.एच.एम. को लागू करने में राज्य सरकारों की मदद नहीं कर रही है। इसलिए हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूँ। आम बजट आ रहा है। माननीय मंत्री जी को माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहिए कि आयुष मंत्रालय को पर्याप्त निधि उपलब्ध कराएं।

सदन में माननीय आयुष मंत्री द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार होम्योपैथी पद्धति के डॉक्टरों की संख्या 2.8 लाख है। यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों को पारंपरिक और बहुलवादी चिकित्सा पद्धतियों, विशेषकर होम्योपैथी, की प्रभावकारिता का अनुभव होने के बाद, उन पर निर्भरता बढ़ रही है। सरकार को अपनी ओर से होम्योपैथी चिकित्सा के विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाकर और स्थानीय सरकार के स्तर पर बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहायता के साथ-साथ होम्योपैथी स्नातकों के लिए लाभकारी रोजगार प्रदान करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।

पर्याप्त बजटीय आबंटन के साथ देश में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की मांग को संबोधित करते हुए एक संरचित नीति के माध्यम से होम्योपैथी अनुसंधान और चिकित्सा में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना सरकार के लिए एक प्राथमिकता का विषय होनी चाहिए।

बढ़ती जनसंख्या के साथ, भारत को सुलभ चिकित्सा के अधिक से अधिक अवसरों की आवश्यकता है और होम्योपैथी एक ऐसा विकल्प है जिसे अपनी क्षमताओं के लिए उपयोग करने की आवश्यकता है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुट्टनाड एक बैकवाटर क्षेत्र है। इसलिए, मेरे क्षेत्र में जल जनित रोगों से लोग गंभीर रूप से प्रभावित होते रहे हैं। लोग पानी से होने वाली तमाम बीमारियों के लिए होम्योपैथी उपचार को प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन, दुर्भाग्यवश, हमारा होम्योपैथी विभाग या स्वास्थ्य मंत्रालय वहां पहुंचकर पर्याप्त होम्योपैथी उपचार नहीं दे सका। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि विशेष रूप से कुट्टनाड को ध्यान में रखें क्योंकि कुट्टनाड के पूरे क्षेत्र में जल निकाय स्थित हैं। हर वर्ष मानसून के दौरान, लोग चिकनगुनिया, जापानी एन्सेफलाइटिस आदि की चपेट में आ जाते हैं।

विधेयक की बात करें तो होम्योपैथी का अर्थ है होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली और इसमें जैव रासायनिक उपचारों का उपयोग शामिल है। यह इसकी परिभाषा है। लेकिन, साथ ही, यह काफी अप्रासंगिक है। नई परिभाषा इस प्रकार हो सकती है होम्योपैथी का अर्थ है होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली जिसमें जैव रासायनिक उपचार और निदान, चिकित्सा की रोकथाम और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सभी आधुनिक उपकरणों और विज्ञान में प्रगति का उपयोग सम्मिलित है। यह सही परिभाषा है। आपकी परिभाषा आपत्तिजनक है।

इस परिभाषा का औचित्य यह है। बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित पुस्तक 'ऑर्गन ऑफ मेडिसिन' के सूत्र 3 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक चिकित्सक को सामान्य रूप से बीमारियों और विशेष रूप से बीमारियों के बारे में और उपचार कैसे किया जाए और ठीक होने में क्या बाधा है, इसके बारे में स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। यह दवा के साथ उचित निदान, पूर्वनिदान और उपचार और सभी सहायक साधनों का उपयोग करने की मांग करती है।

मैं विधेयक के सभी प्रावधानों की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन यहां कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर संकेत करना चाहूंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि समग्र नामांकन प्रक्रिया को प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से सरल बनाया जा सकता है। हो सकता है कि यह गृह मंत्रालय द्वारा न किया गया हो। समग्र नामांकन प्रक्रिया के मानदंड को नियमों में निर्धारित किया जा सकता है। इसमें गृह मंत्रालय के साथ परामर्श को एक

मानदंड बनाया जा सकता है। सात सदस्यों में से, तीन शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले हो सकते हैं, एक प्रशासनिक पृष्ठभूमि के साथ, एक शोधकर्ता हो सकता है, और दो व्यक्ति नैदानिक पृष्ठभूमि वाले या सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुभव वाले हो सकते हैं।

अन्य राष्ट्रीय संस्थान जैसे राष्ट्रीय होम्योपैथी मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, कुरिची, कोट्टायम, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, दिल्ली आदि हैं, जिन्हें इस विधेयक में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इन शैक्षणिक संस्थानों से भी प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ये दोनों संस्थान उत्कृष्टता केंद्र बनने जा रहे हैं। यह प्रस्ताव मंत्रालय के पास लंबित है। माननीय मंत्री जी इन दोनों संस्थानों के महत्व के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए, महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन दोनों संस्थानों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।

सलाहकार परिषद में एक सभापति और पदेन सदस्य शामिल होने चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रस्ताव है। यह व्यवहारिक नहीं होगा क्योंकि इन लोगों में होम्योपैथी जैसी चिकित्सा पद्धति के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं होगी। दूसरे, वे हमेशा उच्च श्रेणी के शैक्षणिक कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं। इसलिए, सरकार उच्च शैक्षणिक पृष्ठभूमि के लोगों जैसे आई.आई.टी. और आई.आई.एस.सी के पूर्व निदेशकों, पूर्व नौकरशाहों आदि को नामित कर सकती है जो पद्धति के प्रति संवेदनशील हैं।

हालांकि यह होम्योपैथी आयोग की सलाहकार परिषद है, लेकिन होम्योपैथी पृष्ठभूमि वाले एक भी व्यक्ति को इसका सदस्य नहीं बनाया जाता है। विश्वविद्यालयों के कुलपति, आई.आई.टी,. आई.आई.एस.सी. और आई.एम के निदेशक सभी विविध क्षेत्रों के व्यक्ति हैं। उन पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां थीं और चिकित्सा शिक्षा के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बिना, यह समिति दिशाहीन होगी।

निश्चित रूप से कुलपति, आयुष सचिव आदि होम्योपैथी परिषद जैसी नियामक संस्थाओं में सदस्य नहीं बन सकते। नियामक प्रशासन से स्वतंत्र होना चाहिए। कुलपति विश्वविद्यालय की प्रशासनिक इकाई है। होम्योपैथी संकाय से एक सदस्य बनाया जा सकता है।

अपने भाषण के अंत में, मैं स्वामी अथुरादास को याद करना चाहूँगा। वह केरल में होम्योपैथी के जनक हैं। वहां पर एक अथुरा आश्रम है। स्वामीजी ने पूरे केरल में होम्योपैथी उपचार का जबरदस्त प्रचार किया है। उन्होंने कई अस्पतालों की स्थापना की है और उन्होंने पूरे केरल और केरल के बाहर भी यात्रा की है।

अब, माननीय मंत्री को बधाई देता हूँ। हाल ही में, वे त्रिची आए और उन्होंने त्रिची होमियो अनुसंधान संस्थान में स्वामी अथुरादास की प्रतिमा स्थापित की।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस आश्रम की स्थापना स्वामी अथुरादास ने की थी, उसे आयुष मंत्रालय अपने अधीन ले ले। मंत्री जी ने प्रतिमा स्थापित की है। उन्हें उस आश्रम की देखभाल भी करनी चाहिए। होम्योपैथी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): महोदया, मैं समझता हूँ कि इस विधेयक में जो प्रस्तावित किया गया है वह बहुत सरल है। सभा में इस विधेयक पर वर्ष 2018 में चर्चा की जा चुकी है। बदलाव केवल इतना है। पहले इसमें नई परिषद की स्थापना के लिए एक वर्ष प्रदान किया गया था और अब इसे एक और वर्ष बढ़ाने की आवश्यकता है।

माननीय मंत्री से मेरा सरल प्रश्न यह है। हम पहले ही उन्हें इसके पुनर्गठन के लिए एक वर्ष का समय दे चुके हैं। अब उनके पास यह बहाना है कि होम्योपैथी डॉक्टरों के लिए राज्य रजिस्टर इस एक वर्ष में अद्यतन नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूँ कि क्या गारंटी है बढ़ा हुआ वर्ष इस रजिस्टर को अद्यतन करने के लिए पर्याप्त है। एक वर्ष के भीतर हमारे पास ऐसी कौन सी जानकारी है जो हम इस नई परिषद की स्थापना के लिए उपलब्ध करा रहे हैं? यह एक अन्य प्रश्न की ओर भी ले जाता है। आप वर्तमान निदेशक मंडल का कार्यकाल एक और वर्ष के लिए बढ़ा रहे हैं। हम पहले से ही वर्तमान परिषद में इस समस्या का सामना कर चुके हैं। इसने भ्रष्टाचार को जन्म दिया है, इसने अवैध गतिविधियों को जन्म दिया है और इसने बहुत सी ऐसी गतिविधियों को जन्म दिया है जिनपर हम गर्व नहीं कर सकते। तो, जब आप इस वर्तमान निदेशक मंडल के कार्यकाल का विस्तार कर रहे हैं, तो हम कैसे आश्वस्त हों कि जो पिछली परिषद ने गलती की वह दोबारा नहीं होगी?

मेरा एक प्रश्न और है। वर्ष 2018 में, एक विधेयक लाया गया और अब वर्ष 2019 में कुछ संशोधन के साथ इस पर अभी चर्चा हो रही है। हमारे पास एक और विधेयक भी था जिसे राज्य सभा में प्रस्तावित किया गया था जो कि राष्ट्रीय होम्योपैथी परिषद के लिए था। भारत में होम्योपैथी की स्थिति के बारे में क्या किया जाना चाहिए, इसका बहुत गहन विश्लेषण किया गया था। उस विधेयक में विभिन्न प्रस्ताव दिए गए थे। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक विभिन्न मुद्दों पर बात करता है। उनमें से कुछ हैं राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के कार्य, स्वायत्त बोर्डों की स्थापना, होम्योपैथी के लिए सलाहकार परिषद और प्रवेश परीक्षा आदि। इस विधेयक में उनकी चर्चा की गई और पेशेवर और नैतिक कदाचार से संबंधित मामलों पर अपील भी की गई थी। तो, ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो होम्योपैथी परिषद के लिए चिंता का विषय हैं। इन सभी पर उस विधेयक में चर्चा की गई थी जिसे राज्य सभा ने स्थायी समिति को भेजा था।

अब हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। हम इसे एक और वर्ष के लिए बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहां प्रश्न यह उठता है कि एक बार जब स्थायी समिति हमें राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक पर प्रतिवेदन भेज देगी, तो सरकार की स्थिति क्या होगी?

अपराह्न 05.00 बजे

क्या वह उन सभी सिफारिशों को शामिल करके एक और विधेयक लाने जा रही है? या, क्या यह इसका विस्तार करने जा रही है और उन सभी को इस विशेष विधेयक में शामिल करेगी? इसलिए, इस प्रतिष्ठित सदन में इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

चूंकि यह भारत में होम्योपैथी की स्थिति के बारे में पूरी चर्चा आरंभ करता है, ऐसे कई लोग हैं जो होम्योपैथी में विश्वास करते हैं। यद्यपि एलोपैथी सबसे प्रमुख चिकित्सा पद्धति प्रतीत होती है, फिर भी लाखों रोगी ऐसे हैं जो वास्तव में इसमें विश्वास करते हैं। मैं स्वयं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मेरा यह निश्चित रूप से मानना है कि जिस तरह से रोगियों का उपचार किया जाता है या जिस तरह से उनका उपचार किया जाता है, रोगी का सिस्टम में विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए, होम्योपैथी को उचित महत्व देने की आवश्यकता है और इसके लिए बहुत सारे लोग हैं जो वास्तव में इस विधा की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और होम्योपैथी डॉक्टर भी बन रहे हैं। सरकार ने आयुर्वेदिक चिकित्सकों को नियमित पी.एच.सी. में शामिल करने का एक अच्छा निर्णय लिया है, जिससे उन्हें जमीनी स्तर पर गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करने का अवसर मिलेगा।

आज भी अगर हम देखें तो इस देश में चिकित्सा स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत सुधार की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सरकार कुछ नहीं कर रही है लेकिन निश्चित रूप से हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह इस समय पर्याप्त नहीं है। हम होम्योपैथी डॉक्टरों को भी पी.एच.सी. में भी शामिल क्यों नहीं करते? यह एक ऐसा विचार है जिस पर इस सरकार को विचार करना होगा क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है; चिकित्सा सुविधाओं के मामले में बुनियादी ढांचे की कमी है। यहां और डॉक्टरों की भी जरूरत है। मैं होम्योपैथिक डॉक्टरों की तुलना एमबीबीएस डॉक्टरों के साथ नहीं कर सकता क्योंकि उनकी संरचना अलग है। उनका पाठ्यक्रम, उनके विषय, उनकी आवश्यकता — सब कुछ अलग है। लेकिन निश्चित रूप से, क्या कोई ब्रिज कोर्स हो सकता है जिसे शुरू किया जा सकता है ताकि होम्योपैथी डॉ. आपातकालीन आघात दुर्घटना या ऐसा कुछ होने पर कम से कम प्राथमिक चिकित्सा या कुछ प्रारंभिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें? क्या हम एक ब्रिज कोर्स की पेशकश कर सकते हैं जिससे इन होम्योपैथी

डॉक्टरों को प्रारंभिक अवस्था में रोगियों का उपचार करने की योग्यता मिल सके? मैं चाहता हूँ कि सरकार भी इस मामले पर ध्यान दे।

उसके अलावा,मैं समझता हूँ कि, निश्चित रूप से, यह अच्छी बात है कि वे अच्छे उद्देश्यों के साथ होम्योपैथी परिषद स्थापित करना चाहते हैं। वे शिक्षा को विनियमित करना चाहते हैं। वे छात्रों को भी उचित पाठ्यक्रम देना चाहते हैं। एक युवा सदस्य होने के नाते, मैं वास्तव में आयुष मंत्रालय और माननीय मंत्री जी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करता हूँ। ये भारत की शान हैं-आयुर्वेद, यूनानी-ये सब पुरानी चिकित्सा पद्धतियां हैं। ...(*व्यवधान*) ... अभी मैं बूढ़ा नहीं हूँ। मैं दूसरी बार सांसद बना हूं लेकिन अभी युवा हूं।

इसलिए,मैं मंत्रालय द्वारा किए जा रहे सभी अच्छे कार्यों की सराहना करता हूँ। आशा है कि हम वास्तव में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस क्षेत्र में उचित महत्व प्राप्त करेंगे। हमने योग के मामले में अपनी उपस्थिति पहले ही दर्ज कर ली है और चिकित्सा पद्धतियों के मामले में भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि यही वह समय है जब भारत दुनिया भर में चिकित्सा पद्धतियों का नेतृत्व कर सकता है।

कई महत्वपूर्ण डॉक्टर हैं जो इसे कर रहे हैं। होम्योपैथी का देश और दुनिया में निश्चित रूप से अपना स्थान है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस विधेयक के माध्यम से और होम्योपैथी के माध्यम से भी अपना पूरा जोर लगाए। इसके लिए शुभकामनाएं।

महोदया, मुझे इस विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. फारूख़ अब्दुल्ला (श्रीनगर): महोदया, एक एलोपैथिक डॉ. होते हुए भी मैं होम्योपैथी के बारे में बात कर रहा हूँ। यह एक उत्तम पद्धति है। अतीत में भारत में आयुर्वेदिक, हिकमत और होम्योपैथी पद्धतियों का प्रचलन था। दुर्भाग्यवश, मंत्री जी को इसकी जानकारी ज़रूर होगी कि पिछले कुछ वर्षों में, जिन लोगों को इन दवाओं के बारे में पता चला था, और उन नुस्खों का इस्तेमाल किया था, उनमें से कई लोग उन नुस्खों के बारे में बिना बताए ही इस दुनिया से चले गए।

बस एक मिनट के लिए याद करें, मेरे मेडिकल कॉलेज में, जब मैं मेडिकल कॉलेज के आखिरी वर्ष में था, उन दिनों हमारे पास आंखों के अल्सर, कॉर्नियल अल्सर के रोगी आते थे। उनका उपचार नहीं हो सका। आज, आपको इसके लिए ग्राफ्टिंग मिल गयी है। फिर एक मंदिर से एक *साधु* आए। वह उन रोगियों की आंखों पर एक तरह का लेप लगाया करते थे और कॉर्निया का अल्सर गायब हो जाया करता था। मेरे प्रोफेसर, प्रोफेसर शर्मा, उस समय उन *साधू* के पास गए और उनसे निवेदन किया कि जिस नुस्खे का इस्तेमाल वे रोगियों को ठीक करने में करते हैं, उस नुस्खे को बताने की कृपा करें ताकि सम्पूर्ण विश्व इससे लाभान्वित हो सके। उन्होंने उन्हें विभिन्न सामग्रियों का नुस्खा दिया, जिसका उन्होंने लेप बनाया और इसे उन रोगियों की आंखों पर लगाया। वे बेहतर होने के बजाय और भी बदतर हो गए क्योंकि इसमें कुछ ऐसा था जो उन्होंने नहीं दिया। जब प्रोफेसर साधु से मिलने के लिए वापस मंदिर गए, तब तक साधु वहां से जा चुके थे। यह हमारी होम्योपैथी चिकित्सा की समस्याओं में से एक थी। कई लोगों के साथ ही ये औषधियां भी दफ़न हो गईं।

महोदया, आज आप होम्योपैथी संस्थानों को देखें तो उनकी हालत बहुत खराब है। दिल्ली में भी ऐसे हालातों को देखा जा सकता है। उन्हें उन्नत करने की आवश्यकता है। यदि आप वास्तव में इस दवा को विकसित करना चाहते हैं तो अनुसंधान सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में एक अच्छी बात यह है कि इसके दुष्प्रभाव कम ही होते हैं या न के बराबर होते हैं। एलोपैथिक चिकित्सा में, यदि आप निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा में खुराक लेते हैं, तो यह खतरनाक हो सकता है। यह होम्योपैथी दवाओं की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। लेकिन आज आपको होम्योपैथी के अच्छे शिक्षकों की जरूरत है।

मैंने खुद देखा है कि इनमें से कुछ एलोपैथिक डॉ. कॉर्टिज़ोन और एंटीबायोटिक्स का उपयोग कर रहे हैं और इनकी छोटी-छोटी *पुड़िया* (पाउडर) बनाते हैं और कहते हैं कि यह होम्योपैथिक दवा है। इसका ध्यान रखना होगा क्योंकि यदि आप वास्तव में होम्योपैथी विकसित करना चाहते हैं, तो इसे बुनियादी दवाओं से ही विकसित करना होगा। उन्हें पहाड़ों से हर तरह की *जड़ी बूटियां* एकत्र करनी पड़ती हैं।

आज, अगर आप देखें कि होम्योपैथी दवाएं कहां से आ रही हैं, तो वे सभी जर्मनी से आ रही हैं। आज हम जर्मन होम्योपैथी दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं। हमें अपना कुछ नहीं मिलता। आपको हैरानी होगी कि मेरे ही राज्य में, जब मैं मुख्यमंत्री था, मैंने होम्योपैथी चिकित्सक नियुक्त किए थे। वे उनकी सेवाएं नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें एलोपैथिक डॉक्टर चाहिए।

मूल बात यह है कि हमने होम्योपैथी को भुला दिया क्योंकि हमने इसे बढ़ावा नहीं दिया है। हमें इसे बढ़ावा देने और अधिकतम धन देने की आवश्यकता है ताकि हमारे यहां शोध हो सके जो पश्चिमी दवाओं को मात दे सके। हमें इसकी आवश्यकता है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि होम्योपैथी, आयुर्वेद और हिकमत औषधि प्रणालियाँ भारत की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। यदि आप इन औषधि पद्धतियों को विकसित कर सकते हैं, तो मैं नहीं समझता कि हमें पश्चिम द्वारा भेजी हुई दवाओं की जरूरत पड़ेगी।

[हिन्दी]

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी ने होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधयेक, 2019 यहां लाया है, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। सद्भाग्य से पिछले पांच सालों से मंत्री जी यह डिपार्टमेंट अच्छी तरह से संभाल रहे हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में काफी संशोधन किया है, काफी अच्छी प्रगति की है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। सद्भाग्य से उनका और मेरा संसदीय क्षेत्र नजदीक है। मैं उनको शुभकामना देता हूं कि उनकी यह टर्म भी अच्छी सफलता प्राप्त करने वाली हो।

सभापति महोदया, आज अगर हम बढ़ती हुई बीमारियों को देखें तो ऐलोपैथी साइड के डॉक्टर्स की बहुत कमी है। जैसा कि हमारे माननीय संसद राम जी ने कहा है कि आज भी कई ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर्स नहीं रहते हैं। आपको भी यह जानकारी होगी। खासकर, ग्रामीण इलाकों में 100-150 डॉक्टर्स की जरूरत रहती है, लेकिन वहां केवल 20-25 डॉक्टर्स रहते हैं और बाकी सारी डिस्पेंसरीज बिना डॉक्टर्स के रहती हैं। ग्रामीण इलाकों के लोक प्रतिनिधि चाहते हैं कि इस साइड के डॉक्टरों की वहां अप्वाइंटमेंट होती है और उनकी तरफ से प्राइमरी ट्रीटमेंट देने का काम किया जाता है तो लोगों को बहुत राहत मिल सकती है।

मैं मंत्री महोदय जी से प्रार्थना करूंगा कि आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर की संकल्पना आपके पास है। मंत्री महोदय जी, आप मेरे क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। महाराष्ट्र के दोडामार्ग, वेंगुर्ला और बहुत बड़े जंगल में वहां वनस्पति है, वहां आयुर्वेद रिसर्च सेंटर हो सकता है और उससे बहुत फायदा हो सकता है। खासकर, आपके डिपार्टमेंट ने हर एक जिले में 50 बेडेड आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण करने का एक प्रावधान रखा है। कई माननीय सांसदों ने उसके लिए आपसे मांग भी की है और आपने भी उसकी तरफ अच्छी तरह से ध्यान दिया। जहां जरूरत है, अगर वहां 50 बेडेड आयुर्वेद अस्पताल तैयार होता है तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो मिलना मुश्किल है, सभी मरीज आयुर्वेद अस्पताल में जा सकते हैं, उनकी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो सकता है। लोगों को एलोपैथी पर जितना भरोसा है, उतना ही भरोसा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के ऊपर भी है।

मरीज चाहते हैं कि हमें इंजेक्शन की बजाय होम्योपैथी की गोलियां यदि मिल जाएं, तो हम अच्छे हो जाएंगे। लोगों का इस पद्धति पर विश्वास है। मैं जानता हूं कि संशोधन के माध्यम जो सुझाव आए हैं, उन पर आप अमल करेंगे।

<u>अपराह्न 05.10 बजे</u> (श्री कोडिकुन्नील सुरेश *पीठासीन हुए*)

महोदय, पूरे देशवासियों को होम्योपैथी का ट्रीटमेंट अच्छी तरह से मिले तथा ग्रामीण इलाके में ज्यादा से ज्यादा होम्योपैथी के डाक्टर्स हों, तो लोगों को फायदा हो सकता है।

एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधम सिंह नगर): महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मान्यवर, अधीर रंजन चौधरी जी द्वारा यह कहा गया कि इसकी क्या आवश्यकता है और उन्होंने यह कहा कि आप क्यों इस तरह से अध्यादेश लाते हैं तथा इसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता है। मैं सभी सत्ता पक्ष के पूर्ववक्ताओं से अपने को संबद्ध करता हूं, क्योंकि उन्होंने सारे तकनीकी पहलुओं पर चर्चा कर दी है। अध्यादेश लाने का एक प्रोविजन है, तो उस प्रोविजन को कोई रोक नहीं सकता है। अध्यादेश जनता का भला करने के लिए लाए जाते हैं और जब सत्र चालू गति में नहीं होता, उस समय अध्यादेश लाए जा सकते हैं, यह बात सभी विद्वान साथी जानते हैं। कांग्रेस की विरोध करने की परम्परा है और उनकी आदत भी बन गई है। जहां देश में हजारों अध्यापक फर्जी पाए गए, जहां करोड़ों की संख्या में गैस कनेक्शन फर्जी पाए गए हों और जहां बहुत बड़ी मात्रा में फर्जी राशन कार्ड पाए गए हों, वहां उन्हें अध्यादेश के बारे में कुछ न कुछ बोलना ही है, इसमें कोई खास बात नहीं है।

महोदय, मैं होम्योपैथी की दो-तीन बातें सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैंने अपने दो वकील साथियों के बच्चों का होम्योपैथी का ट्रीटमेंट देखा। मैं तभी से होम्योपैथी का बड़ा फैन हो गया। एक साथी का बच्चा पैदा हुआ और उसके अंग जुड़ गए। डाक्टर ने कहा कि बच्चे को 12-13 दिन का होने दीजिए, हम इसका ऑपरेशन करके अंग अलग कर देंगे। मेरे एक साथी होम्योपैथी के डाक्टर थे और वे वकालत भी करते थे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। हम आपको होम्योपैथी की दवा देते हैं, आप एक-एक बूंद डालते जाइए। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि आज भी वे डाक्टर हैं, जैसे ही उन्होंने दवाई डालनी शुरू की, 12-13 दिन में वे जुड़े हुए अंग स्वयं ही खुल गए। यह होम्योपैथी की तारीफ है।

हमारे एक वकील साथी की लड़की की आंखों में पैदा होते ही कीच भरने लग गई। सभी एलोपैथी और आंखों के डाक्टरों को दिखाया। उन्होंने कहा कि यह हार्मोनल प्रोब्लम है। जैसे ही इसके हार्मोन्स डेवलप होंगे, आंखों में कीच आनी बंद हो जाएगी। तब उन्हीं डाक्टर ने कहा कि मैं आपको आंखों में डालने और खाने की दवाई देता हूं। आप दो-तीन दिन दवा दीजिए। पहले दिन दवा खिलाई और आंख में डाली तो आंख आधे से ज्यादा साफ हो गई। दूसरे दिन आंख थोड़ी और साफ हो गई और तीसरे दिन बच्ची की आंख पूरी तरह से साफ हो गई और आज वह बच्ची दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है। यह होम्योपैथी

का बहुत बड़ा चमत्कार है। इस पद्धति को लाने के लिए सरकार बहुत गंभीरता से प्रयास कर रही है। सरकार की मंशा पर कोई शक नहीं किया जा सकता है। सरकार की मंशा बहुत विशुद्ध है। जहां-जहां कमियां हैं, उन्हें माननीय नरेन्द्र मोदी जी ठीक कर रहे हैं। मैं तो सदन के सभी साथियों से, जो पक्ष में हैं और जो विपक्ष में हैं, उन्हें भी कहना चाहता हूं कि कभी आंख बंद करके विचार करें कि आखिर 24 घंटे में से 20 या 18 घंटे नरेन्द्र मोदी जी किसके लिए काम कर रहे हैं। क्या वे लड़की के लिए, लड़के के लिए, पत्नी के लिए, माताजी के लिए, भाइयों के लिए, काम कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि वे देश के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी मेरे लिए, देश के लिए और देश के बच्चे-बच्चे के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए ज़बरदस्ती कुछ-न-कुछ कहना है, कहे चलो और सरकार को घेरे चलो। सरकार के बारे में कहने का दुष्परिणाम सभी लोगों ने देख लिया है। यह तो मोदी जी के पास प्रभु का आशीर्वाद है कि जो भी कुछ बोलता है, वह उसके खिलाफ वैसा ही उल्टा हो जाता है। आप देखते जाइएगा, ऐसा लगातार होता है। इसलिए यह विधा चाहे जहाँ की भी हो, जर्मनी की हो, इंग्लैंड की हो, फ्रांस की हो या भारत की हो, रोगी को कैसे ट्रीटमेंट मिले, उसका कैसे भला होना चाहिए, मानव कल्याण कैसे होना चाहिए, इसके पीछे केवल यही भावना होनी चाहिए।

मान्यवर, मैं एक-दो बातें और बताना चाहता हूँ। इस सदन के माध्यम से पूरे देश को भी पता हो कि जैसे होम्योपैथी में मिरेकल्स हैं, वैसे ही आयुर्वेद में भी मिरेकल्स हैं। आयुर्वेद के एक वैद्य हैं- वैद्य बालेन्दु। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ उनका नाम ले रहा हूँ। वे महामहिम राष्ट्रपति जी के वैद्य भी रहे हैं। पैंक्रियाज़ में कैंसर हो जाए, पैंक्रियाज़ डैमेज हो जाए, तो इसका विश्व भर में कहीं इलाज नहीं है। मैं लिखकर देता हूँ। यदि यहाँ पर कोई एलोपैथी के डॉक्टर हैं, शायद फारुख साहब हैं, वे इसके बारे में जानते भी होंगे। वैद्य बालेन्दु एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके पास देश-विदेश के लोगों की भीड़ लगी रहती है। वे उत्तराखण्ड के उधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में रहते हैं। उन्होंने बाकायदा डॉक्युमेंटेशन किया है, लिखा है कि कितने लोग ठीक हुए। लोग वहाँ पर बताते हैं कि हमको जिन्दगी इन्होंने दी। कई चीजें हैं। इसलिए हमारी पैथियाँ तो टेस्टेड हैं।

इसी तरह से, वैद्य पैनोली हैं। अगर आपकी किडनी खराब हो गई हो, किराटीन लेवल घट गया हो, बढ़ गया हो या खराब हो गया हो, तो वे पत्ते चुसने वाली औषधि, चूसने वाला चूर्ण, पानी में नमक की तरह

डालकर पीने की औषधि आदि देते हैं। यदि आपका डायलीसिस हो रहा हो, तो वे कहते हैं कि डायलीसिस कराते रहो, उसकी दवा खाते रहो, लेकिन एलोपैथ का डॉक्टर बताएगा कि अब आप डायलीसिस बंद कर दीजिए।

ये हमारी पैथियों के गुण हैं। उन्होंने कई लोगों को जीवन दिया है। जिन लोगों की दोनों किडनियाँ खराब हो गई थीं, उनको जीवन दिया है और आज वे लोग जिन्दा हैं। इसके लिखित प्रमाण हैं। इसलिए हमारी जितनी भी पैथियाँ हैं, वे एक से बढ़कर एक हैं।

गरुड़गंगा पत्थर के बारे में कम लोगों को जानकारी होगी। जब हम बद्रीनाथ जी जाते हैं, तो गरुड़गंगा एक स्थान है। अगर हम उसके पत्थर को घर के अंदर लाते हैं, तो साँप और बिच्छू घर में नहीं आते हैं। अगर साँप या बिच्छू काट ले, तो वह पत्थर को घिसकर लगा दीजिए, यह उनके जहर को खींच लेता है। अगर किसी बहन का प्रसव काल हो और डॉक्टर कहे कि इसका ऑपरेशन करो, तो उस पत्थर को घिसकर एक कप पानी में मिलाकर पिला दीजिए। इससे प्रसव नॉर्मल हो जाता है। यह एक मिरेकल नहीं है तो क्या है? मैंने खुद देखा है।

काकड़ीघाट एक स्थान है जहाँ विवेकानंद जी भी गए थे। एक बार काकड़ीघाट में एक दुकानदार के घर में एक नाग फंस गया था। सात दिन बीत गये थे। मैं उस समय वहाँ का विधायक था। उन्होंने मुझे फोन किया था कि कोई सपेरा बुला दो, हम सात दिनों से घर नहीं जा पा रहे हैं। मैंने कहा- क्यों? उन्होंने कहा- चूहे को पकड़ने के लिए एक दाँत वाली मशीन होती है, उससे मैंने एक चूहे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें एक नाग फंस गया और वह उसी को लेकर जा रहा है और उसे जिस छेद से बाहर जाना था, वह उसी में अटक गया है। मैंने उनको बताया कि फलां संत हैं, जो गरुड़गंगा का पत्थर लाए हैं, उनके पास जाओ। यह देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लग गया कि कैसा होता है, क्या होता है। अप्रैल का महीना था, सुबह सात बजे के करीब गरुड़गंगा के पत्थर को अंदर डाला, तो सांप ने उसे कैसे खोला, क्या हुआ, सभी लोगों ने देखा कि सांप कोसी नदी के अंदर चला गया।

चिकित्सा की पद्धति चाहे यूनानी हो, सिद्धा हो या होम्योपैथी हो, ये टेस्टेड पद्धतियाँ हैं। इनको बढ़ावा देने में हम सभी को साथ देना चाहिए। हमारे चौधरी साहब ने यहाँ पर अपना विरोध दर्ज किया है।

मैं सदन से प्रार्थना करूँगा कि ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि आज सर्वमान्य तरीके से यह विधेयक पास हुआ है और वह भी होम्योपैथी का विधेयक पास हुआ है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम):सभापति महोदय, मुझे विधेयक और सांविधिक संकल्प पर अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रस्तुत वैधानिक संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन हमें विधेयक का समर्थन करना होगा। विधेयक का समर्थन करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है क्योंकि एक वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। निश्चित रूप से, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के मामलों का संचालन करने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को कार्य करना होता है, और जिसके लिए संसद को मंजूरी देनी होती है ताकि इसे एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि तक जारी रखा जा सके। मैंने इस प्रावधान में संशोधन का नोटिस दिया है कि इसे 18 महीने होने दीजिए, यानी छह महीने के भीतर चुनाव कराना होगा और सेंट्रल होम्योपैथी परिषद का पुनर्गठन करना होगा। मेरे संशोधन में यही सुझाव है।

होम्योपैथी 18वीं शताब्दी में एक जर्मन चिकित्सक, डॉ. सैमुअल हैनीमैन द्वारा विकसित एक चिकित्सा पद्धति है। यह चिकित्सा की एक समग्र पद्धति है जो ठीक होने के लिए अपने स्वयं के प्राकृतिक उपचार शक्तियों को जागृत और प्रेरित करती है। होम्योपैथी सुरक्षित, किफायती, सरल और प्रभावी है। यह पहले से ही गंभीर, पुरानी और यहां तक कि आनुवंशिक बीमारियों के उपचार में उपयोगी सिद्ध हो चुकी है।

डॉ. फारूख़ अब्दुल्ला जी ने बिलकुल ठीक उल्लेख किया है कि आजकल अधिकांश मृत्यु दवाओं के ओवरडोज उपयोग के कारण होती हैं, जिसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं और हो सकता यही कारण हो कि हम आज के दौर में अस्पतालों में जो मृत्यु के मामले देख रहे हैं। जहां तक होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का संबंध है, इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं हैं । और यह एक सुरक्षित, सरल और किफायती चिकित्सा भी है।

आईएमआरबी द्वारा हाल ही में मुंबई , बेंगलुरू, हैदराबाद, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्ई, पुणे और अहमदाबाद में 'भारत में होम्योपैथी की स्वीाकार्यता' विषय पर किए गए एक अध्ययन से यह तथ्य सामने आया है कि 59 प्रतिशत लोग एलोपैथी को छोड़ कर होम्यो्पैथी अपना चुके है; और कम से कम 77 प्रतिशत मानते हैं कि होम्योपैथी दीर्घकालिक उपचार के लिए सबसे अच्छी चिकित्सा पद्धति है। लेकिन यह काफी

दुर्भाग्यपूर्ण है कि होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर काफी शिकायतें हैं। यह मुख्य बिंदु है जिसे सरकार द्वारा संबोधित किया जाना है।

स्व-वित्तपोषित होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों की बढ़ती संख्या के कारण चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रचलित होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता, होम्योपैथिक शिक्षा प्रणाली के मानक के लिए एक बड़ी समस्या है। इस मुद्दे को संबोधित किया जाना चाहिए, अर्थात् शिक्षा का व्यावसायीकरण, जो पूरे देश में होम्योपैथी शिक्षा के मानक को कम करता है। यदि आप इसकी जांच करेंगे, तो इसकी बहुत अच्छी तरह से पुष्टि की जा सकती है।

केंद्रीय होम्योपैथी परिषद होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा का नियामक है, लेकिन यह नियामक 'भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात' है। मैं इन शब्दों का उपयोग करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। इस पृष्ठभूमि में, भारत सरकार ने नीति आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् को पुनर्गठित करने के उपायों का सुझाव देगी।

वर्ष 2018 में, हमने केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, अधिनियम 1973 में संशोधन किया है। इसमें बड़े संशोधन किए गए जैसे कि केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के अधिक्रमण की तिथि से एक वर्ष के भीतर केन्द्रीय परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा; तथा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का भी गठन किया गया। इसके अलावा, अधिनियम में एक नया प्रावधान भी शामिल किया गया, जिसका नाम 12ग है, जिसके तहत नए कॉलेजों की स्थापना, नए पाठ्यक्रम शुरू करने और कॉलेजों में छात्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी, जिसके लिए भारत सरकार की मंजूरी भी आवश्यक है। इस संशोधन को वर्ष 2018 में प्रख्यापित किया गया था, और मैंने भी इसकी चर्चा में भाग लिया था। यह सरकार द्वारा लिया गया पहला कदम है।

केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के कामकाज और शिक्षा के मानक को सुव्यवस्थित करने के लिए, सरकार ने वर्ष 2005 में एक विधेयक प्रस्तुत किया था। माननीय मंत्री महोदय को याद होगा कि राज्य सभा में वर्ष 2005 को एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था, जो अभी तक लंबित है। स्वास्थ्य संबंधी स्थायी समिति ने

जुलाई, 2005 को विधेयक पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, परंतु अभी तक विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

मई 2017 में, स्वास्थ्य पर संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की कि सरकार को जल्द से जल्द वर्ष 2005 के विधेयक को आगे लाना चाहिए ताकि परिषद के उचित कामकाज को सुनिश्चित किया जा सके। जिसकी सिफारिशों में शामिल है कि प्रत्येक होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज को एक विश्वविद्यालय से संबद्ध होना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक मेडिकल कॉलेज को भारत सरकार से अनुमति लेनी चाहिए और ऐसी ही कई अन्य सिफारिशें स्थायी समिति के प्रतिवेदन में भी थीं।

मई 2015 में एक अन्य विधेयक, अर्थात् होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2015 भी राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया है। मेरी सीमित जानकारी के अनुसार, वह भी अभी तक लंबित है। सरकार ने स्थायी समिति की सिफारिशों के बारे में कुछ नहीं किया। स्थायी समिति ने वर्ष 2005 के विधेयक को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। स्थायी समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई करने के बजाय, सरकार ने 18 मई, 2018 को एक अध्यादेश जारी किया, जिसे अब बदल दिया गया है और अधिनियम प्रभावी हो गया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन दो विधेयकों - 2005 के विधेयक और 2015 के विधेयक - और स्थायी समिति के प्रतिवेदन का क्या हुआ है। विधेयकों का भविष्य क्या है? यह अब महत्वहीन हो गया है क्योंकि सरकार पहले से ही राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक लाने जा रही है। इसलिए, निश्चित रूप से इस समय इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।

मैं अब माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहूँगा। कृपया राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक यथाशीघ्र सदन के समक्ष लाएं ताकि हमारे पास देश में संपूर्ण होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा के प्रशासन और जांच के लिए एक व्यापक कानून बन सके। मैं माननीय मंत्री जी वर्तमान पाठ्यक्रमों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए भी अनुरोध करता हूँ। परसों भी मैंने माननीय मंत्री जी से मुलाकात की थी। प्रत्येक वर्ष मेडिकल कॉलेजों को आकर आयुष मंत्रालय से मंजूरी लेनी पड़ती है। इससे बड़ी मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि जब नीट का परिणाम आता है तो मेडिकल कॉलेजों में सिर्फ इस वजह से छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पाता है

कि सरकार कोर्स को मान्यता नहीं दे रही है। प्रत्येक वर्ष, स्नातक पाठ्यक्रमों को आयुष मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त करनी होती है। इसे स्थायी बनायें ताकि हम इस कठिनाई को दूर कर सकें।

केरल में पांच होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज हैं। माननीय सभापति भी अच्छी तरह जानते हैं कि सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र मवेलीकारा में हैं, जो कि चंगनास्सेरी में स्थित है। अधुराश्रम नायर सर्विस सोसाइटी मेडिकल कॉलेज है लेकिन पिछले तीन वर्षों में इस मेडिकल कॉलेज को केवल इसलिए मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि उनके पास मेडिकल कॉलेज के साथ-साथ बिस्तरों वाला अस्पताल नहीं है। आप कृपया देखें कि हमारे पास पहले से ही एक जिला अस्पताल है; हमारे पास केंद्र सरकार का अस्पताल है; इन मेडिकल कॉलेजों में सभी डॉक्टर, प्रोफेसर और फैकल्टी काम कर रहे हैं। हमारे पास एक इन-पेशेंट अस्पताल भी है। कृपया अथुराश्रम एन.एस.एस. मेडिकल कॉलेज, कोट्टायम के मामले की जांच करें। अभी तक कोई मान्यता नहीं दी गई है। लेकिन स्ववित्तपोषित और अन्य चार कॉलेज इस एन.एस.एस. मेडिकल कॉलेज के मानक के अनुरूप नहीं हैं, लेकिन फिर भी, अन्य सभी चार मेडिकल कॉलेजों ने पाठ्यक्रमों के लिए मान्यता प्राप्त कर ली है। कृपया इस मामले को देखें। यह मेरे सुझावों में से एक है।

कॉलेजों को प्रत्येक वर्ष मान्यता देने के बजाय स्नातक पाठ्यक्रमों को एक विशेष अवधि के लिए मान्यता दी जानी चाहिए। होम्योपैथी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मेरे पास एक सुझाव है। कृपया आंकड़े देखें। महाराष्ट्र में 53 होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज हैं। इसमें से एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है। मध्य प्रदेश में, 24 होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से केवल एक सरकारी कॉलेज है, और शेष 23 निजी क्षेत्र के हैं। गुजरात में 31 होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से केवल एक सरकारी कॉलेज है, और बाकी 30 निजी कॉलेज हैं। इसलिए, भारत सरकार को निश्चित रूप से राज्य सरकारों को यह देखने के लिए दिशानिर्देश देने के लिए आगे आना चाहिए कि वे भारत सरकार या किसी विशेष राज्य सरकार की प्रत्यक्ष देखरेख में या संयुक्त रूप से होम्योपैथी क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा में सुधार को सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल कॉलेज स्थापित करें।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संबंध में होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, अनुसूची 2 के अंतर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का स्पष्ट उल्लेख है। लेकिन यह देखना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि केरल में कोई भी विश्वविद्यालय होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, अनुसूची 2 द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को अनुमति या मान्यता नहीं दे रहा है। यह वास्तव में उल्लंघन है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जो होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, अनुसूची 2 में मान्यता प्राप्त, अनुमोदित और शामिल हैं, को केरल के विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। यह और कुछ नहीं बल्कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन है; यह संसद के अधिनियम का उल्लंघन है। इससे बहुत सख्ती से निपटना होगा। वह एक और सुझाव है जो मैं देना चाहता हूँ। सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के कार्यालय में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के कार्यभार संभालने के बाद कार्मिक पैटर्न भी बदल गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब केंद्रीय होम्योपैथी परिषद थी, तब कार्मिक पैटर्न पूरी तरह से अलग था। नए निदेशक मंडल द्वारा कार्यालय का कार्यभार संभालने के बाद, प्रत्येक विभाग में कार्मिकों के पैटर्न में बदलाव आया है। इस पर गौर करने की जरूरत है। समय की कमी के कारण विभागों के विवरण में नहीं जाऊंगा।

महोदय, यह ठीक ही कहा गया है कि केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद की तुलना में बजटीय आबंटन के मामले में आयुष मंत्रालय के भीतर होम्योपैथी विभाग के साथ भेदभाव किया जाता है। समय की कमी के कारण मैं मामले के विवरण में नहीं जा रहा हूँ। यह शिकायत होम्योपैथी विभाग के संकाय द्वारा की जा रही है।

महोदय, मैं होम्योपैथी दवाओं की गुणवत्ता के संबंध में एक सुझाव देना चाहूँगा। होम्योपैथी में शामिल विशेष दवा निर्माण प्रक्रिया की देखभाल के लिए होम्योपैथी के लिए एक अलग फार्मेसी परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। अभी तक अलग से फार्मेसी परिषद नहीं है। दूसरे, बिना किसी सुरक्षा या अध्ययन के कई पेटेंट होम्योपैथी उत्पाद बाजार में आ रहे हैं। यह होम्योपैथी और उपचार की सामान्य पद्धति की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देगा। ऐसी प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त नियामक उपाय किए जाने चाहिए। अंत में, दवा निर्माण की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिक सरकारी फार्मेसियों की स्थापना की जानी चाहिए।

मैं यही सुझाव देना चाहता था। माननीय सभापति जी ने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद और मैं माननीय मंत्री महोदय से अपील करता हूँ कि कृपया उन मुद्दों पर गौर करें जो पहले ही उठाए जा चुके हैं, विशेष रूप से कॉलेजों की मान्यता के संबंध में, क्योंकि छात्रों को बहुत मुश्किल हो रही है। वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19, के दौरान कॉलेजों को कोई मान्यता प्रदान नहीं की गई है। छात्र परीक्षा में शामिल हो चुके हैं और परिणाम भी आ चुके हैं, लेकिन भविष्य में कॉलेज को मान्यता मिलेगी या नहीं, इसकी आशंका उन्हें परेशान कर रही है। इससे उनके माता-पिता भी चिंतित हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी अपील करता हूं कि जल्द से जल्द चुनाव कराएं ताकि लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए केंद्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा गवर्नर्स बोर्ड को प्रतिस्थापित किया जा सके। इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ और वैधानिक प्रस्ताव का भी समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (भोपाल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक नैचुरोपैथी, ये ऐसे विषय हैं, जिनका लोग उपयोग करते हैं, या जिनका ट्रीटमेंट लेते हैं और प्रसन्नता से उसका पूरा वर्णन भी नहीं कर पाते। इसका कारण यह है कि जब हम स्वस्थ हो जाते हैं, तो हम उतना वर्णन नहीं कर पाते, परन्तु सच यह है कि जो एलोपैथी है, जब हम उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, तो तत्काल हमें रिलीफ मिलता है, परन्तु उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनको हम महीनों और सालों झेलते हैं। मैं स्वयं कैंसर की और कई तकलीफों से पीड़ित हूँ। परन्तु ऑपरेशन के समय मैंने यह तय किया कि ऑपरेशन के समय जो भी ऐलोपैथी लेनी पड़ेगी, लूँगी, परन्तु मैं पूरे समय आयुर्वेदिक और ऐलोपैथी का इलाज करवाउंगी।

महोदय, मैंने होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी लिया, जिसमें से कैंसर की एक दवाई मुझे ऐसी दी गई, जिसे पूरे एक महीने में एक बूँद एक ही समय लेनी होती है, तभी उसका फायदा होता है। यह सच है कि मैंने वह रेगुलर दवाई ली, और उसका मुझे लाभ मिला। मैंने आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करवाया, जिसके कारण आज मैं खड़े होकर थोड़ा-बहुत चल पाती हूँ। आयुर्वेदिक दवा का मैंने स्वयं के ऊपर प्रयोग किया है, क्योंकि मुझे इस पर विश्वास है। मेरे पिता जी आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, इसलिए बचपन से मुझे इस पर विश्वास है।

महोदय, आयुर्वेद आज की परम्परा नहीं है। सतयुग में जब लक्ष्मण जी को युद्ध में शक्ति लगी तब वहाँ जो वैद्य थे, उन्होंने कहा कि जाइए और वह बूटी उस हिमालय पर मिलेगी, परन्तु उसका एक समय है, आप अगर प्रात: के पहले लेकर आते हैं, क्योंकि वह समय से दी जाती है। हनुमान जी गए, उसको लेकर आए और लक्ष्मण जी को जो शक्ति लगी थी, सिर्फ एक उपाय वह जड़ी-बूटी थी और हनुमान जी वैद्य जी के पास पूरा पहाड़ लेकर आ गए थे। वैद्य जी ने उस दवाई को चुना और चुनकर उनको दिया और लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए।

महोदय, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधियां ऐसी हैं कि वे तभी प्रभाव डालती हैं, जब उनको समय के अनुसार शरीर की प्रकृति के अनुरूप परहेज करते हुए लिया जाए। शरीर और प्रकृति का जब अनुकूलन होता है तब आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट असर करता है। इसलिए आयुर्वेद और होम्योपैथ में परहेज अधिक बताया जाता है।

महोदय, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कोई भी पैथी हो, लेकिन वह पैथी कभी भी बुरी नहीं होती है। वह जीवनदायी होती है। कोई भी व्यक्ति चार-पांच वर्ष की पढ़ाई के बाद डॉक्टर बनता है। पूरे समय वे अपना अध्ययन करते हैं। परन्तु आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी के ट्रेनिंग मानदेय में असमानता है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि इस असमानता को दूर करें। जब विद्यार्थी पीजी करते हैं और उनको जो स्कॉलरशिप मिलती है, उसमें एलोपैथी के विद्यार्थियों को अधिक व होम्योपैथी व आयुर्वेदिक विद्यार्थियों को कम धनधनराशि मिलती है। इस असामनता को दूर कर बराबर स्कॉलरशिप धनधनराशि हो।

मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद।

श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापति महोदय, आज होम्योपैथी काउंसिल पर जो बिल लाया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। इलाज भले ही थोड़ा लम्बा होता है, लेकिन आम लोगों की पहुंच में है। में एलोपैथी का विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन एलोपैथी फाइनैंशियली लोगों की पहुंच से दूर हो रही है। दूसरा, एलोपैथी एक इलाज को ठीक करती है तो किसी दूसरी बीमारी को शुरू कर देती है। दिल्ली में बी०आर० सूर मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सैंटर सक्सैसफुली चल रहा है। मैं यह कहूंगा कि होम्योपैथी आम लोगों की पहुंच में है, इसलिए इसको और बढ़ावा मिलना चाहिए। हर हॉस्पिटल में एक होम्योपैथी का डिपार्टमेंट होना चाहिए, लेकिन अब तक भी अगर आप पंचायत लेवल पर जाएंगे तो आप कांट्रैक्ट पर होम्योपैथी के डॉक्टर्स रखते हैं। जब मेरी बेटी छोटी थी और उसको बुखार हो गया था तो हम उसको लेकर होम्योपैथी डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर साहब दवाई देने से पहले बहुत से क्वैश्चन पूछते थे कि कैसे वह उठती है, जब उठती है तो रोती है या हंसती है। मैंने उनसे पूछा कि आप इतने क्वैश्चन क्यों पूछते हैं? उन्होंने कहा कि हमारे पास बुखार की सौ से ज्यादा दवाइयां हैं। उन्होंने कहा कि बुखार भी हमारा मित्र होता है। हम क्या करते हैं कि उसको एक-दो घंटे में एलोपैथी से ठीक कर लेते हैं। लेकिन उस बुखार ने हमारे शरीर में मौजूद अन्य कीटाणुओं और जीवाणुओं को खत्म करना था, उसको दवाई से दबा देते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि पंजाब में भी होम्योपैथी का कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए। यह ट्रेडिशनल इलाज है, इसकी वजह से लोग एलोपैथी के महंगे इलाज से बच सकते हैं। आज से 20-25 वर्ष पहले जो खुराक हुआ करती थी, आज वह बीमारी है। पंजाब में जब कोई दामाद आता था, परौणा आता था तो उसको चीनी में घी डालकर देते थे। आज चीनी भी बीमारी है और घी भी बीमारी है। पहले जो खुराक थी, आज वह बीमारी बन चुकी है। हमारे बड़े-बुजुर्गों को जब बुखार आता था तो वे धूप में सो जाते थे। धूप से वे अपना बुखार ठीक कर लेते थे। अगर पंजाब को भी होम्योपैथी कॉलेज और यूनिवर्सिटी मिलेगी तो हम उसका स्वागत करेंगे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

डॉ. थोल तिरुमावलवन (चिदम्बरम): आदरणीय सभापति महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। यह अति प्रशंसनीय कदम है।

तमिलनाडु में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के लिए कई कॉलेज नहीं हैं। इसलिए, मैं सरकार से होम्योपैथी संस्थानों को बेहतर बनाने और बढ़ावा देने का अनुरोध करता हूँ। केंद्र सरकार से वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए पर्याप्त धन आबंटित करने का अनुरोध करता हूँ। सामान्यतः, सरकार वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं करती है। इसलिए, लोग प्रायः एलोपैथिक दवाओं पर निर्भर रहते हैं।

होम्योपैथी चिकित्सा जैसी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में सुधार और बढ़ावा देने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। तमिलनाडु में होम्योपैथी चिकित्सा पाठ्यक्रम पूरा कर चुके लोग नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास नौकरी के कोई अवसर नहीं हैं, भले ही उन्होंने अपना होम्योपैथी चिकित्सा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो।

इसलिए, सरकार को उन लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए जिन्होंने अपना होम्योपैथी चिकित्सा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। यह मेरा अनुरोध है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक : सभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस होम्योपैथिक बिल के संदर्भ में इस चर्चा में भाग लिया और अच्छे सुझाव दिए हैं। यह जो संशोधन विधेयक है, किसी ने इसके बारे में कोई शंका प्रकट की है। मैं सबसे पहले हमारे मित्र माननीय अधीर रंजन चौधरी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत-से अच्छे सुझाव दिए हैं और निश्चित रूप से हमें उन्हें आगे लेकर जाना है। उन्होंने जिन कारणों से थोड़ा-सा विरोध किया है, मैं वह भी समझ सकता हूं। लेकिन उसके कारण सुनने के बाद आप भी उसको मानेंगे।

महोदय, हम वर्ष 2018 को यह अध्यादेश लाए थे। राष्ट्रपति जी ने भी इसको मान्यता दी थी। यह नया अमेंडमेंड नहीं था। जैसा कि आपने कहा यह पुराना ही था। हमने कहा था कि इसी एक वर्ष में हम नए काउंसिल का गठन करेंगे, लेकिन कुछ परिस्थितयां ऐसी हो गई थीं कि यह हमारे हाथ में नहीं आ पाया। हमने सभी राज्यों से कहा कि इलेक्शन अच्छा होना चाहिए, ठीक तरह से होना चाहिए, हर स्टेट का रजिस्टर बनना चाहिए। उसके बाद ही हम इलेक्शन कर सकते थे। कुछ राज्यों ने हमको सपोर्ट किया और रिस्पांस भी दिया, लेकिन अभी तक कुछ राज्यों ने नहीं दिया है। हमारा जल्दी से जल्दी यह प्रयास है कि जो लिस्ट डिजिटलाइज करनी है, रजिस्टर करना है, वह करने के बाद हम तुरंत इलेक्शन करेंगे। यह हम नहीं कर पाए, इसलिए हमने फिर एक बार आपसे एक वर्ष की मांग की है कि आने वाले वर्ष में हम यह सब प्रक्रिया पूरी करेंगे।

आपका जो एक मुद्दा था कि आपने इस शासक मंडल को क्यों बर्खास्त किया, उसका क्या कारण था? वह कारण यहां डिस्कस हो रहा है। आपने इसके ऊपर हमें सुझाव दिए थे। आपने भी अपने विचार प्रकट किए थे। आप तो जानते हैं कि सभी माननीय सांसदों ने हमें सपोर्ट किया है, आपने भी हमें सपोर्ट किया है। एक काउंसिल जहां भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका एक अधिकारी जब महीनों-महीनों करप्शन के चार्जेस में जेल जा रहा है। यह क्यों हुआ? जैसा कि मैंने कहा कि हम जो 12 ए का अमेंडमेंट लाएं, उसके बाद वर्ष 2003 में हमको थोड़ी पावर मिली। इसमें वर्ष 2003 के पहले हम दखल नहीं दे पाए। इस सबको ठीक करने का हमारे पास अधिकार नहीं था। लेकिन इस अमेंडमेंट के बहाने हमने वह अधिकार भी प्राप्त

किया है और सुचारू रूप से कॉलेज या इंस्टीट्यूशन चलाने का आधार हमें मिला है। इसको जिस तरह से आप लोगों ने सपोर्ट किया है, इस कार्य पूरा करने के लिए हम और एक वर्ष का समय मांग रहे हैं। हमें यह समय निश्चित तौर से मिलेगा और आप सब हमारी मदद करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। कई कॉलेज ऐसे थे, इस तरह से कॉलेज थे कि असल में वे थे ही नहीं, खाली सिर्फ पेपर्स पर ही वे कॉलेज चलते थे और बच्चों को सर्टिफिकेट ऐसे ही दिया जाता था। इतने बड़े देश में, आप सब लोग सहमत होंगे कि आज हमारे यहां डॉक्टरों की कमी है और यहां इस तरह से बोगस डॉक्टर्स बने हैं, तो इस देश का और समाज का हाल क्या होगा। इसकी चिंता भी हमें करनी चाहिए कि यह सब नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो और ठीक तरह से डॉक्टर्स तैयार हों, वे अपनी सेवा समाज के लिए अच्छी तरह से दे सकें। जब कोई पढ़ाई ही नहीं होगी तो डॉक्टर्स इस तरह की सेवा कैसे दे पाएंगे? इस तरह से बहुत से कारण थे, इसलिए हम इस पर अध्यादेश लाए थे। आप तो जानते ही हैं कि 17 मई को वह खत्म हो रहा था, उस समय इलैक्शन का माहौल था, पार्लियामेंट सैशन में नहीं था, इसलिए यह अध्यादेश लाया गया था। इसको पारित करने के लिए आज हम आपके पास आए हैं।

माननीय सभापति जी, बहुत कुछ ऐसे मुद्दे हैं, हमें एससीसी एक्ट में सदस्यों पर एक्शन लेने का अधिकार नहीं था। हम जब कोई एक्शन ही नहीं ले पाएंगे तो डिसिप्लेन और बाकी चीज़ें कहाँ रहेंगी। एक माननीय सदस्य ने पूछा था कि कितने नए कॉलेज आपने खोले तो सन् 2014 के बाद 48 नए कॉलेज हमने खोले हैं। कुल मिला कर 236 कॉलेज होम्योपैथी के हैं और हमारा प्रयास है कि ये सभी कॉलेज अच्छी तरह चलें और अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हमें इनके अनुसार मिलें। इसी के लिए आज का जो हमारा अमेंडमेंट है, वह यहां पारित होना चाहिए।

आपने यह भी कहा कि मंत्रालय इस पर विनियामक बनना चाहता है तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। सब कुछ ठीक तरह से आगे ले जाने के लिए हमने यह प्रयास किया है और मेरे ख्याल से यह आपकी समझ में आया भी होगा।

अपराह्न (माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

05.47 बजे

हमने पिछली बार जब शासक मण्डल गठित किया तो इस वर्ष अच्छी तरह से उस शासक मण्डल ने काम किया है। यह बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसने बहुत सी बैठकें की हैं और इस शैक्षिणक वर्ष 2018-19 के दौरान शासक मण्डल की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने 12 नए कॉलेजों को 960 सीटों की अनुमति दी है। दो स्नातक पूर्व कॉलेजों में 75 सीटों में वृद्धि और 140 सीटों सहित आठ मौजूदा कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ करने की अनुमति दी है। सीसीएच शासक मण्डल ने अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय पात्रता-सह प्रवेश परीक्षा के जरिए स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संगत स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर विनियमों में संशोधन भी किया हुआ है। सीसीएच के शासक मण्डल ने निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल करने के लिए एमएसआर नियमावली सन् 2013 में भी संशोधन किया है। शिक्षकों को हॉस्पिटल, स्टाफ और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आधार आधारित जीओ लोकेशन उपस्थिति प्रणाली की व्यवस्था की हुई है। शैक्षिणक पदों का चुनाव करने वाले अभ्यार्थियों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने की सोची है। मौजूदा कॉलेजों के निरीक्षण के लिए धारा-12(ग) हेतु प्रावधान किया हुआ है। शैक्षिणक वर्ष 2019-20 के लिए मौजूदा सभी 236 कॉलेजों का निरीक्षण और शासक मण्डल की सिफारिशें प्रकियाधीन हैं, जिनकी जून 2019 तक पूरा हो जाने की संभावना थी। अब मेरे ख्याल से 15 जुलाई तक इन सभी कॉलेजों के परमिशन का कार्य पूरा हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत से सदस्यों ने इसके बारे में अपने मत प्रकट किए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि कई सदस्यों ने इस बिल को पूरी तरह से सपोर्ट किया है। बहुत सदस्य इसमें बोले हैं।

बंगाल से हमारे कई सदस्य इस पर बोले हैं। हम बंगाल की स्थिति में होम्योपैथी को बढ़ाने की कोशिश निश्चित तौर पर करेंगे। मेरे ख्याल से ऐसा उनके मन में था कि क्या हमारा मंत्रालय कर पाएगा। हम निश्चित रूप से आगे जाएँगे। बहुत सदस्य यहाँ पर बोले हैं। सभी ने 99 परसेंट सदस्यों ने हमें सपोर्ट किया है, जिन्होंने यहाँ पर कई सिफारिशें की हैं, जिन पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे और यह पॉजिटिव है। यह हम करने जा रहे हैं। करप्शन कोई नहीं मानेगा, इनडिसिप्लिन कोई नहीं मानेंगे लेकिन जिस तरह

डिसिप्लिन आएगा, हमारी जो संस्था है, कॉलेजेज हैं, वह जिस तरह से आगे बढ़ेंगे तभी शिक्षा में एक उच्च स्तर हम प्राप्त करेंगे।

आज यह सभी की डिमांड है कि एजुकेशन में इस तरह से होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन देने की जो प्रक्रिया है, जब कॉलेज सही होंगे तब वहाँ डिसिप्लिन अच्छा रहेगा।

हमारे प्रेमचन्द्रन जी ने क्वालिटी एजुकेशन के बारे में कहा था, जब उन्होंने अपना विचार रखा उसमें एक मुद्दा मैं क्लियर करता हूँ कि होम्योपैथी काउंसिल बिल, 2005 था और 2015 था, वह हमने राज्य सभा से विदड्रा किया है। यह मैं उनको कहता हूँ। "एम.एस.आर. के अनुपालन के अनुसार कालेजों को एक-वर्षीय और पांच वर्षीय पाठ्यक्रमों के लिए मान्यता' जो मिनिमम रूल्स हैं, उसका कॉप्लायंस करने के बाद दोनों को हम इस तरह भेज देते हैं। आपने कुछ कॉलेजेज के बारे में कुछ कहा है, उसके बारे में मैं निश्चित तौर से बात करूँगा। मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि माननीय अधीर रंजन जी ने बोला था कि यह बार-बार अमेंडमेंट क्यों और किसलिए काउंसिल आपने डिजॉल्व की थी? इसके बारे में मैंने कहा है। बाकी सभी ने अपनी-अपनी कॉन्स्टीट्यूएंसी की जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वह आपने बताई, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। मैं सभी सदस्यों को फिर एक बार तहेदिल से धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने इस बिल का सपोर्ट किया, मैं फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ...(व्यवधान)

जैसा आपने होम्योपैथी के बारे में कहा कि पंजाब में और सुविधा होनी चाहिए। आयुष्मान भारत की तरह जो वेलनेस सेंटर होंगे, उसी में वहाँ हम सभी राज्यों में इसको दे देंगे। आयुष मिशन के अंतर्गत हमने हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देने का वायदा किया है। कम से कम 150 से ज़्यादा हॉस्पिटल का प्रपोजल हमने पारित किया हुआ है, पास किया हुआ है। आपके डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का हॉस्पिटल, जो होम्योपैथी चाहे वह होम्योपैथी ले सकते हैं, आयुर्वेद चाहे तो आयुर्वेद ले सकते हैं। इस तरह का जो कुछ आपका प्रपोजल है, कृपया हमें भेज दीजिए। वह हम जल्दी से जल्दी अप्रूव करके आपको दे देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। मैं आपको परेशान करता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ। आपसे मेरा अपना कोई विरोध नहीं है। बात यह है कि आप जो बोलते हैं, इसके साथ मिलता-जुलता नहीं है। जैसे कि आपने अभी-अभी कहा कि वहाँ बहुत करप्शन होता था वगैरह-वगैरह। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ लिखा कि "इरादतन सहयोग नहीं कर रहें हैं" तो आपकी बात में अंतर आ जाता है, हम क्या करें। हम भी तो यहाँ बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए, ऐसा नहीं कि अपोजिशन में बैठ कर आपका विरोध करने के लिए हैं। देखिए, 1973 में यह बिल पारित हुआ था। उस समय आप लोग नहीं थे। वर्ष 1952 में पहल शुरू हुई थी। उस समय आप सत्ता में नहीं थे। हमारी पूर्व में जो सरकारें थीं, मान लीजिए कि कांग्रेस सरकार आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ओल्ड गवर्नमेंट, न्यू नहीं थी तो उसी ज़माने में शुरू हुआ है। मतलब इस पर हमारा भी ध्यान आज नहीं बल्कि पुराने दिन से है। लेकिन जब आपकी बात में कोई अंतर लगता है तो हमें कुछ बोलना पड़ेगा। जैसे कि आप अभी कह रहे हैं कि हमें एक वर्ष से दो वर्ष लेना पड़ा, क्योंकि सूबों की सरकार ने इस रजिस्ट्रेशन को अपडेट नहीं किया। मान लीजिए ऐसी तो कोई गारंटी स्टेट गवर्नमेंट ने आपको नहीं दी कि ठीक है कि अगले वर्ष तक मैं कर दूँगा। मान लीजिए अगले वर्ष भी नहीं हुआ, तो आप फिर अध्यादेश लाएंगे, फिर एक वर्ष बढ़ाएंगे, उसकी भी आप गुंजाइश रखेंगे या नहीं, इसका कोई स्पष्टीकरण इसमें नहीं है। मैं आपकी बातों पर ही बात करता हूँ। आपने कहा कि बहुत सारी राज्य सरकारें ऐसी हैं, जिन्होंने यह रजिस्टर अपडेशन नहीं किया, इसलिए हमें एक वर्ष बढ़ाना पड़ा। हमारा भी मकसद था कि एक वर्ष के अंदर हम कर लेंगे, लेकिन सूबों की सरकार ने मदद नहीं की, इसलिए हमें दो वर्ष आगे जाना पड़ा। मान लीजिए कि फिर सभी सरकारों ने ऐसा किया, तो आप क्या करेंगे? अगर आप यह सोचें कि सारा हिन्दुस्तान आपके लपेटे में आ जाएगा, वह अलग बात है, नहीं तो नहीं भी आ सकते हैं।...(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): वर्ष 1971 के बाद क्या गरीबी हटी?...(व्यवधान) आप अपनी तरह सोचते हैं।...(व्यवधान) आप अपने दिल से जानिये पराई चीज का हाल।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : अच्छा ठीक है।...(व्यवधान) बात यह है।...(व्यवधान)

दुबे साहब, मैं क्या बोलता हूँ, वह आप समझते हुए भी नहीं समझते हैं। मेरा कहना यह है कि मान लीजिए सूबों की सरकारों ने अगले 1 वर्ष तक, आप जो हिदायत देते हैं, आप जो सलाह देते हैं, आप जो चाहते हैं, उसका पालन नहीं किया, तो उसके बाद आप क्या फिर यह अध्यादेश लाएंगे? आप खुद बताइए कि फिर आप बोर्ड ऑफ गवर्नर कैसे बनाएंगे? यह प्रश्न तो उस समय भी आएगा। यह कठिनाई उस समय भी आपके ऊपर आएगी। उसका समाधान क्या है। इसका कोई स्पष्टीकरण आपने नहीं दिया है। मैं इसमें अंतर ढूँढते हुए आपका विरोध करता हूँ। आप एक बात और बताइए कि आपने कहा कि आपके जमाने में इतने सारे कॉलेज खुल चुके हैं, आपने नए-नए कॉलेज बनाए हैं। आप यह भी बताइए कि आपके रहते हुए आपने कितने कॉलेजों को बंद किया है? यह आपने नहीं बताया है। जो काउंसिल के मेंबर थे, उनके खिलाफ सीबीआई की जो कार्रवाई हुई, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। क्या कोई नतीजा निकला है? मुझे पता नहीं है। जो सीबीआई की इनक्वायरी हुई, उस इनक्वायरी के बाद क्या कोई नतीजा निकला? क्या किसी को कोई सजा हुई? क्या आप किसी का कुछ बिगाड़ पाए?

> "महाराष्ट्र के सी.सी.एच. सदस्य, जिसमें सी.सी.एच. के उपाध्यक्ष और सी.सी.एच. के कार्यकारी सदस्यों में से एक सदस्य शामिल हैं, होम्योपैथी के डाक्टरों के लिए एलोपैथिक अभ्यास को वैध बनाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करने पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन, केवल डॉ. रामजी सिंह के कड़े रुख के कारण, इसे कानूनी रूप नहीं दिया गया।

यह बात भी अखबार में आती है। यह सच है या गलत, मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको जानकारी जरूर होगी कि सीसीएच काउंसिल के जो मेंबर हैं, वे अपने पद का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। क्या यह भी कोई मिवर्ष आपके सामने है कि सीसीएच के जो मेंबर्स हैं, वे अपना कॉलेज बना रहे हैं? वे अपना कॉलेज बनाने के लिए कानूनी कार्यवाही में ढीलापन दिखा रहे हैं, ऐसा होता है या नहीं, आप खुद इसका पता कर लीजिए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको सभी कॉलेजेज का ऑडिट करने की जरूरत

है। मान लीजिए दोनों डॉक्टर्स आ गए, एक एलोपैथिक एक होम्योपैथिक, एक आयुर्वेदिक और एक सिद्धा, लोग सबसे गुणी किसको मानेंगे? अभी भी हिन्दुस्तान में लोग एलोपैथी डॉक्टर के लिए सोचेंगे कि यह सबसे ज्यादा गुणी और पढ़ा लिखा है। वह यह मानेगा, यह इंप्रेशन है। देखिए परसेप्शन के ऊपर दुनिया चलती है, नहीं तो हमने सब कुछ किया, मगर आपकी सरकार जीत गयी।...(व्यवधान) इसका मतलब यह हुआ कि परसेप्शन के ऊपर दुनिया चलती है। परसेप्शन यह हो गया कि आपने बहुत ज्यादा कुछ कर दिया, बस हम हार गए। मान लीजिए एक एलोपैथिक डॉक्टर है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, एक सिद्धा डॉक्टर आ गए, तो लोगों की परसेप्शन क्या है? आम लोगों की परसेप्शन यह है कि एलोपैथिक डॉक्टर सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उसने ज्यादा पढ़ाई-लिखाई की है। जब सारे ऑप्शंस खत्म होते हैं, तब यह होता है कि चलो अब होम्योपैथी की ओर चलो।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यदि सदन की सहमति हो, तो सभा की कार्यवाही विधेयक के पारित होने तक बढ़ाई जाए।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही इस विधेयक के पारित होने तक बढ़ाई जाती है।

<u>सायं 06.00 बजे</u>

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, हम भी चाहते हैं कि यह जो होम्योपैथी है, आयुष है और जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, इन्हें बचा कर रखना आप, हम और हिन्दुस्तान के सारे लोगों का फर्ज़ बनता है। हम भी चाहते हैं कि इनकी प्रिस्टीन प्यूरिटी रिस्टोर हो। हम भी चाहते हैं कि हमारा प्राचीन अस्तित्व बहाल हो। इसमें कोई खलल न हो।

अभी होम्योपैथी डॉक्टर जल्दबाजी में रोगियों का इलाज़ करने के लिए एलोपैथी का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास इसका निरीक्षण करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। अगर यह नहीं है तो नहीं है। इसलिए मैं आपसे यह कहता हूं कि आप इसको चुस्त-दुरुस्त करके आइए। उसके बाद आप हम से समर्थन माँगिए। हम भरपूर समर्थन करेंगे, लेकिन अभी हम इसका विरोध करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 2 मार्च, 2019 को प्रख्यापित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्याक 11) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2 धारा 3 क का संशोधन

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): जी, महोदय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही सुझाव दिया है कि दो वर्ष यानी चौबीस महीने के बजाय अठारह माह किया जाए ताकि छह माह के भीतर चुनाव कराये जा सकें और होम्योपैथी परिषद को लोकतांत्रिक तरीके से चुना जा सके। इसलिए, मैं संशोधन पुर:स्थापित कर रहा हूँ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ:

कॉलम 1, पंक्ति 6,-

*"दो वर्षों"*के लिए

"अठारह महीने" प्रतिस्थापित करें। (1)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

[अनुवाद]

श्री श्रीपाद येसो नाईक : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही कल शुक्रवार, दिनांक 28 जून 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

<u>सायं 06.04 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 28 जून, 2019 / 7 आषाढ़, 1941 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2019 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित